छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जनवरी-मार्च, 2019 सत्र

सोमवार, दिनांक 11 फरवरी, 2019

तारांकित प्रश्नोत्तर

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पेय जल की आपूर्ति हेतु कार्य योजना

1. (*क्र. 266) **श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :** क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने ग्राम पंचायतों में पेयजल संकट है ? (ख) ग्रीष्मकालीन पेयजल संकट से निपटने के लिए क्या कार्य योजना है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : (क) बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में किसी भी ग्राम पंचायत में पेयजल संकट नहीं है. (ख) ग्रीष्मकालीन पेयजल संकट से निपटने के लिये विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्ययोजना है :-

1. आवश्यकतानुसार नवीन नलकूप खनन एवं सोलर पम्प की स्थापना का कार्य.
2. जलस्तर गिरने से बंद हैण्डपम्पों में आवश्यकतानुसार राईजर पाईप बढ़ाने एवं बदलने का कार्य.
3. अधिक गहराई तक जल स्तर नीचे चले जाने वाले नलकूपों में सिंगल फेस पम्प स्थापना कर जल प्रदाय आरंभ करने का कार्य.
4. असफल नलकूपों में हाइड्रोफैक्चरिंग उपरांत सफल होने पर हैण्डपम्प स्थापना का कार्य.
5. भरे-पटे नलकूपों की सफाई कर हैण्डपम्प की स्थापना का कार्य.

हैलीकाप्टर किराए पर लेने हेतु जारी टेण्डर

2. (*क्र. 170) **श्री अरूण बोरा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कैलेण्डर वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में कितने हेलीकाप्टर किराए पर लेने के लिए कब-कब टेण्डर जारी किए गए ? (ख) टेण्डर में किन-किन कंपनियों ने भाग लिया ? टेण्डर में कितनी-कितनी राशि दर्शित की गई और किन-किन कंपनियों को टेण्डर दिए गए और उन्हें दी गई राशि का ब्यौरा दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हां. कैलेण्डर वर्ष 2016 में राज्य पुलिस विभाग के शासकीय उपयोग हेतु 01 डबल इंजन हेलीकॉप्टर किराये से लेने हेतु पहली बार टेण्डर नोटिस दिनांक 23.01.2016 को जारी किया गया, जो असफल रहा. दिनांक 13.07.2016 को पुनः जारी किया गया जो सफल रहा. राज्य शासन के शासकीय उपयोग हेतु 01 डबल इंजन हेलीकॉप्टर किराये से लेने टेण्डर दिनांक 09.06.2016 को जारी किया गया. वर्ष 2017 एवं 2018 में कोई टेण्डर जारी नहीं किया गया. (ख) टेण्डर में भाग लेने, वाली कंपनियों, उनके द्वारा दर्शित राशि और कंपनी जिन्हें टेण्डर दिया गया की जानकारी प्रपत्र-अ एवं उन्हें दी गई राशि का ब्यौरा प्रपत्र-ब पर † संलग्न है.

राज्य बजट से स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी

3. (*क्र. 154) **श्री धरमलाल कौशिक :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्त विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक 1403/एक/2013/04-00224/ब चार/4, दिनांक 22.12.2018 द्वारा यह निर्देश प्रदान किया गया है कि राज्य बजट से वित्त पोषित अप्रारंभ निर्माण कार्यों को वित्त विभाग की पुनः सहमति उपरांत ही प्रारंभ किया जावेगा ? यदि हां तो उक्त आदेश के पश्चात् दिनांक 18.01.2019 तक कितने कार्यों की पुनः स्वीकृति दी गई है एवं कितनी राशि की ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : जी हां. प्रश्नांकित अवधि में पुनः स्वीकृति दिये गये कार्यों की संख्या निरंक है.

---

† परिशिष्ट "एक"

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदाना की खरीदी

4. (*क्र. 183) **श्री धर्मजीत सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए खरीद वर्ष 2018 के दरम्यान कितनी मात्रा में बारदाने किस कंपनी से किस दर पर खरीदे गए ? (ख) क्या कंडिका क, के बारदानों में अमानक बारदाने पाए गये की शिकायतें मिली है ? यदि हां तो कितनी मात्रा में ? क्या अमानक बारदाने संबंधित कंपनी को वापस किए गए ? नहीं तो क्यों? (ग) बारदानों की सैम्पल जांच कब किसके द्वारा की गई थी ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु पटसन आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार कोलकाता से 2,25,428 गठान बारदाने का क्रय पटसन आयुक्त द्वारा निर्धारित दरों पर किया गया है. अगस्त 2018 से दिसंबर 2018 तक माहवार दिये गये क्रय आदेशों एवं दरों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र ''अ'' अनुसार है. (ख) जी हां. राजनांदगांव जिले में प्रदाय किये गये बारदानों में से कम वजन के अमानक बारदाने की आपूर्ति की शिकायत प्राप्त हुई थी. जूट कमिश्नर द्वारा संयुक्त परीक्षण में उक्त बारदाने मानक पाये गये हैं. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ग) बारदानों की सैम्पल जाँच जिला स्तरीय समिति, स्कैप इंडिया प्रायवेट लिमिटेड एवं जूट कमिश्नर कार्यालय के साथ मार्कफेड की संयुक्त टीम द्वारा की गई है. जानकारी † संलग्न प्रपत्र ''ब'' अनुसार है.

सौर सुजला योजना अंतर्गत स्थापित पंप

5. (*क्र. 165) **डॉ. रमन सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार की सौर सुजला योजना अंतर्गत कवर्धा जिले में वर्ष 2017-18 में कितने पम्प स्थापित किये गये हैं ? क्या इसके लिये विभाग द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? (ख) निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितने पम्प स्थापित किये हैं ? विधानसभावार बतायें ? आवेदकों द्वारा दिये गये आवेदन का निराकरण कब तक करेंगे?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राज्य सरकार की सौर सुजला योजना अंतर्गत कवर्धा जिले में वर्ष 2017-18 में 495 सोलर पम्प स्थापित किये गये है. जी हां. कवर्धा जिले के लिए योजनांतर्गत 500 सोलर पम्प स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. (ख) उत्तरांश क में वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध स्थापित किए गए 495 सोलर पम्प की विधानसभावार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्रमांक	विधानसभा कवर्धा	विधानसभा पंडरिया	कुल
1	388	137	495

आवेदकों से प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण कर सोलर पम्प की स्थापना कर दी गई है. अत: निराकरण कब तक किया जाएगा का प्रश्न उद्भुत नहीं होता.

रायगढ़ जिले में डी. एम. एफ. मद में आवंटित राशि

6. (*क्र. 62) **श्री लालजीत सिंह राठिया :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक डी.एम.एफ. मद में कौन-कौन से खनिज स्त्रोत से कुल कितनी राशि का आवंटन प्राप्त किया गया है ? उक्त राशि में क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के कहां कहां स्वीकृत किये गये है विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) कितने कार्य पूर्ण व कितने अपूर्ण है विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) रायगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास की निधि में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 (दिसम्बर, 2018) तक खनिज कोयला, डोलोमाईट, क्वार्टज, चूनापत्थर, साधारण पत्थर एवं मुरूम/मिट्टी से कुल राशि रुपये 190 करोड़ 42 लाख रुपये प्राप्त हुई है. उक्त राशि में से स्वीकृत कार्यों की विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम-07 पर दर्शित है.

† परिशिष्ट ''दो''

प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विद्युत सुविधा

7. (*क्र. 90) **श्री खेलसाय सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन ग्रामों, पारा, टोला, मोहल्ला में बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? (ख) उक्त ग्रामों, पारा, टोला में कब तक बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 54 ग्रामों के 62 पारा, टोला, मोहल्ला में ऑफग्रिड बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है. विकासखण्डवार 54 ग्रामों के 62 पारा, टोला, मोहल्ला जहां ऑफग्रिड से बिजली कनेक्शन के कार्य किए जा रहे है, कि जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित ग्रामों के 62 पारा, टोला, मोहल्ला में ऑफग्रिड से विद्युत कनेक्शन के कार्य माह मार्च 2019 तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.

छ.ग. राज्य में वन मण्डलों के कार्य योजना का नवीनीकरण

8. (*क्र. 270) **श्री सत्यनारायण शर्मा :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ राज्य के कितने वनमण्डलों में, कब से कार्य आयोजना (वर्किंग प्लान) नवीनीकरण किया जाना लंबित है ? (ख) क्या यह सत्य है कि कार्य आयोजना के अभाव में काष्ठ कूपों में विदोहन तथा वन वर्धनिक कार्य नहीं हो रहे हैं ? (ग) यदि हां तो कितने वन मण्डलों तथा काष्ठ विदोहन नहीं होने से कितने राजस्व की हानि हुई है ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 14 वनमण्डलों में कार्य आयोजना (वर्किंग पलान) नवीनीकरण (पुनरीक्षण) का कार्य प्रगति पर है, जिसका वनमंडलवार विवरण †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) छत्तीसगढ़ में कुल 34 क्षेत्रीय वनमण्डल है, जिनमें से 20 वनमण्डलों की कार्य आयोजना स्वीकृत है, जिसमें काष्ठ कूपों का विदोहन तथा वन वर्धनिक कार्य हो रहे हैं. 14 वनमण्डलों में कार्य आयोजना का पुनरीक्षण कार्य प्रगति पर है. कार्य आयोजना स्वीकृत नहीं होने के कारण 14 वनमण्डलों में काष्ठ कूपों के विदोहन एवं इससे संबंधित अन्य वनवर्धनिक कार्य नहीं हो रहे है. (ग) कार्य आयोजना के पुनरीक्षण होने के उपरांत ही काष्ठ विदोहन का कार्य किया जाता है. अत: उक्त 14 वनमंडलों में काष्ठ के वास्तविक रूप में विदोहन न होने के कारण, काष्ठ के उत्पादन का सहीं अनुमान लगाना कठिन है. कार्य आयोजना लागू होने पर खड़े वृक्षों का विदोहन किए जाने से शासन को लंबित राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी.

विधान सभा क्षेत्र मरवाही के विकासखण्डों में गुणवत्ताविहीन विद्युत पोल लगाए जाने की प्राप्त शिकायतों पर की गयी कार्यवाही

9. (*क्र. 232) **श्री अजीत जोगी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विधान सभा क्षेत्र मरवाही के अंतर्गत गौरेला पेण्ड्रा एवं मरवाही विकासखण्ड के विद्युत विहीन ग्राम पंचायतों में गुणवत्ताविहीन विद्युत पोल लगाये जाने की शिकायत जिला प्रशासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां तो ठेकेदार के ऊपर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : जी हां. जिला पंचायत बिलासपुर द्वारा दिनांक 13.08.2018 को आयोजित सामान्य सभा में विधायक प्रतिनिधि श्री ज्ञानेन्द्र उपाध्याय द्वारा यह कथन किया गया कि सौभाग्य योजना के तहत लगाये जाने वाले बिजली के खम्भे के अत्यन्त खराब एवं गुणवत्ता विहीन है. उक्त सभा में उपस्थित छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कार्यपालन अभियन्ता पेण्ड्ररोड संभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि विधायक प्रतिनिधि से शिकायत प्राप्त होने के पूर्व ही दिनांक 21.07.2018 को गुणवत्ता विहीन बिजली के खम्भों की जांच कर उन्हें रिजेक्ट करते हुए ठेकेदार के व्यय पर नए गुणवत्ता वाले खम्भे दिनांक 27.07.18 से 29.07.2018 के मध्य बदल दिए गए है. उक्त कार्य हेतु जारी कार्यादेश की शर्तों के अनुसार दो अलग-अलग ठेकेदारों यथा मेसर्स प्रमोद कुमार अग्रवाल पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर, द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि राशि रुपये 1,05,942 तथा मेसर्स उदय कंस्ट्राक्शन जांजगीर चाम्पा द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि की राशि रुपये 71,771 को राजसात किया गया.

जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत संचालित क्रेशर प्लांट

10. (*क्र. 261) **श्री नारायण चंदेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चाम्पा में 17-1-19 तक की स्थिति में कुल कितने क्रेशर प्लांट संचालित हैं ? नाम, पता एवं अनुज्ञा अवधि की तिथि सहित बतावें ? (ख) जिला जांजगीर चाम्पा में पत्थर उत्खनन कहां-कहां किया जाता है ? उत्खनन एजेंसी का नाम, पता अनुज्ञा की तिथि सहित बतावें ? (ग) क्रेशर प्लांट एवं पत्थर उत्खनन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान के संबंध में अनुज्ञाधारी एवं राज्य शासन द्वारा रोकथाम के क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

† परिशिष्ट ''तीन'' †† परिशिष्ट ''चार''

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में दिनांक 17.01.2019 तक की स्थिति में कुल 129 क्रेशर संचालित है. नाम, पता एवं अनुज्ञा अवधि की तिथि सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' पर दर्शित है. (ख) जिला जांजगीर-चाम्पा में साधारण पत्थर का कोई उत्खनिपट्टा स्वीकृत नहीं है, अपितु निम्न श्रेणी चूनापत्थर तथा डोलोमाइट खनिज हेतु स्वीकृत खनिज रियायतों एवं उत्खनन एजेंसी का नाम, पता तथा स्वीकृति अवधि सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''दो'' पर दर्शित है. (ग) क्रेशर हेतु पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी पर्यावरण सम्मति तथा उत्खनन हेतु जारी पर्यावरण स्वीकृति में दर्शित शर्तों का पालन कराया जाता है.

क्रोकोडायल परियोजना हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि

11. (*क्र. 324) **श्री सौरभ सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर चांपा जिले के चांपा वन मंडल के अंतर्गत पिछले 2 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में क्रोकोडायल परियोजना के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा ? 15-01-2019 तक कितनी राशि व्यय हुई ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जांजगीर चांपा जिले के चांपा वन मंडल के अंतर्गत पिछले 2 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में क्रोकोडायल परियोजना अंतर्गत प्राप्त एवं व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

अ.क्र.	वित्तीय वर्ष	क्रोकोडायल परियोजना हेतु प्राप्त एवं व्यय राशि का विवरण (राशि रुपये में)	
		प्राप्त राशि	व्यय राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2016-17	59,20,000	59,18,401
2.	2017-18	62,45,000	62,43,860
3.	2018-19	73,00,000	19,53,760 (15-01-19 की स्थिति में)
	योग	**194,65,000**	**141,16,021**

जशपुर जिले में खनिज न्यास निधि (डी.एम.एफ.) के तहत स्वीकृत एवं व्यय राशि

12. (*क्र. 15) **श्री यू. डी. मिंज :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जशपुर जिले में खनिज न्यास निधि का गठन कब किया गया ? इसके अध्यक्ष एवं सदस्य कौन-कौन हैं, वर्ष 2016 से दिनांक 15.1.2019 तक कितनी राशि प्राप्त हुई ? (ख) कंडिका ''क'' के अनुसार प्राप्त राशि किन-किन कार्यों के लिए व्यय की गई ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जशपुर जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन दिनांक 02. जनवरी, 2016 को किया गया है. अध्यक्ष व सदस्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''एक'' पर दर्शित है. न्यास निधि में वित्तीय वर्ष 2015-16 से दिनांक 15.01.2019 तक कुल रुपये 99 करोड़ 198 लाख की राशि प्राप्त हुई है. (ख) प्रश्नांश-''क'' अनुसार जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से स्वीकृत कार्यों एवं व्यय की वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''दो'' पर दर्शित है.

जांजगीर चाम्पा जिले में डी.एम. एफ. मद से स्वीकृत निर्माण कार्य

13. (*क्र. 125) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जांजगीर-चांपा जिला खनिज न्यास संस्थान (डी.एम.एफ.) की बैठक वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 से दिनांक 17.1.19 तक कब-कब की गई ? एवं उक्त बैठकों में कितनी राशि के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) **:** जांजगीर-चांपा जिला खनिज संस्थान न्यास के शासी परिषद की बैठक वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 10.10.2017 को एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में (दिनांक 17.01.2019 तक) दिनांक 16.07.2018 को आयोजित की गई. बैठक में अनुमोदित कार्यों के संबंध में जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

जनसंपर्क विभाग में सूचीबद्ध निजी क्षेत्र के व्यक्ति/कंपनियां/विशेषज्ञ

14. (*क्र. 28) **श्री अजय चन्द्राकर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनसंपर्क विभाग में किन-किन कार्यों के लिए निजी क्षेत्र के किन-किन व्यक्तियों/विशेषज्ञों/कंपनियों ,को सूचीबद्ध किया गया है ? दिनांक 17.12.2018 तक किन-किन कार्यों के लिए कौन-कौन व्यक्ति/विशेषज्ञ/कंपिनयां सूचीबद्ध थे ? (ख) दिनांक 16.01.2019तक कितने व्यक्ति/विशेषज्ञ/कंपनियों को हटाया गया है ? एवं हटाने के कारण क्या हैं ? तथा कितने व्यक्तियों/विशेषज्ञों/कंपनियों का भुगतान बकाया है ? बकाया राशि का कब तक भुगतान किया जायेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) **:** (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गई है. (ख) कार्य एवं सेवा की आवश्यकता नहीं होने कारण दिनांक 16.01.2019 तक कुल 52 व्यक्तियों/विशेषज्ञों/कंपनियों/एजेंसियों को हटाया गया है तथा कुल 15 व्यक्तियों/विशेषज्ञों/कंपनियों/एजेंसियों का भुगतान बकाया है. बकाया राशि का भुगतान संबंधित विभागों से छत्तीसगढ़ संवाद को भुगतान प्राप्त होने के पश्चात परीक्षण कर किया जायेगा.

राजकीय पशु वन भैंसों के शिकार/मौत की प्राप्त शिकायतों पर जांच

15. (*क्र. 87) **श्री डमरूधर पुजारी :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उदंती वन अभ्यारण्य क्षेत्र के वन्य प्राणियों/वन भैंसों के संरक्षण/संवर्धन के लिए वर्ष 2016-17 व 2017-18 में कितनी धन-राशि किन-किन मदों में दी गई और उसके विरूद्ध कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी है ? (ख) कंडिका (क) के क्षेत्र में वन भैंसों की संख्या कितनी है ? इसकी गणना कब की गई ? (ग) क्या कंडिका (क) के क्षेत्र में राजकीय पशु वन भैसों के शिकार/मौत होने की शिकायत मिली है ? यदि हां तो कब-कब और शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) **:** (क) उदंती अभ्यारण्य क्षेत्र के वन्यप्राणियों/वनभैंसों के संरक्षण/संवर्धन के लिए वर्ष 2016-17 व 2017-18 में मदवार दी गई राशि और उसके विरूद्ध खर्च की गई राशि का विवरण ‡ संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) कंडिका (क) के क्षेत्र में वन भैंसों की संख्या 09 है. इसकी गणना माह जनवरी 2019 में की गई है. (ग) कंडिका (क) के क्षेत्र में राजकीय पशु वन भैंसों के शिकार/मौत से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अत: शिकायतों पर कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं का बिल आधा करने की कार्यवाही

16. (*क्र. 167) **श्री बृजमोहन अग्रवाल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने विद्युत कनेक्शन उपभोक्ता हैं ? श्रेणीवार 15 जनवरी 2019 की स्थिति में कनेक्शन की जानकारी दें ? (ख) कंडिका "क" के कितने उपभोक्ताओं का बिजली बिल आधा किया गया है ? अगर नहीं तो क्यों ? (ग) कंडिका "क" के उपभोक्ताओं का बिजली बिल कब तक आधा करने का लक्ष्य रखा गया है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) **:** (क) प्रदेश में 15 जनवरी 2019 की स्थिति में कुल 55,14,981 उपभोक्ताओं के परिसर में विद्युत कनेक्शन है. 15 जनवरी 2019 की स्थिति में श्रेणीवार कनेक्शन की जानकारी ‡‡ संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश "क" में संदर्भित उपभोक्ता विद्युत कनेक्शनों में सम्मिलित केवल घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली बिल की राशि आधा करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन है. (ग) उत्तरांश "ख" के अनुसार वर्तमान में प्रस्ताव के विचाराधीन होने से वर्तमान में इस हेतु लक्ष्य बताया जाना संभव नहीं है.

मस्तुरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत लो वोल्टेज समस्या पर कार्यवाही

17. (*क्र. 206) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र मस्तुरी अंतर्गत संचालित 33/11 के.व्ही. के सब स्टेशनों से किन-किन ग्रामों में विद्युत आपूर्ति की जा रही हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत कितने ग्रामों में लो वोल्टेज की समस्या संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? ग्रामों के नाम सहित जानकारी देवें. (ग) लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

† परिशिष्ट "पाँच" †† परिशिष्ट "छ:" ‡ परिशिष्ट "सात" ‡‡ परिशिष्ट "आठ"

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) **:** (क) विधानसभा क्षेत्र मस्तूरी अंतर्गत 152 ग्रामों में विद्युत की आपूर्ति उक्त विधानसभा क्षेत्र में स्थापित 33/11 के.व्ही. के 08 सब स्टेशनों से की जा रही है. सब-स्टेशनवार आपूर्ति किये जाने वाले ग्रामों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश ''क'' के परिशिष्ट में उल्लेखित 152 ग्रामों में से 11 ग्रामों में लो वोल्टेज की समस्या संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं. ग्रामों के नाम सहित जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

महासमुंद जिला में कृषि पंप कनेक्शन के लंबित प्रकरण

18. (*क्र. 285) **श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विद्युत वितरण केन्द्र महासमुंद ग्रामीण तुमगांव, पटेवा, झलप में कृषि पंप कनेक्शन हेतु 2017 एवं 2018 से 20 जनवरी 2019 तक कितने आवेदन प्राप्त हुये ? कितने कृषकों के आवेदन पर विद्युत कनेक्शन दिये गये ? (ख) कितने आवेदन निरस्त किये गये, कितने लंबित है ? लंबित एवं निरस्त करने का क्या कारण हैं ? पृथक-पृथक वर्षवार बतायें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) **:** (क) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के महासमुन्द ग्रामीण, तुमगांव, पटेवा, झलप स्थित विद्युत वितरण केन्द्र में वर्ष 2017 एवं वर्ष 2018, तथा वर्ष 2019 (2020 नहीं), के माह जनवरी 2019 तक, कृषि पम्प कनेक्शन हेतु 1,033 आवेदन प्राप्त हुये थे जिनमें से 622 कनेक्शन जारी किये गये.

क्रमांक	आवेदन लंबित होने के कारण (जनवरी 2019 की स्थिति में)	संख्या
1.	आवेदन निरस्त	71
2.	प्राक्कलन स्वीकृति हेतु लंबित	44
3.	आवेदक द्वारा औपचारिकता पूर्ण नहीं करने हेतु लंबित	245
4.	लाईन विस्तार हेतु लंबित	51
	कुल लंबित आवेदनों की संख्या	**411**

(ख) उत्तरांश ''क'' में उल्लेखित प्राप्त 1033 आवेदनों में से 71 आवेदन निरस्त किये गये एवं 340 आवेदन लंबित है. निरस्त किये गये आवेदनों का कारण सहित वर्षवार विवरण नीचे तालिका में है :—

वर्ष	अपूर्ण दस्तावेजों के कारण	आवेदक द्वारा औपचारिकता पूर्ण नहीं करने के कारण लंबित	कुल
2017	0	33	33
2018	34	4	38
2019 (31 जनवरी तक)	0	0	0

लंबित आवेदनों का कारण सहित वर्षवार विवरण नीचे तालिका में है :—

वर्ष	स्वीकृत हेतु लंबित	आवेदक द्वारा औपचारिकता पूर्ण नहीं करने के कारण लंबित	लाइन विस्तार करने हेतु लंबित	कुल
2017	0	0	0	0
2018	44	227	51	322
2019 (31 जनवरी तक)	0	18	0	18

† परिशिष्ट ''नौ''

प्रदेश में संचालित रेत खदानें

19. (*क्र. 133) **श्री धनेन्द्र साहू :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में किस-किस जिले में किन-किन स्थानों में, कितने-कितने रकबे में रेत की खदानें संचालित है ? (ख) वर्णित रेत खदानों में से किस-किस रेत खदानों मे रेत भराई कार्य हेतु "सेमी मेकेनाईज्ड" पद्धति से संचालित करने की अनुमति दी गई है ? तथा किस-किस नियम एवं शर्तों के तहत् शासन द्वारा मशीनों से रेत भराई की अनुमति दी गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) **:** (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित रेत खदानों में से जिन रेत खदानों को सेमी मेकेनाईज्ड पद्धति से संचालन की अनुमति दी गई है, उसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम-4 के अनुसार है. इन रेत खदानों को भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मेनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 के प्रावधानों के तहत नदी की चौड़ाई, रेत की उपलब्धता तथा रेत उत्खनन क्षेत्र में रेत के पुनः भराव को ध्यान में रखने आदि शर्तों के साथ सेमी मेकेनाईज्ड पद्धति से संबंधित जिला स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा संचालन की अनुमति दी गई है.

प्रदेश में विद्युतविहीन ग्राम/पारा/मोहल्ला/टोला

20. (*क्र. 108) **श्री मोहन मरकाम :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 31 दिसम्बर, 2018 की स्थिति में प्रदेश में कुल कितने ग्राम, पारा, मोहल्ला, मजरा, टोला व बसाहटें विद्युत विहीन हैं ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) कंडिका "क" के अनुसार इन्हें कब तक विद्युतीकृत कर लिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) **:** (क) 31 दिसम्बर, 2018 की स्थिति में प्रदेश के सभी 19,567 ग्राम विद्युतीकृत है. लेकिन उक्त विद्युतीकृत ग्रामों के 1,737 मजरा टोला/बसाहटों में विद्युत की पहुंच नहीं है. जिलेवार संख्या † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश (क) के परिशिष्ट में दर्शित विद्युत पहुंचविहीन मजरा टोला/बसाहटों में जून 2019 तक विद्युत की पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य है. लेकिन नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कांकेर जिलों में सुरक्षा की स्थिति एवं विपरीत भोगौलिक स्थिति के कारण उक्त जिलों के अविद्युतीकृत घरों में विद्युत की पहुंच हेतु समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जिला कोण्डागांव में डी.एम.एफ. मद से आवंटित राशि

21. (*क्र. 273) **श्री संतराम नेताम :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कोण्डागांव के अंतर्गत खनिज विभाग को वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में डी.एम.एफ. मद में कितनी राशि आवंटित की गई है एवं उक्त राशि के विरूद्ध कितनी राशि का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) **:** कोण्डागांव जिला खनिज संस्थान न्यास निधि में वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2918-19 (दिसम्बर 2018 तक) में कुल रुपये 2979.80 लाख प्राप्त हुए. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर दर्शित है तथा उक्त राशि से स्वीकृत कार्यों एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर दर्शित है.

छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व

22. (*क्र. 226) **श्री शिवरतन शर्मा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने घरेलु उपयोग, व्यावसायिक उपयोग तथा कितने औद्योगिक कनेक्शन धारी उपभोक्ता है ? विभाग के संभागीय कार्यालय अनुसार उपभोक्ताओं की जानकारी देवें ? (ख) उक्त उपभोकताओं से कितने राजस्व की प्राप्ति होती है ? (ग) क्या शासन के उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में रियायत प्रदान करने की योजना है ?

---

† परिशिष्ट "दस"

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नांश (क) में चाही गई संवर्गवार उपभोक्ताओं की कुल संख्या नीचे तालिका अनुसार है. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के संभागवार उक्त संवर्ग के उपभोक्ताओं की संख्या † संलग्न प्रपत्र-''अ'' में दर्शित है.

क्रमांक	उपभोक्ताओं का संवर्ग	कुल संख्या
1.	बी.पी.एल. सहित घरेलू उपभोक्ता	45,91,030
2.	गैर घरेलू उपभोक्ता	3,37,205
3.	औद्योगिक उपभोक्ता	32,455

(ख) उत्तरांश (क) की तालिका में उल्लेखित उपभोक्ताओं से प्रतिमाह औसतन रुपये 774.30 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है. (ग) वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रभावशील रियायती पैकेज के तहत् 31 मार्च 2019 तक विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में दी गई रियायत की जानकारी † संलग्न प्रपत्र-''ब''में दर्शित है. उक्त रियायती पैकेज की वैधता को 31 मार्च 2019 के पश्चात् और बढ़ाये जाने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है.

डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पेयजल कार्यों की स्थिति

23. (*क्र. 149) **श्री दलेश्वर साहू :** क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिले के विधान सभा क्षेत्र डोंगरगांव अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 से 17.1.19 तक योजनावार निर्माणाधीन पानी टंकी, पाईप लाईन की अंतिम मूल्यांकन सत्यापन पश्चात की गई भुगतान की राशि व विभाग को हस्तांतरित कार्यों की एजेंसीवार, दिनांकवार, कार्य की पूर्ण व अपूर्ण की जानकारी देवें ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : राजनांदगांव जिले के विधानसभा क्षेत्र डोंगरगांव अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 से 17.01.2019 तक योजनावार जानकारी निम्नानुसार है :—निर्माणाधीन पानी टंकी/पाईप लाईन की जानकारी †† संलगन परिशिष्ट के क्रमश: कॉलम क्रमांक-5 एवं 6 में दर्शित अनुसार है. पानी टंकी एवं पाईप लाईन की अंतिम मूल्यांकन सत्यापन पश्चात की गई भुगतान राशि की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट के क्रमश: कॉलम क्रमांक-7 एवं 8 में दर्शित अनुसार है. निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत विभाग को हस्तांतरित नहीं की जाती है, वरन् विभाग द्वारा पंचायत को योजना हस्तांतरण की जाती है. अत: पंचायतों को हस्तांतरित कार्यों की एजेंसीवार एवं दिनांकवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट के क्रमश: कॉलम क्रमांक-9 एवं 10 में दर्शित अनुसार है. पानी टंकी एवं पाईप लाईन कार्य की पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट के क्रमश: कॉलम-11 एवं 12 में दर्शित अनुसार है.

बस्तर जिले में विमान सेवा की सुविधा

24. (*क्र. 190) **श्री बघेल लखेश्वर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले के लिए विमान सुविधा हेतु एयर ओडिसा द्वारा जगदलपुर मुख्यालय से कब-कब, किस-किस तारीख को विमान सेवा उपलब्ध कराई गई ? (ख) एयर ओडिसा द्वारा किन-किन तारीख को सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है ? क्या उक्त तारीख में ग्राहकों को मय हर्जाने सहित राशि वापिस की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बस्तर जिले के लिये विमान सुविधा हेतु एयर ओड़िसा द्वारा जगदलपुर मुख्यालय से उपलब्ध कराई गई विमान सेवा की माहवार तारीख प्रपत्र ''अ'' पर ‡ संलग्न है. (ख) एयर ओड़िसा द्वारा विमान सेवा उपलब्ध नहीं कराने संबंधी माहवार तारीख की जानकारी प्रपत्र ''ब'' पर ‡ संलग्न है. हर्जाने की राशि वापिस किये जाने के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है.

छत्तीसगढ़ राज्य में भूमि अधिग्रहण पर किसानों को प्रदत्त मुआवजा

25. (*क्र. 171) **श्री अरूण वोरा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. राज्य में कितने कोल ब्लाक वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में किन-किन उद्योग समूहों को आवंटित हुए हैं ? इन कोल ब्लॉकों से खनन का लक्ष्य, उत्पादन एवं रायल्टी की जानकारी कोल ब्लाकवार दे तथा इससे राज्य को कुल कितनी आय प्राप्त हुई ? (ख) क्या कोल ब्लाक के आवंटन की अनुशंसा के पूर्व पर्यावरण, वन अथवा अन्य विभागों से स्वीकृति ली गई थी ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) क्या कोल ब्लाक की भूमि का अधिग्रहण एवं विस्थापन हुआ है ? (घ) यदि हाँ तो विस्थापितों के विस्थापन के लिए क्या नीति बनाई गई है ? अधिग्रहित भूमि का मुआवजा किस दर से दिया है ? एवं मुआवजा की क्या स्थिति है ?

† परिशिष्ट ''ग्यारह'' †† परिशिष्ट ''बारह'' ‡ परिशिष्ट ''तेरह''

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में उद्योग समूहों को कोई कोल ब्लॉक आवंटित नहीं किया गया है, अपितु विभिन्न राज्य शासन के उपक्रमों को वर्ष 2016-17 में 02 कोल ब्लॉकों का आवंटन किया गया है, जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. प्रश्नाधीन अवधि में आवंटित कोल ब्लॉक का खनिपट्टा स्वीकृत नहीं हुआ है, अत: इनके खनन, उत्पादन, रायल्टी, आय इत्यादि की जानकारी निरंक है. (ख) कोल ब्लॉक आवंटन की अनुशंसा के पूर्व पर्यावरण, वन अथवा अन्य विभागों से स्वीकृति नहीं ली जाती है, अपितु कोल ब्लॉक आवंटन पश्चात् आबंटिती कंपनी द्वारा खनिज रियायत स्वीकृति के पूर्व पर्यावरण, वन एवं अन्य विभागों से नियमानुसार आवश्यक स्वीकृति/अनापत्ति प्राप्त की जाती है. (ग) कण्डिका (क) अनुसार खनिपट्टा स्वीकृत नहीं हुआ है अत: आबंटित कोल ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण एवं विस्थापन नहीं हुआ है. (घ) कण्डिका (ग) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है.

----

† परिशिष्ट "चौदह"

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला रायगढ़ में विद्युत प्रदाय हेतु किसानों के लंबित आवेदन

1. (क्र. 64) **श्री लालजीत सिंह राठिया :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायगढ़ अंतर्गत जनवरी 2019 की स्थिति में विद्युत प्रदाय हेतु कृषि कार्य के कितने आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं ? कितने लंबित हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) लंबित होने का क्या कारण है ? कब तक आवेदनों का निराकरण कर लिया जाएगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) **:** (क) रायगढ़ जिले के अंतर्गत, विगत वर्ष में प्राप्त, सिंचाई पंप कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों में से सिंचाई पंप कनेक्शन जारी करने के उपरांत शेष आवेदनों को सम्मिलित करते हुये, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 31 जनवरी 2019 की स्थिति में सिंचाई पंप कनेक्शन हेतु प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या 1,626 है. उक्त आवेदनों में से 842 सिंचाई पंप कनेक्शन जारी करने के उपरांत 784 आवेदन कनेक्शन जारी करने हेतु लंबित है. विकासखण्डवार प्राप्त आवेदन जारी किये गये पंप कनेक्शन एवं लंबित आवेदनों की संख्या † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश "क" के लंबित 784 आवेदनों में से 690 आवेदनों में विद्युत लाइन विस्तार का कार्य लंबित होने से तथा 94 प्रकरणों में संबंधित आवेदक से लाइन विस्तार हेतु मांग की गई राशि का भुगतान अप्राप्त होने के कारण सिंचाईं पंप कनेक्शन जारी करने का कार्य लंबित है. अत: 690 ऐसे आवेदन, जिनमें सिंचाई पंप कनेक्शन हेतु विद्युत लाइन विस्तार आवश्यक है, के सभी प्रकरणों में लाइन विस्तार का कार्य 30 जून 2019 तक पूर्ण कर विद्युत कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य है. क्योंकि शेष 94 प्रकरणों में संबंधित आवेदक द्वारा मांग की गई राशि का भुगतान नहीं किया गया है, अत: उक्त 94 प्रकरणों में सिंचाई पंप कनेक्शन जारी करने हेतु वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जिला गरियाबंद में 132kv सब स्टेशन के स्वीकृत कार्यों की प्रगति

2. (क्र. 88) **श्री डमरूधर पुजारी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरियाबंद जिले के अंतर्गत विगत 03 वर्ष में 132kv के सब स्टेशन कहां-कहां स्वीकृत किए गए ? कितने सब स्टेशन का काम पूरा किया गया, कितने शेष है ? (ख) क्या स्वीकृत कार्य के लिए क्या समय सीमा तय है ? यदि हां तो स्वीकृत कार्य समय सीमा में पूर्ण हुए ? (ग) स्वीकृत लंबित कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जाऐंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) **:** (क) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में गरियाबंद जिले में केवल ग्राम इंदागांव में एक 132/33 के.व्ही. अति उच्चदाब सब स्टेशन स्वीकृत किया गया है. उक्त सब स्टेशन का निर्माण वर्तमान में प्रारंभ नहीं हुआ है, क्योंकि कार्य एजेंसी के चयन के लिये निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (ख) जी हां. उत्तरांश (क) में संदर्भित सब स्टेशन के लिये कार्य एजेंसी के चयन हेतु तैयार किये गये निविदा प्रपत्र में उक्त सब स्टेशन के निर्माण पूर्ण करने के लिये निर्धारित कालअवधि कार्य आदेश जारी करने के तारीख से 12 माह है. अत: उक्त स्वीकृत सब स्टेशन के कार्य पूर्ण होने के संबंध में वर्तमान में समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) उत्तरांश (क) और (ख) के परिपेक्ष्य में उक्त स्वीकृत सब स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा की जानकारी वर्तमान में बताया जाना संभव नहीं है.

जांजगीर चाम्पा जिले में अवैध विद्युत कनेक्शन पर की गई कार्यवाही

3. (क्र. 126) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चाम्पा में वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 में दिनांक 17-1-19 तक कितने अवैध विद्युत कनेक्शन के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? वर्षवार, संभागवार बतायें ? (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर में की गई कार्यवाही में कितने व्यवसायिक कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन एवं कृषि कनेक्शन हैं ? वर्षवार, श्रेणीवार, जानकारी बतायें ? (ग) उक्त की गई कार्यवाही में कितनी राशि का अर्थदण्ड किया गया ? श्रेणीवार, वर्षवार बतायें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) **:** (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला जांजगीर-चांपा में कनेक्शनों की जांच में कुल 2,479 अवैध विद्युत कनेक्शन चिन्हित हुए जिसके विरुद्ध की गई कार्यवाही की वर्षवार तथा संभागवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश "क" की तालिका में दर्शाए अवैध विद्युत कनेक्शनों में से व्यासायिक नहीं गैर घरेलू कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन एवं कृषि कनेक्शन की वर्षवार जानकारी

† परिशिष्ट "पन्द्रह"

†† परिशिष्ट "सोलह"

नीचे तालिका में दर्शित है :—

क्र.	उपभोक्ता श्रेणी	वर्ष		
		2016-17	2017-18	2018-19 में दिनांक 17-01-19 तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	गैर घरेलू कनेक्शन	33	149	34
2.	घरेलू कनेक्शन	888	813	116
3.	कृषि कनेक्शन	9	11	6
	कुल	**930**	**973**	**156**

(ग) उत्तरांश "क" की तालिका में दर्शाए गए अवैध विद्युत कनेक्शन धारक उपभोक्ताओं से नियमित बिल के साथ-साथ अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया. श्रेणीवार, वर्षवार अधिरोपित अर्थदण्ड, नियमित बिल एवं कुल वसूली योग्य राशि का विवरण नीचे तालिका में दर्शित है :—

क्र.	उपभोक्ता श्रेणी	वर्ष		
		2016-17 (राशि लाख रु. में)	2017-18 (राशि लाख रु. में)	2018-19 में दिनांक 17-01-19 तक (राशि लाख रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	गैर घरेलू कनेक्शन	53.40	35.42	22.93
2.	घरेलू कनेक्शन	252.49	178.31	103.91
3.	कृषि कनेक्शन	0.85	6.58	0.63
4.	अन्य	20.46	99.10	7.23
	कुल	**327.20**	**319.41**	**134.70**

नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से ली गई भूमि

4. (क्र. 134) **श्री धनेन्द्र साहू :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नया रायपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र (अटलनगर) के अंतर्गत किस-किस ग्राम की कितनी-कितनी भूमि किसानों से आपसी सौदा पद्धति से एवं अधिग्रहण करके ली गई है ? शासकीय भूमि कितनी-कितनी ली गई है ? एवं कितनी-कितनी भूमि को उपयोग हेतु नक्शा स्वीकृत किया जा चुका है ? कृपया ग्रामवार अलग-अलग जानकारी देवें ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) **:** जानकारी प्रपत्र (अ), (ब), (स) एवं (द) पर † संलग्न है.

राजनांदगांव व खैरागढ़ वन मंडल में विभिन्न कार्यों हेतु क्रय सामग्री

5. (क्र. 150) **श्री दलेश्वर साहू :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2016-17 से 17-1-2019 तक दुर्ग वन वृत्त के अधीन राजनांदगांव व खैरागढ़ वन मंडल में किन-किन फर्मों द्वारा कार्यों के लिये कितनी-कितनी राशि की सामग्री क्रय किया गया है ? परिक्षेत्रवार, कार्यवार, सामग्रीवार, राशिवार, दिनांकवार की जानकारी देवें ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) **:** इस विभाग के द्वारा फर्मों से संबंधित जानकारी संधारित नहीं की जाती है, इसलिए जानकारी दिया जाना अपेक्षित नहीं है.

† परिशिष्ट "सत्रह"

प्रदेश में राशनकार्डधारियों को राशन एवं अन्य सामग्री का प्रदाय

6. (क्र. 157) **श्री धरमलाल कौशिक :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दिनांक 17 जनवरी, 2019 की स्थिति में कितने बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. राशनकार्डधारी हैं ? जिलेवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें. (ख) कार्डधारियों को क्या-क्या एवं कितनी मात्रा में राशन एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करायी जाती है ? (ग) क्या वर्तमान में प्रत्येक परिवार को दी जा रही 7 कि.ग्रा. चावल की मात्रा को बढ़ाकर 35 कि.ग्रा. किये जाने की योजना है ? यदि हां तो कब से योजनांतर्गत हितग्राहियों को बढ़ी हुई मात्रा प्रदायित की जावेगी ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) **:** (क) दिनांक 17 जनवरी, 2019 की स्थिति में, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित किए जाने वाली वस्तुओं के लिए पात्र विभिन्न श्रेणियों के प्रचलित राशनकार्डों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है. (ग) जी नहीं. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है.

शासकीय विभागों के लंबित विद्युत देयक

7. (क्र. 182) **श्री धर्मजीत सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में रेल्वे सहित अन्य किन-किन शासकीय विभागों से कितनी धनराशि विद्युत देयकों के रूप में वसूली हेतु लंबित है तथा कब से ? (ख) विद्युत देयकों की वसूली के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) कंडिका "क" के विभागों से विद्युत देयक समय-सीमा में प्राप्त नहीं होने की दशा उनके विरुद्ध कार्यवाही के क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं, किन-किन विभागों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) **:** (क) रेल्वे सहित अन्य शासकीय विभागों से 31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में राशि 3676.66 करोड़ रुपये वसूली हेतु लंबित है. रेल्वे एवं शासकीय विभागों द्वारा लंबित बकाया राशि का समय-समय पर भुगतान किया जाता है. ऐसी स्थिति में विभागवार बकाया राशि कब से लंबित है, की जानकारी विभाग में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार संकलित कर †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गयी है. (ख) रेल्वे एवं सी.एस.पी.डी.सी.एल. ने आपसी सहमति से ट्रेक्शन बिन्दुओं पर विद्युत देयक से संबंधित विवाद के निपटारे पर आपूर्ति से संबंधित अनुबंध के प्रावधानों के अनुपालन में विवाद के समाधान हेतु तीन सदस्यीय आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल गठित किया है. जिस पर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. अन्य शासकीय विभागों के कनेक्शनों के विद्युत देयकों की बकाया राशि की वसूली हेतु संबंधित कार्यालय द्वारा पत्राचार/नोटिस जारी किये जाते हैं एवं विद्युत देयकों के भुगतान हेतु व्यक्तिगत सम्पर्क भी किया जाता है. वर्तमान में विद्युत देयकों की बकाया राशि वाले सभी शासकीय विभागों को भुगतान हेतु सूचना नोटिस जारी कर दिया गया है. (ग) उत्तरांश (क) के परिशिष्ट में सम्मिलित बकाया राशि वाले रेल्वे सहित शासकीय कनेक्शनों से बकाया राशि अप्राप्त होने पर विद्युत कनेक्शन काटने का प्रावधान है, लेकिन उत्तरांश (ख) में उल्लेखित कारण के परिपेक्ष्य में जनहित में विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाही को स्थगित रखने की प्रक्रिया प्रचलन में है.

बस्तर में आयरनयुक्त पानी की प्राप्त शिकायत

8. (क्र. 191) **श्री बघेल लखेश्वर :** क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2017 से 17-1-2019 तक किन-किन ग्राम पंचायतों/पारा/टोलों में फ्लोराईड/आयरन पानी की शिकायत प्राप्त हुई ? कितने हैण्डपंपों को पेयजल प्रतिबंधित कर चिन्हित किया गया है ? (ख) चिन्हित हैण्डपंपों के स्थान पर पेयजल हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) **:** (क) बस्तर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2017 से 17-01-2019 तक ग्राम पंचायतों/पारा/टोलों में फ्लोराईड/आयरन पानी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अपितु विभाग द्वारा कराये जल गुणवत्ता परीक्षण उपरांत 33 ग्राम पंचायतों के 33 ग्रामों के 49 पारा/टोलों के नलकूपों के पानी में आयरन की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक पायी गई है. जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार है. 49 हैण्डपंपों में स्वीकार्य मात्रा से अधिक आयरन पाये जाने के कारण पेयजल हेतु प्रतिबंधित किया गया है. (ख) चिन्हांकित हैण्डपम्पों के स्थान पर पेयजल हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार है.

---

† परिशिष्ट "अट्ठारह" †† परिशिष्ट "उन्नीस" ‡ परिशिष्ट "बीस"

जांजगीर-चांपा जिलांतर्गत विद्युत के पंजीकृत उपभोक्ता

9. (क्र. 262) **श्री नारायण चंदेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चाम्पा अंतर्गत 17-1-19 तक कितने उपभोक्ता पंजीकृत हैं ? उक्त उपभोक्ताओं का बिजली बिल कब तक आधा कर दिया जायेगा ? (ख) जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र सक्ती एवं विधान सभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा में 132 के.व्ही. के कितने सब स्टेशन हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) **:** (क) जिला जांजगीर-चाम्पा के अंतर्गत दिनांक 17-01-2019 की स्थिति में 3,16,226 उपभोक्ता हैं. वर्तमान में केवल घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल आधा करने का प्रस्ताव विचाराधीन है. अत: बिजली बिल कब तक आधा कर दिया जायेगा, बताना संभव नहीं है. (ख) जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सक्ती में निरंक एवं विधानसभा क्षेत्र जांजगीर-चाम्पा के चांपा में एक नग 132/33 के.व्ही. का सबस्टेशन स्थापित है.

केशकाल विधान सभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु जलआवर्धन योजना की स्वीकृति

10. (क्र. 274) **श्री सन्तराम नेताम :** क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक जलआवर्धन योजना के तहत कितने योजना कहां-कहां एवं कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति हुई है ? (ख) क्या उक्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं यदि नहीं तो कब तक पूर्ण होंगे ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) **:** (क) केशकाल विधासभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक 03 जल आवर्धन योजना क्रमश: केशकाल हेतु रु. 649.90 लाख व फरसगांव हेतु रु. 653.41 लाख तथा विश्रामपुरी हेतु रु. 591.30 लाख राशि की स्वीकृति हुई है. (ख) जी नहीं. विश्रामपुरी आवर्धन जल प्रदाय योजना का कार्य मार्च 2019 तक तथा केशकाल व फरसगांव आवर्धन जल प्रदाय योजना का कार्य दिसम्बर 2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है.

राष्ट्रीय राजमार्ग 53 फोर लाईन घोड़ारी से सरायपाली निर्माण में अवैध उत्खनन की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

11. (क्र. 286) **श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017 एवं 2018 में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 फोर लाईन घोड़ारी से सरायपाली तक के निर्माण में अवैध रूप से मिट्टी मुरूम उत्खनन के कितने प्रकरण जिला प्रशासन द्वारा किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किये गये पृथक-पृथक वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश क में पंजीबद्ध प्रकरणों में जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? पृथक-पृथक बतायें ? (ग) उक्त प्रकरणों में कितनी राशि बतौर जुर्माने के वसूल की गई ? कितनी राशि शेष है ? शेष राशि कब तक वसूल की जावेगी ? पृथक-पृथक बतायें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) **:** (क) वर्ष 2017 एवं 2018 में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 फोर लाईन घोड़ारी से सरायपाली तक के निर्माण में अवैध रूप से मिट्टी, मुरूम उत्खनन के कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं है. (ख), (ग) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है.

विकासखण्ड बलौदा के ग्रामों को मड़वा परियोजना में सी.एस.आर. मद अंतर्गत प्राप्त राशि

12. (क्र. 323) **श्री सौरभ सिंह :** क्या मुख्यमंत्री जी महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में मड़वा ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के बलौदा विकासखण्ड में प्रभावित ग्राम जवे और औरईकला में पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 15-01-2019 तक सी.एस.आर. मद में कितनी राशि किस-किस कार्य के लिये ग्राम पंचायतों को प्राप्त हुई है ? (ख) और कितनी-कितनी राशि के कितने प्रस्ताव किस कारण से लंबित हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) **:** (क) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा सी.एस.आर. फण्ड से जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के बलौदा विकासखण्ड में अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र से प्रभावित ग्राम जर्वे और औरईकला के ग्राम पंचायत जर्वे एवं ग्राम पंचायत औरईकला हेतु पृथक से कोई भी राशि उक्त पंचायतों में जमा नहीं की गई है. लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन

कंपनी लिमिटेड द्वारा कलेक्टर जांजगीर कार्यालय में सी.एस.आर. मद में जमा की गई कुल राशि रुपये 70,49,000 में से ग्राम पंचायत जर्वे हेतु राशि रुपये 6,19,000/- और ग्राम पंचायत औरईकला हेतु राशि रुपये 59,48,500/- के कार्य जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत किए गए हैं. जिला कलेक्टर कार्यालय में ग्राम पंचायतवार, वर्षवार, स्वीकृत कार्य का नाम, जमा की गई राशि तथा कार्य की स्वीकृत लागत का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश (क) के परिशिष्ट में दर्शित 10 कार्यों में से 03 कार्यों को छोड़कर शेष 07 कार्यों को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत किया गया है. स्वीकृत एवं अस्वीकृत कार्यों की वर्षवार, पंचायतवार जानकारी, विमुक्त की गई राशि एंव कार्य की अद्यतन स्थिति का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है.

----

† परिशिष्ट "इक्कीस"

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पूर्व मुख्यमंत्री/पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हेतु निर्धारित सुविधाएं

38. (क्र. 1) **श्री अजय चन्द्राकर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री/पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के लिए क्या-क्या सुविधा निर्धारित की गयी है ? इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का क्या कोई दिशा निर्देश है ? यदि हॉ तो क्या ? और नहीं तो क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) **:** जानकारी प्रपत्र "अ", प्रपत्र "ब" एवं प्रपत्र "स" में † संलग्न है.

जिला कोरबा के अंतर्गत वि. ख. करतला में खाद्य वितरण

2. (क्र. 53) **श्री ननकीराम कंवर :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिला के वि. ख. करतला के अंतर्गत ग्राम पंचायत फंतेगज का खाद्य वितरण किसके माध्यम से किया जाता है ? (ख) क्या उक्त पंचायत में राशि उपलब्ध नहीं होने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या उक्त पंचायत में स्व सहायता समूह द्वारा राशन वितरण करने हेतु आवेदन पत्र अ. नि. अ. कोरबा को दिया गया है ? अगर हां तो क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) **:** (क) कोरबा जिला के विकासखण्ड करतला के अंतर्गत ग्राम पंचायत फत्तेगंज में ग्राम पंचायत द्वारा उचित मूल्य दुकान संचालित कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है. (ख) जी नहीं. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ग) लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह द्वारा ग्राम पंचायत फत्तेगंज में उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रचलित है.

कोरबा जिला में वन परिक्षेत्र कुदमुरा के अंतर्गत वृक्षारोपण

3. (क्र. 54) **श्री ननकीराम कंवर :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिला अंतर्गत ग्राम फूलसरी वन परिक्षेत्र कुदमुरा में विभाग द्वारा किस मद से कब वृक्षारोपण किया गया है ? (ख) उक्त वृक्षारोपण में कितने मजदूर कब-कब कार्य किये है ? (ग) उक्त वृक्षारोपण हेतु पौधा ढुलाई एवं अन्य के लिए कौन-कौन से वाहन का प्रयोग किया गया ? किसका-किसका वाहन लगा हुआ था ? (घ) मजदूरों को मजदूरी कब कब किसके माध्यम से कितनी-कितनी राशि दी गई ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) **:** (क) ग्राम फूलसरी में दिनांक 15-7-2014 से 29-07-2014 तक बांस मिशन अंतर्गत कुल 20 हजार पौधा, दिनांक 11-07-2016 से 25-07-2016 तक कैम्पा मद से कुल 44 हजार पौधा एवं दिनांक 01-07-2017 से 29-09-2017 तक मनरेगा मद से कुल 01 लाख पौधा का रोपण किया गया. (ख) दिनांक 15-07-2014 से 29-07-2014 तक कुल 122 मजदूर, दिनांक 11-07-2016 से 25-07-2016 तक कुल 170 मजदूर तथा दिनांक 01-07-2017 से 29-09-2017 तक 1633 मजदूरों द्वारा कार्य किया गया. (ग) उक्त वृक्षारोपण हेतु पौधा ढुलाई एवं अन्य के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग किया गया. उक्त कार्य हेतु सर्व श्री गौहर अली, मिलाप सिंह, हेमनाथ, फितरन सिंह, चरण सिंह, अलीम खान, लीलाम्बर, सरवन कुमार, रामेश्वर सिंह, हेमंत बैगा, कीर्तन सिंह, श्यामलाल, ओमप्रकाश, रामसिंह, विजय शर्मा, प्रदीप शर्मा, कैलाश अग्रवाल का वाहन लगा हुआ था. (घ) मजदूरों को दिनांक 28-08-2014 से 29-08-2014 की अवधि में राशि 01 लाख 36 हजार 395 रुपये का नगद भुगतान किया गया. दिनांक 25-09-2016 को राशि 2 लाख 36 हजार 175 रुपये का नगद भुगतान किया गया. दिनांक 25-07-2017 से 07-10-2017 की अवधि में राशि 16 लाख 85 हजार 428 रुपये का भुगतान EFMS (Electronic Fund Management System) से किया गया.

बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में पेयजल हेतु स्वीकृत नल जल योजना

4. (क्र. 89) **श्री डमरूधर पुजारी :** क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र वृन्द्रानवागढ़ के अंतर्गत कितने गांवों में नल-जल योजना स्वीकृत है ? (ख) कंडिका (क) के क्षेत्र में पेयजल हेतु कितने हेन्डपंप चालू है व कितने बंद है ? (ग) कंडिका (क) के क्षेत्र में वर्ष 2016-17, 2017-18 में कहां-कहां नल-जल योजना की स्वीकृति की गई ? स्वीकृत कार्य कब तक पूर्ण किए गए ? लंबित प्रगतिरत कार्यों का ब्यौरा दें ?

---

† परिशिष्ट "बाईस"

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : (क) विधानसभा क्षेत्र बिन्द्रानवागढ़ के अन्तर्गत 77 गांवों में नलजल योजना स्वीकृत है. (ख) विधानसभा क्षेत्र बिन्द्रानवागढ़ के अंतर्गत पेयजल हेतु कुल 5811 हैण्डपम्प स्थापित है जिसमें से 5790 हैण्डपम्प चालू एवं 21 बन्द हैं. (ग) विधानसभा क्षेत्र बिन्द्रानवागढ़ के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में 05 तथा वर्ष 2017-18 में 03 नलजल योजनाओं की स्वीकृति की गई. सभी स्वीकृत 08 कार्य पूर्ण हो चुके हैं. स्वीकृत कार्यों की कार्य पूर्णता की तिथि † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम क्रमांक-05 में दर्शित अनुसार है. लंबित एवं प्रगतिरत कार्यों की जानकारी निरंक है.

सूरजपुर जिले में यातायात चालान से प्राप्त राजस्व

5. (क्र. 104) **श्री खेलसाय सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सूरजपुर जिले में वर्तमान में कितनी चेक पोस्ट व उड़नदस्ता कार्यरत है ? (ख) वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कितने वाहनों का चालान काटा गया हैं ? (ट्रक, बस, कार, दुपहिया वाहन) व कितनी राशि वसूल की गई हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) सूरजपुर जिले में वर्तमान में कार्यरत में परिवहन विभाग में चेकपोस्ट अथवा उड़नदस्ता कार्यरत नहीं है. (ख) परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 (माह जनवरी 2019 तक) में समय-समय पर चालान किए गए वाहनों की संख्या एवं वसूली की राशि का विवरण †† संलगन परिशिष्ट पर प्रदर्शित है.

सूरजपुर जिले में क्रेडा विभाग द्वारा लगाये गये सोलर पैनल

6. (क्र. 105) **श्री खेलसाय सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सूरजपुर में वर्ष 2015 से जनवरी 2019 तक क्रेडा विभाग द्वारा कहां-कहां पर सोलर पैनल लगाया गया ? लागत सहित स्थलवार अलग-अलग जानकारी देवें ? (ख) प्रशांक ''क'' अनुसार कितने पूर्ण है तथा कितने अपूर्ण हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि मे सूरजपुर जिले में क्रेडा द्वारा स्थापित सोलर पैनल की स्थलवार, क्षमता एवं लागत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ ' में दर्शित है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ ' में दर्शित है.

प्रदेश में सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ

7. (क्र. 119) **श्री मोहन मरकाम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने सार्वजनिक उपक्रम हैं तथा कौन-कौन से ? (ख) कितने सार्वजनिक उपक्रम लाभ अर्जित कर रहें हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रदेश में 22 सार्वजनिक उपक्रम है, जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गई है. (ख) कुल-11 सार्वजनिक उपक्रम लाभ अर्जित कर रहे है.

जांजगीर चाम्पा जिले में निर्मित विद्युत सब स्टेशन

8. (क्र. 131) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चाम्पा में कुल कितने 132/32 kv एवं 33/11 kv सबस्टेशन स्थापित हैं ? स्थान के नाम सहित बतायें ? (ख) जिला जांजगीर चाम्पा में कितने नये 132/32 kv एवं 33/11 kv सबस्टेशन स्थापित किये जा रहे हैं ? लागत राशि एवं कार्य एजेंसी का जानकारी बतायें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में 132/33 के. व्ही. के 06 एवं 33/11 के. व्ही. के 78 सब-स्टेशन स्थापित है. स्थापित 132/33 के. व्ही. एवं 33/11 के. व्ही सब-स्टेशनों की स्थलवार सूची ‡‡ संलग्न प्रपत्र (अ) में दर्शित है. (ख) जांजगीर-चांपा जिले में वर्तमान में 132/33 के. व्ही. का कोई भी सब स्टेशन निर्माणाधीन नहीं है, लेकिन रुपये 2,273 लाख के लागत व्यय पर 33/11 के. व्ही. के 12 सब स्टेशन निर्माणाधीन है. उक्त निर्माणाधीन सब स्टेशनों के निर्माण हेतु कार्य एजेंसी तथा स्थलवार सब स्टेशन के लागत की जानकारी ‡‡ संलग्न प्रपत्र (ब) में दर्शित है.

† परिशिष्ट "तेईस"   †† परिशिष्ट "चौबीस"   ‡ परिशिष्ट "पच्चीस"   ‡‡ परिशिष्ट "छब्बीस"

जांजगीर चाम्पा जिले में प्रचलित एवं निरस्त राशन कार्ड

9. (क्र. 132) **श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चाम्पा में कुल कितने राशन कार्ड प्रचलित है, एवं उक्त राशन कार्ड में क्या-क्या सामग्री किसी दर पर प्रदाय की जाती है ? (ख) वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कितने राशन कार्ड को निरस्त किया गया ? राशन कार्ड के प्रकार एवं निरस्त करने के कारण सहित बतायें. (ग) उक्त वित्तीय वर्ष में कितने नये राशन कार्ड बनाये गये या मृत कार्ड को पुन: प्रचलन में लाया गया ? वर्षवार बतायें ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जांजगीर जिले में दिनांक 25 जनवरी 2019 की स्थिति में कुल 4,30,073 राशन कार्ड प्रचलित है. उक्त राशनकार्डों हेतु सामग्री की पात्रताओं और उपभोक्ता दर की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ख) वित्तीय वर्ष 2017-18 में 12,739 राशनकार्ड एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 8,605 राशनकार्ड निरस्त किए गए है. निरस्त किए गए राशनकार्डों के प्रकार तथा कारणों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार हैं. (ग) वित्तीय वर्ष 2017-18 में 645 एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 161 नये राशनकार्ड जारी किए गए तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2,212 एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1,548 राशनकार्ड पुन: प्रचलन में लाए गए.

नया रायपुर में किसानों से अधिग्रहित जमीन

10. (क्र. 139) **श्री धनेन्द्र साहू :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नया रायपुर विकास अभिकरण द्वारा अभी तक किस किस ग्राम के कितनी-कितनी संख्या में किसानों से कितनी-कितनी रकबा में भूमि खरीदी या अधिग्रहण की गई है. कृपया ग्रामवार किसानवार रकबों की अलग-अलग जानकारी देवें. (ख) नया रायपुर विकास अभिकरण द्वारा जिस किसानों से भूमि लिया गया है उनके परिवारों के किस-किस ग्राम के किन-किन लोगों को अभी तक नौकरी या रोजागर प्रदान किया गया है ? कब-कब एवं किस-किस कार्यालयों या संस्थानों में या जगहों पर ? कृपया पूरी जानकारी देवे. (ग) "प्रश्नांश" (क) के उत्तर में वर्णित किसानों के परिवार के व्यक्तियों को रोजागर या नौकरी कब तक प्रदानय किया जावेगा ? कृपया जानकारी देवें.

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक एवं दो पर है. (ख) एवं (ग) अटल नगर विकास प्राधिकरण में जिन किसानों की भूमि ली गई है उनके परिवार के व्यक्तियों में से किसी को नौकरी/रोजगार प्रदान नहीं किया गया है. अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

प्रदेश के विभिन्न जिलों की रेत खदानों में अनियमितता, अवैध उत्खनन एवं परिवहन से जुर्माना राशि की वसूली

11. (क्र. 140) **श्री धनेन्द्र साहू :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में 17-1-19 तक प्रदेश के किस-किस जिले में स्वीकृत रेत खदानों में अनियमितता, रायल्टी चोरी, एवं अवैध उत्खनन तथा परिवहन की कार्यवाही कब-कब किन-किन व्यक्तियों पर की गई तथा खदान संचालनकर्ताओं से कितनी-कितनी राशि वसूली गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में 17-01-2019 तक प्रदेश में स्वीकृत रेत खदानों में "छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश-2006" के तहत् नियमों के उल्लघंन एंव अनियमितता को 02 प्रकरण एवं अवैध उत्खनन के 26 प्रकरण दर्ज कर रेत खदान संचालनकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई है. जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. रेत खदान संचालनकर्ताओं के विरूद्ध अवैध परिवहन का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है.

राजनांदगांव जिले के डीएमएफ मद में राशि का आवंटन

12. (क्र. 151) **श्री दलेश्वर साहू :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिले में वर्ष 2016-17 से 17-01-2019 तक डीएमएफ मद में कौन-कौन से खनिज स्रोत से कुल कितनी राशि का आवंटन प्राप्त किया गया है ? उक्त आर्वंटित राशि में से कितनी-कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : राजनांदगांव जिले में 2016-17 से 17-01-2019 तक राजनांदगांव जिला खनिज संस्थान न्यास की निधि में निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई है :-

---

† परिशिष्ट "सत्ताईस" †† परिशिष्ट "अट्ठाईस"

(राशि लाख रुपये में)

खनिज	2016-17	2017-18	2018-19 (17-01-2019 तक)
मुख्य खनिज	161.87	442.35	429.66
गौण खनिज	142.82	197.37	167.05
बालोद जिले से अंतरण से प्राप्त डीएमएफ की राशि	1388.43	1238.40	1481.53
ब्याज	24.71	21.24	16.16
योग -	**1717.83**	**1899.36**	**2094.40**

उक्त आवंटित राशि में से कार्यों के लिये स्वीकृत राशि की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	स्वीकृत राशि (राशि लाख रुपये में)
2016-17	2146.77
2017-18	4454.77
2018-19 (17-01-2019 तक)	3253.23
योग	**9854.77**

राजनांदगांव जिला में विकास यात्रा कार्यक्रम में व्यय राशि

13. (क्र. 152) **श्री दलेश्वर साहू :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18 से 17-01-19 तक राजनांदगांव जिले में विकास यात्रा कार्यक्रम में किस-किस तिथि को कहां-कहां पर कार्यक्रम आयोजित किये गये ? (ख) आयोजित कार्यक्रमों में मंच, पंडाल एवं कार्यक्रम में उपस्थित हितग्राहियों, जन समुदाय के आवागमन, भोजन व्यवस्था में कितनी-कितनी राशि किस-किस विभाग द्वारा किस-किस मद में खर्च की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) वर्ष 2017-18 से दिनांक 17-01-2019 तक राजनांदगांव जिले में आयोजित विकास यात्रा कार्यक्रम की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है. (ख) आयोजित कार्यक्रमों में मंच एवं पंडाल पर राशि रुपये 4,09,72,768.00 (रुपये चार करोड़ नौ लाख बहत्तर हजार सात सौ अड़सठ मात्र) व्यय किये गये. कार्यक्रम में उपस्थित हितग्राहियों, जन समुदाय के आवागमन पर राशि रुपये 59,83,878.00 (रुपये उनसठ लाख तिरासी हजार आठ सौ अठ्हत्तर मात्र), भोजन व्यवस्था पर राशि रुपये 25,60,314.00 (रुपये पच्चीस लाख साठ हजार तीन सौ चौदह मात्र) एवं अन्य व्यवस्था पर राशि रुपये 55,420.00 (रुपये पचपन हजार चार सौ बीस मात्र) व्यय किये गये. विभागवार एवं मदवार व्यय की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है.

बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल आवर्धन योजना के तहत स्वीकृत कार्य

14. (क्र. 159) **श्री धरमलाल कौशिक :** क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2014 से 17 जनवरी 2019 तक जल आवर्धन योजना अंतर्गत कब-कब, कितनी-कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? (ख) स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे ? (ग) क्या उक्त स्वीकृत कार्यों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

† परिशिष्ट "उन्तीस"

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : (क) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2014 से 17 जनवरी 2019 तक जल आवर्धन योजना अंतर्गत सरगांव नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना लागत रू. 293.05 लाख की स्वीकृत की गई है. (ख) स्वीकृत सरगांव आवर्धन जल प्रदाय योजना के अंतर्गत 65 प्रतिशत कार्य पूर्ण है. शेष कार्य जुलाई 2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है. (ग) जी हां. मुख्य अभियंता, बिलासपुर द्वारा जांच की जा रही है.

प्रदेश में उज्ज्वला योजना से हितग्राहियों के प्राप्त लाभ

15. (क्र. 160) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उज्ज्वला योजना प्रारंभ होने से 17 जनवरी 2019 तक कुल कितने हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जा चुका है एवं शेष कितने हैं ? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करायें ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : प्रदेश में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रश्नांकित अवधि के दौरान कुल 26,58,300 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है तथा 1,46,082 पात्र पाए गए हितग्राहियों शेष हैं, जिनकी जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत सामग्रियों का क्रय

16. (क्र. 168) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामोद्योग के अंतर्गत मंत्रालय, इन्द्रावती भवन, अरण्य भवन, डी. जी. पी. मुख्यालय एवं अटल विकास प्राधिकरण के कार्यलयों में कितनी-कितनी सामग्री की खरीदी कहां-कहां से कितनी-कितनी राशि की 17 दिसम्बर 2018 से 17 जनवरी 2019 तक की गई ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : ग्रामोद्योग के अंतर्गत मंत्रालय इन्द्रावती भवन, अरण्य भवन, डी. जी. पी. मुख्यालय एवं अटल विकास प्राधिकरण के कार्यालयों में 17 दिसम्बर 2018 से 17 जनवरी 2019 तक क्रय की गई सामग्री की जानकारी परिशिष्ट †† संलग्न है.

हाथियों के द्वारा हुई क्षति

17. (क्र. 169) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 17 दिसंबर 2018 से 17 जनवरी 2019 तक हाथियों के कारण किन-किन जिलों में आर्थिक एवं मानवीय क्षति हुई है ? (ख) कंडिका "क" की समस्या के लिए सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है ? (ग) कंडिका "क" की घटनाओं में जनहानि हुई है तो उनके नाम सहित ब्यौरा दें और दी गई सहायता का भी ब्यौरा दें ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : सरगुजा, सूरजपुर, महासमुंद, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, बलौदा बाजार, बिलासपुर, बलरामपुर एवं जशपुर जिले में मानवीय व आर्थिक क्षति हुई है. (ख) जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. (ग) कंडिका "क" की घटनाओं में जनहानि से संबंधित मृतक के नाम सहित ब्यौरा और प्रदाय मुआवजा राशि से संबंधित जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है.

दुर्ग संभाग के वन मंडल क्षेत्रों में NGO द्वारा किये गये कार्य

18. (क्र. 176) **श्री अरूण वोरा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में दुर्ग संभाग के अंतर्गत वन मंडल क्षेत्रों में किन-किन एनजीओ को कार्य कहां-कहां कौन-कौन से कार्य दिए गए ? (ख) इन एनजीओ द्वारा कौन-कौन से कार्य किए गए तथा कितना-कितना भुगतान विभाग द्वारा किया गया ? (ग) क्या इन एनजीओ के विरुद्ध गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की अवधि में दुर्ग संभाग के अंतर्गत बालोद वन मंडल क्षेत्र में मात्र वर्ष 2016-17 में नव आस्था जन विकास सेवा समिति अंबिकापुर (सरगुजा) को लोहारा, दल्ली, डौण्डी, बालोद एवं गुरूर परिक्षेत्र अंतर्गत 31 जैव विविधता समिति के गठन का कार्य दिया गया. (ख) इन एन. जी. ओ. द्वारा किए गए कार्य एवं भुगतान का विवरण निम्नानुसार है :-

† परिशिष्ट "तीस" †† परिशिष्ट "इकत्तीस" ‡ परिशिष्ट "बत्तीस"

वर्ष	एन. जी. ओ. का नाम	कार्य का नाम	भुगतान राशि (रुपये में)
2016-17	नव आस्था जन विकास सेवा समिति अंबिकापुर (सरगुजा)	जैव विविधता समिति के गठन का कार्य	3,50,000.00
2017-18	-	-	-

(ग) इन एन. जी. ओ. के विरुद्ध किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

दुर्ग जिले में विद्युत सब स्टेशनों की स्वीकृति

19. (क्र. 177) **श्री अरूण वोरा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में वर्ष 2015 से 2018 तक नए विद्युत सब स्टेशन की कहां-कहां कब-कब स्वीकृति प्रदान की गई ? क्या स्वीकृति पश्चात् कार्य पूर्ण करा दिए हैं ? यदि नहीं तो कब तक पूर्ण होगा ? (ख) उक्त वर्षों में दुर्ग जिले के अंतर्गत कितने ग्रामों एवं दुर्ग-भिलाई नगर निगम क्षेत्र के कितने वार्डों में लो वोल्टेज की शिकायतों के निराकरण हेतु कितने अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए गए ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में दुर्ग जिले में 33/11 के. व्ही. के नये 14 सब-स्टेशन के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 12 सब-स्टेशनों का निर्माण पूर्ण तथा शेष 02 सब-स्टेशनों का निर्माण अपूर्ण है. स्वीकृत एवं पूर्ण/अपूर्ण सब-स्टेशनों की स्थानवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में दुर्ग जिले में लो-वोल्टेज की समस्या से संबंधित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा दुर्ग, भिलाई नगर के आवासीय क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए 33/11 के. व्ही. के सब-स्टेशन में 11 अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर तथा 11/0.4 के. व्ही. के 271 अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य पूर्ण किया गया है.

बिलासपुर संभाग में अस्थायी विद्युत कनेक्शन को स्थायी करने के प्राप्त आवेदन

20. (क्र. 184) **श्री धर्मजीत सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2018 की स्थिति में कितने अस्थायी विद्युत कनेक्शन दिए गए है ? विकासखण्डवार ब्यौरा दें ? (ख) कितने प्रकरणों में अस्थायी कनेक्शन को स्थायी-कनेक्शन करने हेतु करने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं ? (ग) प्रकरण के निराकरण के लिए क्या समय सीमा तय है ? यदि हां तो जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि में कितने प्रकरण में अस्थायी कनेक्शन को स्थायी किया गया ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बिलासपुर राजस्व संभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बिलासपुर क्षेत्र तथा रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत 31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में 29062 अस्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान किये गये है. विकासखंडवार जानकारी परिशिष्ट में †† संलग्न है. (ख) उत्तरांश (क) के अस्थायी कनेक्शन में से 4,857 अस्थायी कनेक्शन को स्थायी कनेक्शन करने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं. (ग) जी हां. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान नेटवर्क से कनेक्शन जारी करने के लिए उपभोक्ता को जारी मांगपत्र में दर्शायी राशि का भुगतान प्राप्त होने पर क्रमश: 5 एवं 7 दिवस की समय सीमा निर्धारित है. चूंकि अस्थायी कनेक्शन को स्थायी कनेक्शन में स्वमेव परिवर्तित करने का नियम में नहीं है अत: अस्थायी कनेक्शन उपभोक्ता द्वारा स्थायी कनेक्शन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर विभागीय प्रक्रिया अनुसार जारी मांगपत्र का भुगतान उपभोक्ता से प्राप्त होने पर ही उन्हें विद्यमान नेटवर्क से साध्य होने पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में क्रमश: 5 एवं 7 दिवस में कनेक्शन देने हेतु समय सीमा निर्धारित है. केवल ऐसे प्रकरण जिसमें लाइन विस्तार आवश्यक हो के मामले में लाइन विस्तार के लिए आवश्यक राशि का भुगतान उपभोक्ता से प्राप्त होने के उपरांत 180 दिवस में विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु समय सीमा निर्धारित है. प्रश्नाधीन अवधि में बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 1,766 अस्थायी विद्युत कनेक्शनों को उपभोक्ता के आवेदन पर स्थायी किया गया है.

† परिशिष्ट "तैंतीस "

†† परिशिष्ट "चौंतीस"

बस्तर जिले में पर्यावरण संरक्षण हेतु आवंटित एवं व्यय राशि

21 (क्र. 192) **श्री बघेल लखेश्वर :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले को वर्ष 2017 से 17-1-2019 की स्थिति में पर्यावरण संरक्षण हेतु कितनी राशि आवंटित हुई ? आवंटित राशि में से कितनी राशि व्यय की गई ? विकासखंडवार ब्यौरा उपलब्ध करावें ? (ख) क्या आवंटित राशि के व्यय में अनियमितता/लैप्स होने की शिकायत प्राप्त हुई है ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) **:** (क) आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा बस्तर जिले के लिए प्रश्नाधीन अवधि में पर्यावरण संरक्षण कार्य हेतु कोई राशि आवंटित नहीं की गई है. अत: व्यय राशि एवं विकासखण्डवार ब्यौरा दिए जाने की आवश्यकता नहीं है. (ख) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नही होता है.

शासन द्वारा 35 किलो प्रति कार्ड चावल की योजना संबंधी

22 (क्र. 222) **श्री रजनीश कुमार सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन की 35 किलो प्रति कार्ड चावल देने की योजना है ? यदि हॉ तो कब तक ? इससे सरकार को कितनी अतिरिक्त भार व्यय करना पड़ेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) **:** जी हॉ. यह योजना राज्य शासन के समक्ष विचाराधीन है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है.

बेलतरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत स्वीकृत नल जल योजना एवं योजना का विस्तार

23. (क्र. 223) **श्री रजनीश कुमार सिंह :** क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेलतरा विधान सभा क्षेत्र मे कितने ग्राम पंचायतों में नल जल योजना चल रही है ? वर्ष 2018-19 में कितने कार्य स्वीकृत हुए ? (ख) कितने पंचायतों में नल जल योजना का विस्तार करने की योजना है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) **:** (क) बेलतरा विधान सभा क्षेत्र में 40 ग्राम पंचायतों में नलजल योजना चल रही है. वर्ष 2018-19 में 02 नलजल योजना के कार्य स्वीकृत हुए है. (ख) किसी भी ग्राम पंचायत में नलजल योजना के विस्तार करने की योजना नहीं है.

प्रदेश में सामान्य नागरिकों हेतु जारी राशन कार्ड

24 (क्र. 230) **श्री शिवरतन शर्मा :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में राज्य शासन द्वारा सामान्य नागरिकों हेतु किस-किस प्रकार के कितने राशन कार्ड जारी किये गये हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) **:** दिनांक 24 जनवरी, 2019 की स्थिति में, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित की जाने वाली वस्तुओं की पात्रता के लिए 14,65,627 अन्त्योदय राशनकार्ड, 42,73,686 प्राथमिकता राशनकार्ड, 7,265 अन्नपूर्णा राशनकार्ड, 55,328 निराश्रित राशनकार्ड एवं 10,737 नि:शक्तजन श्रेणी के राशनकार्ड प्रचलित हैं.

बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या

25. (क्र. 268) **श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्राम पंचायत, मजराटोला में लो वोल्टेज की समस्या है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) **:** विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ के किसी भी ग्राम पंचायत के किसी भी मजराटोला में वर्तमान में लो-वोल्टेज की समस्या हेतु शिकायत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में प्राप्त नहीं हुई है.

छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी द्वारा कार्यरत प्लांट एवं उनकी स्थिति

26. (क्र. 271) **श्री सत्यनारायण शर्मा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर उत्पादन कंपनी के वर्तमान में कितने पॉवर प्लांट कार्यरत है ? और कितने बंद है ? (ख) बंद पड़े पावर प्लांटों में तत्कालीन समय में एक वित्तीय वर्ष कितनी बिजली उत्पादित होती थी ? (ग) बंद पड़े पावर प्लांटों को पुन: चालू किये जाने के क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ? (घ) छत्तीसगढ़ राज्य पावर उत्पादन कम्पनी के पावर प्लांट बन्द होने के पश्चात कुल कितनी बिजली किस दाम पर वितरण कम्पनी द्वारा विगत 2 वित्तीय वर्ष में खरीदी गई तथा उसका उपयोग कितनी-कितनी कहां-कहां की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचालित एवं बंद पॉवर प्लांट की स्थलवार, क्षमतावार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश (क) के † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित कोरबा पूर्व में स्थापित 50 मेगावाट के 04 इकाईयों को अलग-अलग वित्तीय वर्ष में बंद किया गया है. तदानुसार प्रत्येक बंद किए गए इकाई से वित्तीय वर्ष में उत्पादित बिजली की जानकारी नीचे तालिका अनुसार है :-

क्र.	इकाई क्रमांक एवं किस वित्तीय वर्ष में बंद किया गया	क्षमता मेगावाट में	बंद किये गये वित्तीय वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष में उत्पादित बिजली मिलियन यूनिट में
1.	इकाई क्रमांक-1 2017-2018	50	वित्तीय वर्ष 2016-17 में 207.815 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादित
2.	इकाई क्रमांक-2 2017-2018	50	वित्तीय वर्ष 2016-17 में 230.460 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादित
3.	इकाई क्रमांक-3 2018-2019	50	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 250.511 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादित
4.	इकाई क्रमांक-4 2018-2019	50	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 207.532 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादित

(ग) बंद किए गए 50 मेगावाट क्षमता के 04 इकाईयों को पुन: चालू किए जाने का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है. (घ) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के 50 मेगावाट की 04 इकाईयों को अलग-अलग समय पर बंद करने के फलत: उत्पन्न बिजली की कमी के कारण विगत दो वित्तीय वर्षों में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में कुल 2939.57 मिलियन यूनिट्स विद्युत का क्रय रूपये 904.07 करोड़ मूल्य पर किया गया, तदानुसार क्रय की औसत दर रूपये 3.07 प्रति यूनिट आंकलित होती है. उक्त बिजली का उपयोग राज्य के विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई के लिए किया गया.

केशकाल विधान सभा क्षेत्र में उज्ज्वला योजना के तहत आवंटित गैस कनेक्शन

27 (क्र. 279) **श्री संतराम नेताम :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र केशकाल अंतर्गत 31-12-2018 की स्थिति में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने पात्र हितग्राही पंजीकृत किए गए हैं एवं कितने हितग्राही का गैस कनेक्शन का आवंटन किया गया है एवं कितने शेष हैं ? (ख) गैस कनेक्शन के आवंटन हेतु कौन-कौन सी एजेंसियों को कितना-कितना लक्ष्य दिया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) विधान सभा क्षेत्र केशकाल अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रारंभ होने से लेकर प्रश्नांकित अवधि तक कुल 17,419 हितग्राही पात्र पाए गए हैं, जिनमें से 16,686 हितग्राहियों को गैस कनेक्शन प्रदाय किया जा चुका है तथा 733 पात्र पाए हितग्राही शेष है. (ख) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन के आवंटन हेतु ऑयल कंपनियों के एलपीजी वितरकों हेतु राज्य द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है.

† परिशिष्ट "पैंतीस"

केशकाल विधान सभा क्षेत्र में क्रेडा द्वारा सौर संयंत्रों की स्थापना

28. (क्र. 280) **श्री संतराम नेताम :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र केशकाल में वर्ष 2015-16 से 31 दिसम्बर 2018 तक क्रेडा द्वारा कितने यूनिट और संयंत्र स्थापित किये गये हैं ? इनमें से कितने चालू एवं कितने बंद हैं ? (ख) सौर ऊर्जा स्थापित किये जाने हेतु अनुदान देने की क्या शर्तें हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) विधान सभा क्षेत्र केशकाल में वर्ष 2015-16 से 31 दिसम्बर 2018 तक क्रेडा द्वारा कुल 1446 नग सौर संयंत्र स्थापित किये गये हैं. इनमें से 1413 संयंत्र चालू एवं 33 नग संयंत्र बंद हैं. (ख) सौर ऊर्जा स्थापित किये जाने हेतु अनुदान देने की शर्तें † संलग्न प्रपत्र "अ", "ब" एवं "स" पर है.

महासमुन्द विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एच. पी. डी. एस. योजना के तहत चयनित ग्राम

29. (क्र. 295) **श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र महासमुन्द अन्तर्गत एच. पी. डी. एस. योजना के तहत किन-किन ग्रामों को चयनित किया गया है ? कुल राशि कितनी है ? (ख) प्रश्नांश क में वर्णित कार्यों के पूर्ण करने की समय सीमा क्या है ? कब तक कार्य पूर्ण किये जायेंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में एच. पी. डी. एस. नहीं हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम योजना के तहत महासमुन्द विधानसभा क्षेत्र के चयनित 184 ग्रामों में राशि रूपये 88.19 करोड़ की लागत पर उक्त सिस्टम के स्थापना का कार्य किया जा रहा है. उक्त योजना में सम्मिलित ग्रामों की सूची †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश 'क' में उल्लेखित ग्रामों में हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम योजना के तहत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने की समय-सीमा 25 फरवरी 2018 निर्धारित थी लेकिन स्थल पर फसल एवं कृषि कार्यों के कारण उक्त समयाअवधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जा सके. तद्नुसार उक्त परिस्थिति में स्वीकृत कार्यों को प्रगति के आधार पर दिसम्बर 2019 तक पूर्ण करने का प्रयास है.

सिरपुर क्षेत्र में कुमकी हाथियों पर व्यय राशि

30. (क्र. 296) **श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले में वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक में वन्य प्राणी एवं जंगली हाथियों द्वारा कितनी जनहानि हुई व कितने हेक्टेयर की फसल बर्बाद हुई है ? उक्त अवधि में जनहानि पर कितनी मुआवजा राशि व फसल क्षति पर कितनी मुआवजा राशि प्रदान की गई ? वर्षवार बतायें ? (ख) सिरपुर क्षेत्र में कर्नाटक से कितने कुमकी हाथी मंगाये गए हैं ? कुमकी हाथियों के, भोजन, रखरखाव व प्रशिक्षण में कितनी राशि खर्च की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) प्रश्नांश "क" की वर्षवार जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) कर्नाटक राज्य से कुमकी बनने योग्य 05 हाथियों को प्रदेश के सिरपुर क्षेत्र में लाया गया है. उक्त हाथियों के भोजन, रखरखाव तथा प्रशिक्षण पर राशि रूपये 73,58,719/- (तिहत्तर लाख अन्ठावन हजार सात सौ उन्नीस) व्यय हुआ है.

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में धान खरीदी एवं भंडारण

31. (क्र. 357) **श्री सौरभ सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 में अकलतरा और बलौदा तहसील के अंतर्गत कितने धान की खरीदी दिनांक 15-01-2019 तक की गयी है ? (ख) उपरोक्त धान का भंडारण/संग्रहण कहां कहां कितनी कितनी मात्रा में किया गया है ? (ग) संग्रहित धान की मिलिंग कब तक की जायेगी ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) खरीफ वर्ष 2018-19 में अकलतरा और बलौदा तहसील के धान खरीदी केन्द्रों में प्रश्नांकित अवधि तक 100882 टन धान की खरीदी की गई है. (ख) जानकारी ‡‡ संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) संग्रहित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य प्रचलित है तथा कस्टम मिलिंग की गति जिले की मिलिंग क्षमता के अलावा भारतीय खाद्य निगम की उसना चावल उपार्जन पर निर्भर करती है. अत: स्पष्ट समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

† परिशिष्ट "छत्तीस" †† परिशिष्ट "सैंतीस" ‡ परिशिष्ट "अड़तीस" ‡‡ परिशिष्ट "उन्चालीस"

प्रदेश में वन जीवों की गणना

32. (क्र. 358) **श्री सौरभ सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में अंतिम वन जीवों की गणना कब हुई थी ? उपरोक्त गणना में राज्य में तेंदुओं की कितनी संख्या कहां कहां पाई गई थी ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) **:** राज्य में वन जीवों की अंतिम गणना वर्ष 2014 में हुई थी. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी परिणाम अनुसार प्रदेश में 846 तेन्दुआ आंकलित किये गये हैं. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा क्षेत्रवार परिणाम जारी नहीं करने के कारण यह बताना संभव नहीं है कि राज्य में तेन्दुओं की कितनी संख्या कहाँ-कहाँ पाई गई.

जनवरी-मार्च 2019 सत्र

सोमवार, दिनांक 11 फरवरी, 2019

परिशिष्ट

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 170) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

पुलिस विभाग हेतु 01 डबल ईंजन हेलीकॉप्टर किराये से लेने के लिए जारी टेण्डर में भाग लेने वाली कम्पनियां एवं उनके द्वारा दर्शित राशि

टेण्डर नोटिस क्रमांक 176/587/डी0ओ0ए0/ओ0पी0एस0/टेण्डर/2015, दिनांक 23.01.2016

क्र	कम्पनियों के नाम	प्रस्तुत दर समस्त टैक्स सहित	रिमार्क
1	ढिल्लन एविएशन प्रा0 लि0 नई दिल्ली	3,03,425/- प्रति घण्टे	टेण्डर निरस्त
2	पवन हंस लिमि0, दिल्ली	अपात्र	
3	हेलिगो चार्टर लिमि0, मुम्बई,	3,37,775/- प्रति घण्टे	
4	इंडिया फ्लाई सेफ्टी एविएशन लि0, दिल्ली	3,60,675/- प्रति घण्टे	
5	थम्बी एविएशन प्रा0 लि0, तिरूवनन्तमपुररम	2,57,625/- प्रति घण्टे	

टेण्डर नोटिस क्रमांक 1308/587/डी0ओ0ए0/ओ0पी0एस0/टेण्डर/2016, दिनांक 13.07.2016

क्र	कम्पनियों के नाम	प्रस्तुत दर समस्त टैक्स सहित	रिमार्क
1	ढिल्लन एविएशन प्रा0 लि0 नई दिल्ली	3,32,350/- प्रति घण्टे	टेण्डर सफल रहा तथा विजेता कम्पनी ढिल्लन एविएशन प्रा0 लि0 नई दिल्ली को टेण्डर दिया गया
2	IFSAL नई दिल्ली	3,39,250/- प्रति घण्टे	
3	पवन हंस लिमि0, दिल्ली	अपात्र	
4	ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प, नई दिल्ली	3,62,250/- प्रति घण्टे	

टेण्डर नोटिस क्रमांक 1110 / 410 / डी0ओ0ए0 / ओ0पी0एस0 / टेण्डर / 2016, दिनांक 09.06.2016

क्र	कम्पनियों के नाम	प्रस्तुत दर समस्त टैक्स सहित	रिमार्क
1	ढिल्लन एविएशन प्रा0 लि0 नई दिल्ली	2,31,500 / – प्रति घण्टे	
2	ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प, नई दिल्ली	3,62,250 / – प्रति घण्टे	टेण्डर सफल रहा तथा विजेता कम्पनी ढिल्लन एविएशन प्रा0 लि0 नई दिल्ली को टेण्डर दिया गया
3	हेलिगो चार्टर लिमि0. मुम्बई,	3,60,000 / – प्रति घण्टे	

प्रपत्र "च"

राज्य शासन के उपयोग हेतु 01 डबल इंजन हेलीकॉप्टर किराये में लेने के लिए जारी टेण्डर में विजेता कम्पनी ढिल्लन एविएशन प्रा.लि. नई दिल्ली को दी गई राशि का ब्यौरा

क्र.	वर्ष तथा माह	किराये की भुगतान राशि
1.	अगस्त, 2016	22,62,913/–
2.	सितम्बर, 2016	1,44,64,893/–
3.	अक्टूबर, 2016	1,12,48,006/–
4.	नवम्बर, 2016	1,60,84,426/–
5.	दिसम्बर, 2016	1,86,57,935/–
6.	जनवरी, 2017	1,81,47,671/–
7.	फरवरी, 2017	1,45,98,005/–
8.	मार्च, 2017	59,01,321/–
9.	अप्रैल, 2017	1,14,25,489/–
10.	मई, 2017	1,57,96,016/–
11.	जून, 2017	1,10,16,501/–
12.	जूलाई, 2017	31,41,455/–
13.	अगस्त, 2017	20,48,775/–
14.	सितम्बर, 2017	54,86,165/–
15.	अक्टूबर, 2017	99,92,426/–
16.	नवम्बर, 2017	47,13,560/–
17.	दिसम्बर, 2017	1,73,23,530/–
18.	जनवरी, 2018	1,17,23,414/–
19.	फरवरी, 2018	1,44,67,438/–
20.	मार्च, 2018	2,94,59,959/–
21.	अप्रैल, 2018	1,70,30,230/–
22.	मई, 2018	1,57,07,275/–
23.	जून, 2018	82,01,000/–
24.	जूलाई, 2018	27,77,228/–
25.	अगस्त, 2018	39,60,965/–
26.	सितम्बर, 2018	84,68,270/–
27.	अक्टूबर, 2018	13,65,850/–
28.	नवम्बर, 2018	–
29.	दिसम्बर, 2018	–
	योग--	**29,54,70,716/–**

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 183) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में बारदानों की खरीदी हेतु प्रेषित मात्राओं एवं दरों की माहवार जानकारी

क्र.	माह	बारदाने की मात्रा (गठान में)	बारदाने की दर (रूपये प्रति गठान में)
1	अगस्त 2018	20800	25146.90
		20304	25144.10
	योग	**41104**	
2	सितम्बर 2018	41860	25378.90
		12720	25376.10
	योग	**54580**	
3	अक्टूबर 2018	52520	25378.90
		18000	25376.10
	योग	**70520**	
4	नवंबर 2018	38220	25696.95
		11904	25694.15
	योग	**50124**	
5	दिसंबर 2018	9100	26088.10
	कुलयोग	**225428**	

प्रपत्र "ब"

खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 में बारदाना परीक्षण की जानकारी

क्र	जिला	बारदाना परीक्षण करने वाले का नाम	परीक्षण दिनांक
1	रायपुर	जिला स्तरीय कमेटी	25.09.2018, 03.10.2018, 10.11.2018, 12.10.2018, 01.10.2018, 02.10.2018, 27.09.2018, 17.11.2018, 27.09.2018, 28.09.2018
		स्कैप इंडिया प्रा. लिमि.	24.11.2018
2	गरियाबंद	स्कैप इंडिया प्रा. लिमि.	03.12.2018
3	बलौदाबाजार	जिला स्तरीय कमेटी	08.10.2018, 10.10.2018, 11.10.2018
4	बेमेतरा	जिला स्तरीय कमेटी	13.10.2018, 18.10.2018
5	महासमुंद	जिला स्तरीय कमेटी	11.10.2018
6	धमतरी	जिला स्तरीय कमेटी	05.10.2018, 10.10.2018, 29.10.2018, 29.11.2018, 11.12.2018
7	बालोद	स्कैप इंडिया प्रा. लिमि.	03.10.2018, 23.11.2018
		जिला स्तरीय कमेटी	17.10.2018
		जूट कमिश्नर कार्यालय के साथ संयुक्त परीक्षण	26.10.2018, 27.10.2018, 03.12.2018, 28.12.2018
8	कांकेर	स्कैप इंडिया प्रा. लिमि.	05.10.2018, 06.10.2018
9	दुर्ग	जिला स्तरीय कमेटी	28.09.2018, 2.09.2018, 01. 10.2018
10	राजनांदगांव	जिला स्तरीय कमेटी	30.10.2018, 23.11.2018. 24.11.2018, 26.11.2018
		स्कैप इंडिया प्रा. लिमि.	18.11.2018, 19.11.2018, 20.11.2018, 21.11.2018, 22.11.2018, 26.11.2018, 27.11.2018, 28.11.2018
		जूट कमिश्नर कार्यालय के साथ संयुक्त परीक्षण	05.12.2018
11	कवर्धा	जिला स्तरीय कमेटी	09.10.2018, 22.10.2018, 29.11.2018, 19.12.2018, 28.12.2018, 29.12.2018
12	बिलासपुर	स्कैप इंडिया प्रा. लिमि.	10.10.2018

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 90) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऑफग्रिड के अविद्युतीकृत ग्राम/पारा/मजरोटोलों की जानकारी

क्रमांक	विकासखंड	ग्राम का नाम	पारा/टोला/मोहल्ला का नाम
1	प्रेमनगर	सरसताल	कोदोडांड, बरनवांपारा, अहिरपारा
2	प्रेमनगर	बल्देवनगर	हुडुखपखना
3	प्रेमनगर	ब्रम्हपुर	थरीमकनपारा
4	प्रेमनगर	शिवनगर	सुखेनडांड
5	प्रेमनगर	कोटेया	कुंडीपारा
6	प्रेमनगर	महगई	जूनामंसार
7	प्रेमनगर	पार्वतीपुर	ठिहाईपारा (जंगलपारा)
8	प्रेमनगर	सरस्वतीपुर	कोसमपानी
9	प्रेमनगर	सलका	महंतपारा
10	प्रेमनगर	तारकेश्वरपुर	धवईटिकरा
11	प्रेमनगर	नावापाराखुर्द	जंगलपारा
12			खासपारा
13			बेवरापारा
14	सूरजपुर	हरिपुर	नावापारा
15	सूरजपुर	राजापुर	खासपारा, राकडपारा
16	सूरजपुर	द्वारिकानगर	खासपारा
17	सूरजपुर	लटोरी	भण्डारपारा एवं खासपारा
18	सूरजपुर	ठाकुरपुर	खास
19	सूरजपुर	पेण्ड्राखी	अर्जूननगर
20	सूरजपुर	विशुनपुर	खुर्द
21	सूरजपुर	कंदरई	नेवारीडांड
22	सूरजपुर	लक्ष्मणपुर	रेल्वेलाईनपारा
23	सूरजपुर	सोनवाही	गौटीयापारा
24	सूरजपुर	कल्याणपुर	खुटेनपारा
25	सूरजपुर	धरमपुर	पथबहरा
26	सूरजपुर	कोट	महादेवडांड
27	सूरजपुर	लांचा	देवबहरापारा
28	सूरजपुर	पम्पापुर	झारपारा
29	सूरजपुर	लांची	सत्तीपारा, खालपारा
30			पण्डोपारा
31			उपरपारा
32	सूरजपुर	उमेशपुर	उपरपारा
33	सूरजपुर	कृष्णापुर	बांधपारा
34	सूरजपुर	भवराही	बांधपारा
35	सूरजपुर	देवीपुर	धोड़ापारा

36	सूरजपुर	चंदरपुर	तुर्रादुगु
37	सूरजपुर	पर्री	सरनापारा
38	सूरजपुर	पतरापारा	दिहराडांड एवं स्कूलपारा
39	सूरजपुर	नयनपुर	परोसनपारा
40	सूरजपुर	नेवरा	सड़कपारा
41	सूरजपुर	डुमरियां	गौटियापारा
42	सूरजपुर	नरेशपुर	हरिजनपारा
43	सूरजपुर	पसला	नरेशपुर रोड एव महादेवपारा
44			झूमरपारा
45	सूरजपुर	सरमा	नावापारा, सरनापारा
46			पतरापारा
47	सूरजपुर	नवगई	तलवापारा
48	सूरजपुर	नमदगिरी	खालपारा
49	सूरजपुर	बेलटिकरी	महोदेवपारा
50			ठिहाईपारा
51	सूरजपुर	खरसुरा	कटईपारा
52	सूरजपुर	करंजी	मंदिरपारा, सरईपारा
53			भट्ठीडांड
54	सूरजपुर	सरस्वतीपुर	बहरापारा
55	सूरजपुर	रामपुर	डांडपारा
56	सूरजपुर	सोहागपुर	ढ़ापनापारा
57	सूरजपुर	चम्पकनगर	सुटियापरा, खुटेनपारा
58	सूरजपुर	अगस्तपुर	नसरींपारा, झालपरा
59	सूरजपुर	परसापारा	अखोरियापारा, कदमपारा
60	सूरजपुर	जूर	साहूपारा, परसापारा
61	सूरजपुर	डबरीपारा	अहिरपारा
62	सूरजपुर	गंगोटी	गंगोटीपारा

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 270) के भाग (क) की जानकारी]

कार्य आयोजना पुनरीक्षण का विवरण

क्र.	वनमण्डल	पूर्व में प्रचलित कार्य आयोजना अवधि	नवीनीकरण का वर्ष
1	दक्षिण कोण्डागांव	2003–04 से 2014–15	2015–16
2	बस्तर	2005–06 से 2014–15	2015–16
3	मुंगेली	2005–06 से 2014–15	2015–16
4	जशपुर	2005–06 से 2015–16	2016–17
5	कोरिया	2005–06 से 2015–16	2016–17
6	नारायणपुर	2006–07 से 2015–16	2016–17
7	रायगढ़	2007–08 से 2016–17	2017–18
8	धरमजयगढ़	2007–08 से 2016–17	2017–18
9	पूर्व भानुप्रतापपुर	2007–08 से 2016–17	2017–18
10	पश्चिम भानुप्रतापपुर	2006–07 से 2016–17	2017–18
11	गरियाबंद	2007–08 से 2016–17	2017–18
12	सूरजपुर	2007–08 से 2016–17	2017–18
13	दंतेवाड़ा	2008–09 से 2017–18	2018–19
14	सुकमा	2008–09 से 2017–18	2018–19

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 125) की जानकारी]

क्र.	शासी परिषद की बैठक दिनांक	कुल अनुमोदित कार्यों की संख्या।	लागत राशि (लाख रूपये में)	अनुमोदित कार्यों में से अनुमोदित निर्माण कार्यों की संख्या	लागत राशि (लाख रूपये में)
1	10.10.2017	2204	30795.00	1982	28194.63
2	16.07.2018	3055	56128.53	2817	51028.04

परिशिष्ट "छ:"

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 28) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	कार्य विवरण	सूचिबद्ध व्यक्तियों / विशेषज्ञों / कंपनियों का नाम
1	क्रियेटिव सपोर्ट एजेंसी (छत्तीसगढ़ संवाद)	मेसर्स बेटर कम्युनिकेशन, मुंबई
2	व्हीकल माउंटेड एलईडी (छत्तीसगढ़ संवाद)	1.मेसर्स टचवुड इंटरटेनमेंट लिमिटेड, दिल्ली 2.मेसर्स व्यापक इंटरप्राईजेस, रायपुर 3.मेसर्स विडियो वाल इंडिया प्रा.लि मुंबई
3	बल्क एमएमएस / एसएमएस, वाईस काल सर्विस (छत्तीसगढ़ संवाद)	1.मेसर्स कन्सोल इंडिया कम्युनिकेशन प्रा. लि. रायपुर 2.मेसर्स विवा कनेक्ट, मुंबई
4	मैनेजमेंट ऑफ सोशल मीडिया(छत्तीसगढ़ संवाद)	मेसर्स क्युब्स मीडिया एण्ड ब्रॉण्डिंग प्रा.लि. रायपुर
5	सीनियर एडवाईजर (साहित्य एवं प्रकाशन) (छत्तीसगढ़ संवाद)	सुश्री संगीता एम. रसैली मिश्रा, भोपाल
6	एडवाईजर (दस्तावेजीकरण एवं संग्रह) (छत्तीसगढ़ संवाद)	श्री सत्येन्द्र खरे
7	फीडबैक एनालिसिस (छत्तीसगढ़ संवाद)	1.मेसर्स वार रूम स्ट्राटेजिस, अहमदाबाद 2.मेसर्सऐक्सिरा माई इंडिया लिमिटेड, मुंबई 3.मेसर्स इंटिगर मैनेजमेंट सर्विस प्रा.लि. नई दिल्ली
8	कन्टेंट क्रियेशन प्रोजेक्ट (दस्तावेजीकरण) (छत्तीसगढ़ संवाद)	1.मेसर्स ग्रीन कम्युनिकेशन, दिल्ली 2.मेसर्स वार रूम स्ट्राटेजिस, अहमदाबाद 3.मेसर्स कैक्टस, रायपुर 4.मेसर्स कार्टून वॉच, रायपुर 5.श्री रवि भोई रायपुर 6.डॉ. अशोक प्रधान रायपुर 7.मेसर्स मिशन मीडिया प्रा.लि. रायपुर 8.मेसर्स ब्रॉण्ड वन मीडिया सर्विसेस रायपुर 9.मेसर्स एस.बी. मल्टीमीडिया प्रा.लि.रायपुर 10.मेसर्स पिंक मीडिया इंटरटेनमेंट लिमिटेड रायपुर 11.मेसर्स पंचाक्षर कंसल्टेंसी एंड सर्विसेस रायपुर 12.मेसर्स नवसृजन न्यूज एंड मीडिया प्रा.लि रायपुर

9	ग्राफिटी 2डी 3डी वॉल आर्ट वर्क (छत्तीसगढ़ संवाद)	1.मेसर्स डिजाईन आर्ट –18, रायपुर 2.मेसर्स सुमित ग्राफिक्स एंड प्रिन्टर्स, रायपुर 3.मेसर्सएम.एस. एसोसियेट्स, भोपाल 4.मेसर्स ए.एस. एडवरटाईजर्स, रायपुर 5.मेसर्स नवसृजन मीडिया प्रा.लि. रायपुर 6.मेसर्स रंजीत सिंह राजपुत 7.मेसर्स रमा आर्ट्स पेंटिंग सरगुजा 8.मेसर्स सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन कंपनी, रायपुर 9.मेसर्स यूनी एडवरटाईजिंग, रायपुर
10	वॉल प्रिन्टिंग वर्क (छत्तीसगढ़ संवाद)	1.मेसर्स अभय पब्लिसिटी, रायपुर 2.मेसर्स दिवाकर मंडल, बलरामपुर 3.मेसर्स सुरमोहनी कला एवं संस्कृति संस्थान, बालोद 4.मेसर्स एम.एस. एसोसियेट्स, भोपाल 5.मेसर्स संतोष कुमार सोनी, गरियाबंद 6.मेसर्स ए.एस. एडवरटाईजर्स, रायपुर 7.मेसर्स कैयूमी प्रिंटिंग प्रेस, रायपुर 8.मेसर्स नवसृजन मीडिया, प्रा.लि. रायपुर 9.मेसर्स रंजीत सिंह राजपुत 10.मेसर्स रमा आर्ट्स पेंटिंग, सरगुजा 11.मेसर्स सिद्धि विनायक कंस्ट्रक्शन कंपनी रायपुर 12.मेसर्स यूनी एडवरटाईजिंग, रायपुर
11	छत्तीसगढ़ी फोक फ्यूजन/रॉक बैण्ड (छत्तीसगढ़ संवाद)	1. मेसर्स अनमोल प्रोडक्शन, रायपुर 2. मेसर्स ईरा फिल्मस, रायपुर 3. मेसर्स आरूग बैण्ड, रायपुर 4. मेसर्स जीपीआर स्ट्रेटजी, रायपुर 5. मेसर्स संजीवनी एग्रोविजन, रायपुर
12	पी. आर. एजेंसी (छत्तीसगढ़ संवाद)	1.मेसर्स वार रूम कम्युनिकेशन स्ट्राटेजिस, अहमदाबाद 2.मेसर्स कान्सेप्ट कम्युनिकेशन लिमिटेड नई दिल्ली 3.मेसर्स एड फैक्टर्स पीआर प्रा.लि. मुंबई 4.मेसर्स प्रभातम एडवरटाईजिंग प्रा.लि. नई दिल्ली
13	इवेन्ट मैनेजमेंट एजेंसी (छत्तीसगढ़ संवाद)	1.मेसर्स टच वुड इन्टरटेंमेंट नई दिल्ली 2.मेसर्स फ्यूचरवीज एडवरटाईजेस प्रा.लि नई दिल्ली 3.मेसर्स सेवेन्टी सेवन इन्टरटेंमेंट मुम्बई 4.मेसर्स व्यापक इन्टरप्राईजेस रायपुर 5.मेसर्स एड फैक्टर प्रा.लि. मुम्बई

14	लोक कलाकार, एलईडी लाईट एवं साउंड (छत्तीसगढ़ संवाद)	1.मेसर्स प्रो. क्राफ्ट भिलाई 2.मेसर्स आसरा लाईट एंड साउण्ड भिलाई 3.मेसर्स संवेदना डेव्हलपमेंट सोसायटी पटना
15	डिजीटल मीडिया पब्लिक पालिसी कम्युनिकेशन एडवाईजर (छत्तीसगढ़ संवाद)	श्री हरप्रीत सिंह ढोढ़ी, रायपुर
16	मोबाईल ऐप कम ओटीटी चैनल (छत्तीसगढ़ संवाद)	मेसर्स एस.बी. मल्टी मीडिया प्रा.लि. रायपुर
17	सीटी बस में विज्ञापन (छत्तीसगढ़ संवाद)	1.मेसर्स ए. एस. एडवरटाईजर्स रायपुर 2.मेसर्स निर्माण एडवरटाईजिंग रायपुर 3.मेसर्स नव जीवन बस सर्विस, रायपुर 4.मेसर्स नव जीवन महिन्द्रा बस सर्विस रायपुर
18	डेव्हलपमेंट ऑफ मीडिया मानिटरिंग (छत्तीसगढ़ संवाद)	मेसर्स एस.बी. मल्टीमीडिया प्रा.लि. रायपुर
19	एवी एंड क्रियेटिव कंटेंट साल्युशन (छत्तीसगढ़ संवाद)	मेसर्स मूविंग पिक्सल प्रा.लि. अहमदाबाद
20	3डी लेंटीक्युलर प्रिंटिंग (छत्तीसगढ़ संवाद)	मेसर्स टाको विजन प्रा.लि. मुम्बई
21	विडियो फिल्म प्रोडक्शन (छत्तीसगढ़ संवाद)	मेसर्स मूविंग पिक्सल प्रा.लि. अहमदाबाद
22	डिजिटल एडवरटाईजिंग इन मोबाईल प्लेटफार्म (छत्तीसगढ़ संवाद)	मेसर्स मीडिया जंक्शन दिल्ली
23	मोबाईल एंड्राईड एप्लीकेशन (छत्तीसगढ़ संवाद)	मेसर्स पेलोरस टेक्नोलॉजी प्रा.लि. मुंबई
24	फिल्म/टीवी स्पाट निर्माण (छत्तीसगढ़ संवाद)	1.मेसर्स साफ्टलाईन स्टूडियो सर्विस नई दिल्ली 2.मेसर्स ओरीए प्रोडक्शन प्रा.लि. मुंबई 3.मेसर्स खोजी पिक्चर्स प्रा.लि. दिल्ली 4.मेसर्स जिनियश मीडिया प्रा.लि. नई दिल्ली 5.मेसर्स पद्मश्री प्रोडक्शन प्रा.लि. भोपाल 6.मेसर्स स्पॉन कम्युनिकेशन नई दिल्ली 7.मेसर्स फेम 24 क [illegible] निकेशन प्रा.लि. दिल्ली 8.मेसर्स इएसपी फि[illegible]स नई दिल्ली 9.मेसर्स एनएसबी प्रोडक्शन नई दिल्ली 10.मेसर्स द 24 फ्रेम्स प्रोडक्शन भोपाल 11.मेसर्स ब्लो सबमरिन बैंगलोर

		12.मेसर्स अभ्युदय इंटरटेनमेंट रायपुर 13.मेसर्स हरि ओम फिल्म्स रायपुर 14.मेसर्स करात मीडिया गुरूग्राम 15.मेसर्स न्यूज एंड व्यू भोपाल 16.मेसर्स एनेक्स कम्युनिकेशन, जबलपुर 17.मेसर्स एल्युमनी एसोसियेशन दिल्ली 18.मेसर्स फिल्म एंबिशन नई दिल्ली 19.मेसर्स न्यूटेक इंटरटेनमेंट नई दिल्ली 20.मेसर्स सच कम्युनिकेशन प्रा.लि. रायपुर 21.मेसर्स इडिजेनश प्यूपल मीडिया दिल्ली 22.मेसर्स शिवम फिल्म्स भोपाल 23.मेसर्स कार्तिकेय इंटरटेनमेंट भोपाल 24.मेसर्स श्रद्धा आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन भोपाल 25.मेसर्स विचार फिल्म्स भोपाल 26.मेसर्स संजीवनी एग्रो विजन रायपुर 27.मेसर्स आई इंटरटेनमेंट रायपुर 28.मेसर्स नवसृजन न्यूज एंड मीडिया प्रा. लि. रायपुर 29.मेसर्स क्युब्स मीडिया प्रा.लि. रायपुर 30.मेसर्स स्वप्निल फिल्म प्रोडक्शन रायपुर 31.मेसर्स बीएसआर फिल्म्स रायपुर 32.मेसर्स ईरा फिल्म्स रायपुर 33.मेसर्स विडियो वर्ल्ड रायपुर 34.मेसर्स सुन्दरम फिल्म्स रायपुर 35.मेसर्स मिशन मीडिया रायपुर 36.मेसर्स अनुमोद फिल्म्स रायपुर 37.मेसर्स व्यापक इंटरप्राईजेस रायपुर 38.मेसर्स प्रो–क्रॉफ्ट रायपुर 39.मेसर्स वेवलेंग्थ पिक्चर दिल्ली 40.मेसर्स बनयान इंफो मीडिया प्रा.लि. नई दिल्ली 41.मेसर्स पमकिन इंटरटेनमेंट गुरूग्राम 42.मेसर्स अक्षत प्रोडक्शन रायपुर 43.मेसर्स विमोर विडियो विजन दिल्ली 44.मेसर्स अंजु विजुअल्स दिल्ली 45.मेसर्स इंडस इंटरटेनमेंट ब्राडकास्ट सर्विस भोपाल 46.मेसर्स नर्मदा फिल्म भोपाल 47.मेसर्स आधार कला केन्द्र भोपाल 48.मेसर्स एस बी मल्टीमीडिया प्रा.लि. रायपुर 49.मेंसर्स निआन [illegible] मुंबई

25	रेडियो जिंगल (छत्तीसगढ़ संवाद)	1.मेसर्स साफ्टलाईन स्टूडियो सर्विस नई दिल्ली 2.मेसर्स एनएसबी प्रोडक्शन नई दिल्ली 3.मेसर्स सच कम्युनिकेशन रायपुर 4.मेसर्स संजीवनी एग्रो विजन रायपुर 5.मेसर्स क्यूब्स मीडिया प्रा.लि. रायपुर 6.मेसर्स अभ्यूदय इंटरटेनमेंट रायपुर 7.मेसर्स बीएसआर फिल्म्स रायपुर 8.मेसर्स प्रचार कम्युनिकेशन मुंबई 9.मेसर्स देवश्री प्रोडक्शन रायपुर 10.मेसर्स करात मीडिया गुरुग्राम
26	मुद्रण (छत्तीसगढ संवाद)	1.मेसर्स विजन पब्लिकेशन भोपाल 2.मेसर्स आशीष स्टेशनरी रायपुर 3.मेसर्स प्रिन्ट हाउस रायपुर 4.मेसर्स महावीर आफसेट प्रिंटर्स रायपुर 5.मेसर्स सागर प्रिन्टर्स रायपुर 6.मेसर्स कैयूमी प्रिंटिंग प्रेस रायपुर 7.मेसर्स टैक्नो प्रिंटर्स रायपुर 8.मेसर्स शारदा आफसेट प्रिंटर्स रायपुर 9.मेसर्स अंकित प्रकाशन रायपुर 10.मेसर्स छत्तीसगढ़ प्रिंटर्स रायपुर 11.मेसर्स सुमित ग्राफिक्स एंड प्रिंटर्स रायपुर 12.मेसर्स वीरांगना प्रिंटर्स एंड स्टेशनरी रायपुर 13.मेसर्स श्रीराम प्रिंटर्स एंड स्टेशनरी रायपुर 14.मेसर्स अश्वनी प्रिंटर्स रायपुर 15.मेसर्स स्वास्तिक प्रिंटर्स रायपुर 16.मेसर्स साथी इंटरप्राईजेस भिलाई 17.मेसर्स जयश्री मार्केटिंग भिलाई 18.मेसर्स मां दुर्गा प्रिंटर्स रायपुर
27	होर्डिंग्स (छत्तीसगढ संवाद)	1.मेसर्स ए.एस. एडवरटाईजर्स रायपुर 2.मेसर्स देशकर एडवरटाईजिंग रायपुर 3.मेसर्स विनायक एडवरटाईजिंग रायपुर 4.मेसर्स व्यापक इंटरप्राईजेस रायपुर 5.मेसर्स राघव एडवरटाईजिंग रायपुर

28	फ्लैक्स मुद्रण (छत्तीसगढ़ संवाद)	1.मेसर्स एम.बी. ट्रेडर्स रायपुर 2.मेसर्स श्रीराम डिजिटल प्रिंट रायपुर 3.मेसर्स ए.एस. एडवरटाईजर्स रायपुर 4.मेसर्स व्यापक इंटरप्राईजेस रायपुर 5.मेसर्स देशकर एडवरटाईजिंग रायपुर 6.मेसर्स मां दुर्गा प्रिन्टर्स रायपुर 7.मेसर्स अरूण प्रिंटर्स एंड कम्प्यूटर्स ग्राफिक्स रायपुर
29	स्टेशनरी सप्लाई (छत्तीसगढ़ संवाद)	1.मेसर्स बालाजी कंप्यूटर्स रायपुर 2.मेसर्स डिजिटल जोन रायपुर 3.मेसर्स आर.के. इंटरप्राईजेस रायपुर 4.मेसर्स साई ट्रेडर्स रायपुर 5.मेसर्स श्रीवर्धन इंटरप्राईजेस रायपुर 6.मेसर्स यश स्टेशनरी हाउस रायपुर 7.मेसर्स गनपति ट्रेडर्स रायपुर
30	रोजगार और नियोजन प्रिंटिंग एजेंसी (छत्तीसगढ़ संवाद)	1.मेसर्स मिशन मीडिया प्रा.लि. रायपुर 2.मेसर्स साथी इंटरप्राईजेस भिलाई
31	राज्य शासन के विभिन्न विभागों का सोशल मीडिया संधारण (जनसंपर्क)	भारत सरकार की नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर, नई दिल्ली में इम्पैनल्ड सिल्वर टच टेक्नालाजी अहमदाबाद
32	सोशल मीडिया मैनेजमेंट (जनसंपर्क)	यूएनडीपी, नई दिल्ली
33	फोटो आर्काइविंग (जनसंपर्क)	ल्यूमिनस
34	समाचार एजेंसियां (जनसंपर्क)	1.यू.एन.आई. नई दिल्ली
		2.पी.टी.आई. नई दिल्ली
		3.ई.एम.एस. भोपाल 4.आर.एन.एस. रायपुर
		5.हिन्दुस्थान समाचार नई दिल्ली
		6.आई.ए.एन.एस., नई दिल्ली
		7.सी.एन.आई.एन. रायपुर
		8.भारत न्यूज सर्विस, रायपुर
		9.स्टेट न्यूज सर्विस, रायपुर
		10.आई.एम.एन.बी. रायपुर
		11.आई.एन.एस. रायपुर
		12.एशियन न्यूज सर्विस रायपुर
		13.विजन न्यूज सर्विस रायपुर
		14.ए.एन.आई. आर्काईब
		15.ए.एन.आई. न्यूज एजेंसी
		16.जन न्यूज सर्विस रायपुर
		17.टाईम न्यूज सर्विस, रायपुर
		18.दैव्यांश कम्यूनिकेशन
		19.द न्यूज इण्डिया
34	फोटो प्रदर्शनी (जनसंपर्क)	साई आफिस आटोमेशन रायपुर

35	सत्कार (जनसंपर्क)	सागर ट्रैवल्स, रायपुर
36	विभिन्न अवसरों पर फोटो एलबम (जनसंपर्क)	1. मे0 स्टूडियो गैलेक्सी, रायपुर 2. मे0 कृति इमेजिन रायपुर 3. मे0 पैराडाइज मीडिया, रायपुर 4. मे0 कृति फोटो रायपुर
37	कलर फोटो प्रिंट एवं फोटोग्राफर की सेवाएं (जनसंपर्क)	1. मे0 संजीवनी एग्रोविजन इंटरप्राइजेज, रायपुर 2. मे0 मिशन मीडिया प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर 3. मे0 कृति फोटो, रायपुर 4. मे0 श्रद्धा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोग्राफी, रायपुर
38	विभिन्न सामग्रियों का क्रय (जनसंपर्क)	1. मे0 कृति इमेजिन रायपुर 2. मे0 कय्यूमी प्रिंटिंग प्रेस रायपुर 3. मे0 गोल्डन मूवमेंट रायपुर 4. मे0 साई ऑफिस आटोमेशन रायपुर 5. मे0 महावीर ऑफसेट प्रिंटर्स रायपुर 6. मे0 आशीष इंटरप्राइजेस रायपुर

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 87) के भाग (क) की जानकारी]

उदंती वन अभ्यारण्य क्षेत्र के वन्यप्राणियों/वनभैंसों के संरक्षण/संवर्धन के लिए मदवार आवंटन एवं व्यय का विवरण

(राशि रूपये में)

वित्तीय वर्ष	मद का नाम	दी गई राशि	व्यय राशि
1	2	3	4
2016–17	10–(3943) वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकारा	79,40,000	79,37,221
	41–(5090) जैव विविधता का संरक्षण	33,84,000	33,83,992
	41–(3730) प्रोजेक्ट टायगर	29,38,488	29,38,424
	41–(7459) वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों में प्राकृतवास का समन्वित विकास	70,000	69,062
	10–(2900) अभ्यारण्य क्षेत्र	4,00,000	4,00,000
	योगः–	**1,47,32,488**	**1,47,28,699**
2017–18	10–(6609) वन विकास उपकर निधि	15,93,000	15,93,000
	10–(3943) वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास	30,50,000	30,47,572
	41–(5090) जैव विविधता का संरक्षण	27,98,000	27,95,945
	41–(3730) प्रोजेक्ट टायगर	19,75,600	19,75,600
	41–(7459) वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों में प्राकृतवास का समन्वित विकास	23,32,000	23,28,948
	योगः–	**1,17,48,600**	**1,17,41,065**
	महायोगः–	**2,64,81,088**	**2,64,69,764**

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 167) के भाग (क) की जानकारी]

प्रदेश में 15 जनवरी 2019 की स्थिति में विद्यमान विद्युत उपभोक्ताओं की श्रेणीवार संख्या

विवरण	बी.पी.एल.	घरेलू	गैर घरेलू	कृषि एवं एलाईड	औद्योगिक	सड़क बत्ती एवं जल प्रदाय	अस्थांई	रेल्वे	कुल
	1	2	3	4	5	6	8	9	10
निम्नदाब	1950959	2640016	335237	420399	32035	30898	102547	0	5512091
उच्चदाब	0	55	547	15	2189	61	0	23	2890
कुल	1950959	2640071	335784	420414	34224	30959	102547	23	5514981

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 206) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

विधानसभा क्षेत्र मस्तूरी अंतर्गत स्थापित 33/11 केव्ही के सबस्टेशनों से विद्युत आपूर्ति किये जा रहे ग्रामों की जानकारी

ग्राम का क्रमांक	33/11 उपकेन्द्र का नाम	सब-स्टेशन से जुड़े ग्राम	लो-वोल्टेज की शिकायत प्राप्त ग्राम	ग्राम का क्रमांक	33/11 उपकेन्द्र का नाम	सब-स्टेशन से जुड़े ग्राम	लो-वोल्टेज की शिकायत प्राप्त ग्राम
1	खम्हरिया	जेवरा	कोई शिकायत नहीं	1	मस्तुरी	कर्रा	कोई शिकायत नहीं
2		अदराली	कोई शिकायत नहीं	2		लिमतरा	कोई शिकायत नहीं
3		निरतु	कोई शिकायत नहीं	3		खपरी	कोई शिकायत नहीं
4		कुकदा	कोई शिकायत नहीं	4		दर्रीघाट	कोई शिकायत नहीं
5		बिटकुला	कोई शिकायत नहीं	5		लावर	कोई शिकायत नहीं
6		सोंठी	कोई शिकायत नहीं	6		किरारी	कोई शिकायत नहीं
7		पिपरानार	कोई शिकायत नहीं	7		भदौरा	कोई शिकायत नहीं
8		मुड़ई	कोई शिकायत नहीं	8		मोहतरा	कोई शिकायत नहीं
9		कुली	कोई शिकायत नहीं	9		कोसमडीह	कोई शिकायत नहीं
10		खम्हरिया	कोई शिकायत नहीं	10		देवगांव	कोई शिकायत नहीं
11		लुतरा	कोई शिकायत नहीं	11		हिर्री	कोई शिकायत नहीं
12		धनिया	कोई शिकायत नहीं	12		रिस्दा	कोई शिकायत नहीं
13		भौराडीह	कोई शिकायत नहीं	13		पंडरी	कोई शिकायत नहीं
14		बनियाडीह	शिकायत प्राप्त	14		कोहरौदा	कोई शिकायत नहीं
15		जुहली	कोई शिकायत नहीं	15		मस्तुरी	कोई शिकायत नहीं
16		खांडा	कोई शिकायत नहीं	16		आंखडीह	कोई शिकायत नहीं
17		उनी	कोई शिकायत नहीं	17		कोनी	कोई शिकायत नहीं
18		परसाही	कोई शिकायत नहीं	18		परसदावेदी	कोई शिकायत नहीं
1	मल्हार	थेम्हापारा	कोई शिकायत नहीं	19		सरगवां	कोई शिकायत नहीं
2		सरसेनी	कोई शिकायत नहीं	20		खोरसी	कोई शिकायत नहीं
3		मटिया	कोई शिकायत नहीं	21		दलदली	कोई शिकायत नहीं
4		विद्याडीह	कोई शिकायत नहीं	22		डोडकी	कोई शिकायत नहीं
5		कुटेला	कोई शिकायत नहीं	23		चौहा	कोई शिकायत नहीं
6		ठाकुरदेवा	कोई शिकायत नहीं	24		टिकारी	शिकायत प्राप्त
7		भगवानपाली	कोई शिकायत नहीं	25		पथरताल	कोई शिकायत नहीं
8		हरदी-नेवरी	कोई शिकायत नहीं	26		मुडपार	कोई शिकायत नहीं
9		धनगवां	कोई शिकायत नहीं	27		पाली	कोई शिकायत नहीं
10		नेवारी	कोई शिकायत नहीं	28		ईटवा	कोई शिकायत नहीं
11		बिनौरी	कोई शिकायत नहीं	29		डोमगांव	कोई शिकायत नहीं
12		मल्हार (न.पं.)	कोई शिकायत नहीं	30		कोकडी	कोई शिकायत नहीं

		[illegible]	कोई शिकायत नहीं	20	पचपडी	गिधपुरी	कोई शिकायत नही
2		[illegible]	कोई शिकायत नहीं	21		बहतरा	कोई शिकायत नहीं
3		बोहारडीह	शिकायत प्राप्त	22		आमाकोनी	कोई शिकायत नहीं
4		केवटाडीह	कोई शिकायत नहीं	23		भटचौरा	कोई शिकायत नहीं
5		भूतहा	कोई शिकायत नहीं	24		आमगांव	कोई शिकायत नहीं
6		लोहर्सी	शिकायत प्राप्त	25		हरदी	कोई शिकायत नहीं
7		चिरहा	कोई शिकायत नहीं	26		गोबरी	कोई शिकायत नहीं
8		हरदी	कोई शिकायत नहीं	27		कुकुर्दीकेरा	कोई शिकायत नहीं
9		शिवरीकारी	कोई शिकायत नहीं	28		सेमराडीह	कोई शिकायत नहीं
10		जोधरा	शिकायत प्राप्त	29		जैतपुर	कोई शिकायत नहीं
11		मिलोनी	कोई शिकायत नहीं	30		पतईडीह	शिकायत प्राप्त
12		सोनसरी	कोई शिकायत नहीं	31		मानिकचौरी	शिकायत प्राप्त
13		सोन	शिकायत प्राप्त	32		खपरी	कोई शिकायत नहीं
14		बसंतपुर	कोई शिकायत नहीं	33		रहटाटोर	कोई शिकायत नहीं
15		परसोडी	शिकायत प्राप्त	34		मनवा	कोई शिकायत नहीं
16		गोपालपुर	कोई शिकायत नहीं	35		मचहा	कोई शिकायत नहीं
17		कुकुर्दीकला	कोई शिकायत नहीं	1	सीपत	पोडी	कोई शिकायत नहीं
18		अमलडीह	कोई शिकायत नहीं	2		बम्हनीकला	कोई शिकायत नहीं
19		मुकुंदपुर	कोई शिकायत नहीं	3		कैमाडीह	कोई शिकायत नहीं
20		उदईबंद	कोई शिकायत नहीं	4		कारीछापर	कोई शिकायत नहीं
1	[illegible]	[illegible]	कोई शिकायत नहीं	5		ठरकपुर	कोई शिकायत नहीं
2		डगनिया	कोई शिकायत नहीं	6		नरगोडा	कोई शिकायत नहीं
3		धुवांकारी	कोई शिकायत नहीं	7		नवांगांव	कोई शिकायत नहीं
4		जुनवानी	कोई शिकायत नहीं	8		कौआताल	कोई शिकायत नहीं
5		कटहा	कोई शिकायत नहीं	9		बरेली	कोई शिकायत नहीं
6		जलसो	कोई शिकायत नहीं	10		सीपत	कोई शिकायत नहीं
7		भरारी	कोई शिकायत नहीं	11		गुडी	कोई शिकायत नहीं
8		केवटाडीह(टांगर)	कोई शिकायत नहीं	12		दवनडीह	कोई शिकायत नहीं
9		विद्याधर (टांगर)	कोई शिकायत नहीं	13		बुढीखार	कोई शिकायत नहीं
10		भुरकुंडा	कोई शिकायत नहीं	14		जैतपुर	कोई शिकायत नहीं
11		सुलौनी	कोई शिकायत नहीं	15		अकोला	कोई शिकायत नहीं
12		सुकुलकारी	कोई शिकायत नहीं	16		मल्हार	कोई शिकायत नहीं
13		बेल्हा	कोई शिकायत नहीं	17		बेटरी	कोई शिकायत नहीं
14		केंवतरा	कोई शिकायत नहीं	18		चकरबेढ़ा	कोई शिकायत नहीं
15		लोहराभोर	कोई शिकायत नहीं	19		कर्रा	कोई शिकायत नहीं
16		पचपेडी	कोई शिकायत नहीं	1	देवरीखुर्द	देवरीखुर्द	कोई शिकायत नहीं
17		रैलहा	कोई शिकायत नहीं	1	जयरामनगर	हिंदाडीह	कोई शिकायत नहीं
18		ओखर	कोई शिकायत नहीं	2		हरदाडीह	कोई शिकायत नहीं
19		खपरी	कोई शिकायत नहीं	3		तेन्दुआ	कोई शिकायत नहीं

4	जयरामनगर	मुड़पार	कोई शिकायत नहीं
5		ऐरमसाही	कोई शिकायत नहीं
6		कछार	कोई शिकायत नहीं
7		बेलटुकरी	कोई शिकायत नहीं
8		पाराघाट	कोई शिकायत नहीं
9		भनेसरा	कोई शिकायत नहीं
10		भिलाई	कोई शिकायत नहीं
11		रलिया	शिकायत प्राप्त
12		गतौरा	शिकायत प्राप्त
13		किसान परसदा	कोई शिकायत नहीं
14		जयरामनगर	कोई शिकायत नहीं
15		खुडुभाठा	कोई शिकायत नहीं
16		खोंधरा	कोई शिकायत नहीं
17		बसहा	कोई शिकायत नहीं

नोटः– लो–वोल्टेज की समस्या वाले 11 ग्रामों में विद्युत की भार के आधार पर 100 के.व्ही.ए., 63 के.व्ही.ए. के ट्रांसफार्मर की स्थापना तथा निम्नदाब सिंगल फेज के स्थान पर थ्री फेज लाईन की स्थापना कर लो–वोल्टेज की समस्या का समाधान किया गया।

परिशिष्ट "दस"

[तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 108) के भाग (क) की जानकारी]

प्रदेश में 31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में ग्रिड/ऑफग्रिड के अविद्युतीकृत बसाहटों की जिलेवार संख्या

क्रमांक	जिले का नाम	अविद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	अविद्युतीकृत पारा/मोहल्ला/मजराटोला/बसाहट की संख्या
1	रायपुर	0	0
2	धमतरी	0	0
3	बलौदाबाजार–भाटापारा	0	0
4	महासमुंद	0	0
5	गरियाबंद	0	0
6	दुर्ग	0	0
7	बालोद	0	0
8	बेमेतरा	0	0
9	राजनांदगांव	0	0
10	कबीरधाम	0	21
11	बस्तर	0	4
12	दंतेवाड़ा	0	32
13	सुकमा	0	139
14	बीजापुर	0	668
15	कांकेर	0	106
16	कोण्डागांव	0	81
17	नारायणपुर	0	101
18	बिलासपुर	0	6
19	मुंगेली	0	0
20	जांजगीर–चांपा	0	0
21	कोरबा	0	99
22	रायगढ़	0	0
23	जशपुर	0	41
24	सरगुजा	0	0
25	बलरामपुर	0	303
26	सूरजपुर	0	103
27	कोरिया	0	33
	कुल	***0***	**1737**

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 226) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

प्रदेश में विद्यमान घरेलू उपयोग, गैर घरेलू उपयोग एवं औद्योगिक कनेक्शन की संभागवार संख्या दर्शाने वाली तालिका

क्र.	संभागीय कार्यालय का विवरण	संवर्गवार उपभोक्ताओं की संख्या			
		बी.पी.एल. एवं घरेलू उपभोक्ता कनेक्शन	सभी व्यवसायिक कनेक्शन	सभी औद्योगिक कनेक्शन	कुल
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	नगर संभाग पूर्व	59343	7641	268	67252
2	नगर संभाग पश्चिम	66853	9864	269	76986
3	नगर संभाग दक्षिण	45094	6616	276	51986
4	नगर संभाग मध्य	31448	19894	429	51771
5	रायपुर उत्तर	60814	8261	1149	70224
6	उरला	17084	4157	1218	22459
7	सिलतरा	8610	884	264	9758
8	रायपुर	138564	12260	1569	152393
9	न--राजिम	69608	5858	612	76078
10	धमतरी	85854	7781	791	94426
11	कुरूद	66958	4319	483	71760
12	बलौदाबाजार	77601	4686	556	82843
13	कसडोल	73623	2917	408	76948
14	भाटापारा	65390	4537	879	70806
15	महासमुन्द	108029	6904	945	115878
16	सरायपाली	83570	3429	371	87370
17	गरियाबंद	83769	2653	215	86637
18	दुर्ग नगर	64613	10101	290	75004
19	भिलाई पूर्व	76080	10314	263	86657
20	भिलाई पश्चिम	55527	8288	1023	64838
21	दुर्ग	101600	7157	895	109652
22	भिलाई	84074	7161	701	91936
23	बालोद	128313	8643	720	137676
24	बेमेतरा	79510	3809	529	83848
25	साजा	61242	3388	375	65005
26	राजनांदगांव	95659	10193	1035	106887
27	खैरागढ	65264	4104	275	69643

क्र.	संभागीय कार्यालय का विवरण	संवर्गवार उपभोक्ताओं की संख्या			
		बी.पी.एल. एवं घरेलू उपभोक्ता कनेक्शन	सभी व्यवसायिक कनेक्शन	सभी औद्योगिक कनेक्शन	कुल
28	डोंगरगढ	55549	3648	286	59483
29	डोंगरगांव	85641	3971	315	89927
30	कवर्धा	82488	4005	399	86892
31	पण्डरिया	52036	1894	431	54361
32	जगदलपुर	171539	8964	733	181236
33	दन्तेवाड़ा	62807	2293	123	65223
34	बीजापुर	37805	1195	66	39066
35	सुकमा	49029	1595	68	50692
36	कांकेर संभाग	72852	4500	368	77720
37	भानुप्रतापपुर संभाग	71469	3758	183	75410
38	नारायणपुर	25031	980	119	26130
39	कोण्डागांव	111209	3534	492	115235
40	बिलासपुर(पूर्व)	51597	7855	421	59873
41	बिलासपुर(पश्चिम)	47602	10531	254	58387
42	बिलासपुर	140916	6701	1088	148705
43	पेण्ड्रारोड	98619	5810	706	105135
44	मुंगेली	109946	5295	872	116113
45	चाम्पा	95152	6481	1109	102742
46	अकलतरा	67073	3758	539	71370
47	सक्ती	111034	5341	1258	117633
48	कोरबा	119584	4255	749	124588
49	कोरबा(शहर)	60933	7258	344	68535
50	रायगढ़–1	129510	4418	268	134196
51	रायगढ़–2	59031	10094	105	69230
52	सारंगढ	69159	7756	114	77029
53	अंबिकापुर शहर	38101	6285	480	44866
54	अंबिकापुर	110572	2214	784	113570
55	बलरामपुर	106549	2828	497	109874
56	जशपुर	83137	2549	435	86121
57	पत्थलगांव	63360	1802	357	65519
58	मनेन्द्रगढ़	114562	5737	744	121043
59	सूरजपुर	83044	4081	940	88065
कुल उपभोक्ता		**4591030**	**337205**	**32455**	**4960690**

प्रपत्र "ब"

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु प्रभावशील रियायती पैकेज के तहत् विद्युत शुल्क में दी गई रियायत की जानकारी		
कमांक	उपभोक्ता का संवर्ग	**1 अप्रैल 2018 से 31मार्च 2019 तक लागू रियायत**
1	02 मिलियन टन वार्षिक क्षमता तक के ऐसे स्टील उत्पादक जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से विद्युत सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं तथा 20 एम.व्ही.ए. तक विद्युत भार तक के अन्य स्टील उद्योग जिसमें सम्मिलित हैं सभी इस्पात संयंत्र, रोलिंग मिल स्पंज आयरन संयंत्र, फैरो एलॉयज, स्टील कॉस्टिंग, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, राईस/दाल मिल, साल्वेंट प्लांट, लघु एवं मध्यम उद्योग, सभी विनिर्माण इकाईयां, पोल्ट्री फार्म तथा एग्रीकल्चर एलाईड और अन्य कनेक्शन जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या अन्य लायसेंसी से विद्युत प्राप्त करते हैं	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रभावशील टैरिफ में दर्शित टैरिफ ऊर्जा प्रभार का 6 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत किया गया
2	राज्य में 02 मिलियन टन से कम क्षमता वाले ऐसे स्टील उद्योग जो स्वयं के केप्टिव प्लांट से उत्पादित बिजली का उपयोग स्वयं के स्टील इकाई में करते हैं	1 अप्रैल 2018 से लागू विद्युत शुल्क की 15 प्रतिशत दर को आगामी आदेश तक 15 पैसे प्रति यूनिट किया गया
3	राज्य में 02 मिलियन टन से कम क्षमता वाले ऐसे स्टील उद्योग द्वारा सचालित स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट के आक्जलरी खपत पर	1 अप्रैल 2018 से लागू विद्युत शुल्क की 15 प्रतिशत दर को आगामी आदेश तक 31 पैसे प्रति यूनिट किया गया
4	राज्य में 02 मिलियन टन से अधिक क्षमता वाले ऐसे स्टील उद्योग जो स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली का उपयोग स्वयं के स्टील इकाई में करते हैं	1 अप्रैल 2018 से लागू विद्युत शुल्क की 15 प्रतिशत दर को आगामी आदेश तक 47 पैसे प्रति यूनिट किया गया

परिशिष्ट "बारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 149) की जानकारी]

डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 से दिनांक 17.01.2019 तक योजनावार निर्माणाधीन पानी टंकी, पाईप लाईन की अंतिम मूल्यांकन सत्यापन पश्चात् की गई भुगतान राशि व विभाग को हस्तांतरित कार्यों की एजेन्सीवार, दिनांकवार, कार्य की पूर्ण एवं अपूर्ण की जानकारी

क्र.	वर्ष	ग्राम/योजना का नाम	विकासखंड	योजनावार निर्माणाधीन (पानी टंकी/पाईप लाईन)		पानी टंकी निर्माण कार्य के अंतिम मूल्यांकन सत्यापन पश्चात् की गई भुगतान राशि (रू. लाख में)	पाईप लाईन के अंतिम मूल्यांकन सत्यापन पश्चात् की गई भुगतान राशि (रू. लाख में)	एजेंसी का नाम	योजना के ग्राम पंचायत को हस्तांतरण का दिनांक	कार्य की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ)		टीप
				पानी टंकी	पाईप लाईन					उच्च स्तरीय पानी टंकी कार्य	पाईप लाईन कार्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2016–17	गाजमर्रा नलजल योजना	डोंगरगढ़	–	–	11.75	–	मेसर्स अर्जुन सिन्हा, राजनांदगांव	28.12.2017	पूर्ण	–	–
				–	–	–	6.80	मेसर्स बलराम यादव, डोंगरगढ़	28.12.2017	–	पूर्ण	–
2	2016–17	पिनकापार नलजल योजना	डोंगरगढ़	–	–	14.43	–	मेसर्स एस.जी.ए. कंस्ट्रक्शन, राजनांदगांव	15.02.2018	पूर्ण	–	–
				–	–	–	4.51	मेसर्स सूरज कंस्ट्रक्शन राजनांदगांव	15.02.2018	–	पूर्ण	–
3	2016–17	जामरी नलजल योजना	डोंगरगढ़	–	–	11.75	–	मेसर्स दीपक शर्मा राजनांदगांव	12.02.2018	पूर्ण	–	–
				–	–	–	4.54	मेसर्स शशांक जैन डोंगरगढ़	12.02.2018	–	पूर्ण	–
4	2016–17	पटपर नलजल योजना	डोंगरगढ़	–	–	14.85	–	मेसर्स श्रीराम कंस्ट्रक्शन, डोंगरगढ़	21.11.2017	पूर्ण	–	–
				–	–	–	7.55	मेसर्स राजेश अग्रवाल राजनांदगांव	21.11.2017	–	पूर्ण	–

क्र.	वर्ष	ग्राम / योजना का नाम	विकासखंड	योजनावार निर्माणाधीन (पानी टंकी / पाईप लाईन)		पानी टंकी निर्माण कार्य के अंतिम मूल्यांकन सत्यापन पश्चात् की गई भुगतान राशि (रू. लाख में)	पाईप लाईन के अंतिम मूल्यांकन सत्यापन पश्चात् की गई भुगतान राशि (रू. लाख में)	एजेंसी का नाम	योजना के ग्राम पंचायत को हस्तांतरण का दिनांक	कार्य की स्थिति (पूर्ण / अपूर्ण / अप्रारंभ)		टीप
				पानी टंकी	पाईप लाईन					उच्च स्तरीय पानी टंकी कार्य	पाईप लाईन कार्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	2016–17	राजकटटा नलजल योजना	डोंगरगढ़	—	—	—	—	मेसर्स सुगम सोशल सर्विस, भिलाइ	25.09.2017	पूर्ण	—	अंतिम भुगतान शेष है।
				—	—	—	10.16	मेसर्स सन्नी बोरवेल्स राजनांदगांव	25.09.2017	—	पूर्ण	—
6	2016–17	खल्लारी नलजल योजना	डोंगरगढ़	—	—	—	—	मेसर्स जे.के.तिवारी कंस्ट्रक्शन, रायपुर	08.07.2017	पूर्ण	—	अंतिम भुगतान शेष है।
				—	—	—	3.44	मेसर्स शुभम कंस्ट्रक्शन, राजनांदगांव	08.07.2017	—	पूर्ण	—
7	2016–17	मेरेगांव नलजल योजना	डोंगरगढ़	—	—	—	—	मेसर्स प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, रायपुर	11.07.2017	पूर्ण	—	अंतिम भुगतान शेष है।
				—	—	—	6.68	मेसर्स दीपक शर्मा राजनांदगांव	11.07.2017	—	पूर्ण	—
8	2016–17	कुर्रुभाट नलजल योजना	डोंगरगढ़	निर्माणाधीन	—	—	—	श्री निलेश देवांगन, राजनांदगांव	—	अपूर्ण	—	—
				—	—	—	7.92	मेसर्स जीन कुशल कंस्ट्रक्शन, राजनांदगांव	—	—	पूर्ण	—
9	2016–17	माटेकट्टा नलजल योजना	डोंगरगढ़	—	—	10.43	—	मेसर्स निलेश श्रीवास्तव, राजनांदगांव	18.11.2017	पूर्ण	—	—
				—	—	—	8.85	मेसर्स बाफना कंस्ट्रक्शन, राजनांदगांव	18.11.2017	—	पूर्ण	—

क्र.	वर्ष	ग्राम / योजना का नाम	विकासखंड	योजनावार निर्माणाधीन (पानी टंकी / पाईप लाईन)		पानी टंकी निर्माण कार्य के अंतिम मूल्यांकन सत्यापन पश्चात् की गई भुगतान राशि (रू. लाख में)	पाईप लाईन के अंतिम मूल्यांकन सत्यापन पश्चात् की गई भुगतान राशि (रू. लाख में)	एजेंसी का नाम	योजना के ग्राम पंचायत को हस्तांतरण का दिनांक	कार्य की स्थिति (पूर्ण / अपूर्ण / अप्रारंभ)		टीप
				पानी टंकी	पाईप लाईन					उच्च स्तरीय पानी टंकी कार्य	पाईप लाईन कार्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	2016–17	पिपरिया नलजल योजना	डोंगरगढ	–	–	10.35	–	मेसर्स निलेश श्रीवास्तव, राजनादगांव	26.10.2017	पूर्ण	–	–
				–	–	–	8.55	मेसर्स सन्नी बोरवेल्स राजनांदगांव	26.10.2017	–	पूर्ण	–
11	2017–18	कोहका नलजल योजना	डोंगरगांव	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	–	–	मेसर्स घनश्याम साहू, खैरागढ़	–	अप्रारंभ	अपूर्ण	–
12	2017–18	बनहरदी नलजल योजना	डोंगरगांव	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	–	–	मेसर्स ट्वींकल कंस्ट्रक्शन, राजनांदगांव	–	अपूर्ण	अपूर्ण	–
13	2017–18	धौराभाठा नलजल योजना	डोंगरगांव	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	–	–	मेसर्स घनश्याम साहू, खैरागढ़	–	अपूर्ण	अपूर्ण	–
14	2017–18	गारगांव नलजल योजना	डोंगरगांव	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	–	–	मेसर्स माहेश्वरी बिल्डर्स, राजनांदगांव	–	अपूर्ण	अपूर्ण	–
15	2017–18	नादिया नलजल योजना	डोंगरगांव	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	–	–	मेसर्स प्रियंका बोरवेल्स, दुर्ग	–	अपूर्ण	अपूर्ण	–
16	2017–18	खैरा नलजल योजना	डोंगरगढ़	निर्माणाधीन	–	–	–	मेसर्स अर्जुन सिन्हा, राजनांदगांव	–	अपूर्ण	पूर्ण	सिंगल पैकेज की निविदा कार्य है। ठेकेदार समस्त कार्य का एक साथ भुगतान लेना चाहते है। अतः भुगतान नहीं किया गया है।
17	2017–18	बिल्हरी नलजल योजना	डोंगरगढ़	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	–	–	मेसर्स वसीम कंस्ट्रक्शन, चौकी	–	अपूर्ण	अपूर्ण	–

परिशिष्ट "तेरह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 190) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

बस्तर जिले के लिये विमान सुविधा हेतु एयर ओडिशा द्वारा जगदलपुर मुख्यालय से उपलब्ध करायी गयी विमान सेवा के माहवार तारीख की जानकारी :—

क्रमांक	माह	विमान सेवा उपलब्ध कराने की तारीख
1	जून 2018	14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 एवं 30 जून, 2018
2	जुलाई 2018	3, 4, 5 एवं 6 जुलाई, 2018
3	अगस्त 2018	29, 30 एवं 31 अगस्त, 2018
4	सितंबर 2018	05, 06, 07, 08, 10, 11,12, 13, 14, 15, 19, 22, एवं 29 सितम्बर, 2018
5	अक्टूबर 2018	01 एवं 05 अक्टूबर, 2018
6	नवम्बर, 2018	निरंक

प्रपत्र "ब"

एयर ओड़िसा द्वारा जगदलपुर से विमान सेवा उपलब्ध नहीं कराने संबंधी माहवार तारीख की जानकारी

कमांक	माह	विमान सेवा उपलब्ध नहीं कराने की तारीख
1	जून 2018	26 जून, 2018
2	जुलाई 2018	02, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 जुलाई, 2018
3	अगस्त 2018	01, 02, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, अगस्त, 2018
4	सितंबर 2018	01, 02, 03, 04, 09, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 सितम्बर, 2018
5	अक्टूबर 2018	02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31 अक्टूबर 2018
6	नवम्बर, 2018	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 नवम्बर, 2018

परिशिष्ट "चौदह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 171) के भाग (क) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा आबंटित कोल ब्लॉकों की जानकारी

क्रमांक	कोल ब्लॉक का नाम	भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा कोल ब्लॉक आवंटन दिनांक	आवंटिती कंपनी का नाम	खनिज रियायत आवेदन
वर्ष 2016—17				
1.	केरवा (जिला कोरबा)	21.07.2016	मेसर्स केरवा कोल लिमिटेड (मध्यप्रदेश स्टेट मायनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का संयुक्त उपकम)	पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति
2.	मदनपुर साऊथ (जिला कोरबा)	29.09.2016	मेसर्स आंध्रप्रदेश मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	खनिपट्टा
वर्ष 2017—18				
निरंक				

नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "पंद्रह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 64) के भाग (क) की जानकारी]

रायगढ़ जिले में जनवरी 2019 की स्थिति में कृषि कार्य हेतु विद्युत प्रदाय के लिये उपलब्ध आवेदन, जारी करनेक्शन, विद्युत लाइन विस्तार कार्य/आवेदक द्वारा भुगतान हेतु नहीं करने के कारण लंबित कनेक्शनों की विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त आवेदनों का विद्युत लाइन की आवश्यकता अनुसार वर्गीकरण			जारी पंप कनेक्शनों का विवरण			सिचांई पंप कनेक्शन जारी करने हेतु लंबित आवेदनों की संख्या एंव कारण		
		पंप कनेक्शन हेतु विद्युत लाइन उपलब्ध	पंप कनेक्शन हेतु विद्युत लाइन विस्तार आवश्यक	योग	विद्युत लाइन की उपलब्धता अनुसार जारी पंप कनेक्शन	विद्युत लाइन विस्तार कर जारी पंप कनेक्शन	योग	पंप कनेक्शन हेतु विद्युत लाइन विस्तार आवश्यक	आवेदकों से भुगतान अप्राप्त होने से लंबित पंप कनेक्शन	योग
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9	10	11=5-8
1	धरमजयगढ़	34	302	336	34	107	141	149	46	195
2	घरघोड़ा	10	166	176	10	56	66	98	12	110
3	खरसिया	40	145	185	40	92	132	46	7	53
4	बरमकेला	85	206	291	85	88	173	105	13	118
5	पुसौर	22	165	187	22	61	83	104	0	104
6	रायगढ़	15	102	117	15	56	71	41	5	46
7	सारंगढ	30	132	162	30	48	78	84	0	84
8	तमनार	4	111	115	4	80	84	20	11	31
9	लैलुंगा	6	51	57	6	8	14	43	0	43
	योग	246	1380	1626	246	596	842	690	94	784

परिशिष्ट "सोलह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 126) के भाग (क) की जानकारी]

जिला जांजगीर-चांपा में वित्तीय वर्ष 2016-17 से दिनांक 17-01-2019 तक अवैध विद्युत कनेक्शनों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की वर्षवार, संभागवार जानकारी

(राशि रूपये लाख में)

क्र	वर्ष	संभाग का नाम	संभाग के कनेक्शनों की जाचं में अवैध पाये गये कनेक्शनों की संख्या	विद्युत देयक जारी		विद्युत विच्छेदन		वसूली की गई राशि		न्यायालय में चालान प्रस्तुत	
				संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2016–17	चांपा	184	184.00	67.14	24.00	49.84	169.00	55.43	109.00	45.58
		अकलतरा	239	239.00	77.83	83.00	47.51	350.00	99.16	202.00	67.25
		सक्ती	852	852.00	182.23	11.00	2.67	411.00	83.50	147.00	43.15
		योग	1275	1275.00	327.20	118.00	100.02	930.00	238.09	458.00	155.98
2	2017–18	चांपा	423	423.00	147.38	211.00	37.70	212.00	62.66	231.00	77.46
		अकलतरा	116	116.00	38.37	70.00	23.89	133.00	69.74	69.00	40.36
		सक्ती	507	507.00	133.66	20.00	3.63	173.00	97.92	130.00	42.78
		योग	1046	1046.00	319.41	301.00	65.22	518.00	230.32	430.00	160.60
3	2018–19 (17 जनवरी 2019 तक	चांपा	74	74.00	74.80	48.00	23.30	42.00	13.11	250.00	82.61
		अकलतरा	33	33.00	12.35	21.00	12.34	116.00	15.01	28.00	14.50
		सक्ती	51	51.00	47.55	3.00	6.33	41.00	15.88	117.00	35.83
		योग	158	158.00	134.70	72.00	41.97	199.00	44.00	395.00	132.94

परिशिष्ट "सत्रह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 134) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

आपसी सहमति से क्रय की गई भूमि की जानकारी

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रय भूमि का रकबा (हेक्टेयर)
1	2	3
1	पौता	7.090
2	चेरिया	17.320
3	बंजारी	57.011
4	रीको	149.210
5	उमरिया	3.130
6	सेंध	169.480
7	बरौदा	298.230
8	चीचा	241.530
9	छतौना	154.110
10	नवागांव 75	94.930
11	मंदिरहसौद	43.773
12	रमचंडी	15.780
13	कुहेरा	118.980
14	कोटनी	26.480
15	खपरी	178.730
16	कुर्रू	75.460
17	पलौद	241.320
18	पचेड़ा	63.210
19	सेमरा	3.130
20	राखी	315.970
21	उपरवारा	605.960
22	परसदा	180.590
23	कोटराभाठा	189.640
24	नवागांव 71	267.360
25	झांझ	115.460
26	तेन्दुवा	132.040
27	कयाबांधा	285.580
28	भेलवाडीह	116.700
29	खण्डवा	270.670
30	झांकी	5.640
31	परसट्ठी	8.860
32	तूता	493.693
33	बेन्द्री	12.179
34	केन्द्री	27.033
35	निमोरा	3.036

प्रपत्र "त्र"

अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरणों में अवार्ड पारित प्रकरणों की जानकारी

क्र.	ग्राम का नाम	कुल रकबा (हक्टेयर)
1	2	3
1	पौंता	0.850
2	चेरिया	0.280
3	बंजारी	3.690
4	रीको	123.680
5	उमरिया	11.813
6	सेंध	18.870
7	बरौदा	175.080
8	चीचा	0.960
9	छतौना	24.990
10	नवागांव–75	61.130
11	मंदिर हसौद	82.967
12	रमचंडी	13.828
13	कोटनी	0.760
14	खपरी	8.140
15	पलौद	82.660
16	राखी	11.560
17	उपरवारा	16.930
18	परसदा	26.740
19	कोटराभाठा	26.320
20	नवागांव–71	13.940
21	झांझ	11.800
22	तेंदुवा	3.810
23	कयाबांधा	39.040
24	भेलवाडीह	28.690
25	खण्डवा	47.610
26	झाकी	3.530
27	परसट्ठी	36.280
28	तूता	49.481
29	बेन्द्री	35.250
30	केन्द्री	54.601
31	निमोरा	13.326
32	नकटी	11.360
33	सेरीखेड़ी	24.502

प्रपत्र "स"

अटल नगर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित शासकीय भूमि की जानकारी

क्र.	ग्राम का नाम	रकबा हे. में
1	2	3
1	पौंता	59.200
2	चेरिया	69.180
3	बंजारी	55.750
4	रीको	132.260
5	उमरिया	36.310
6	सेंध	51.950
7	ब्रौदा	173.855
8	चीचा	101.550
9	छतौना	124.410
10	नवागांव 75	154.830
11	मंदिरहसौद	182.426
12	रमचण्डी	16.264
13	कुहेरा	107.940
14	कोटनी	101.330
15	खपरी	132.800
16	कुर्रू	142.990
17	पलौद	239.640
18	पचेड़ा	295.410
19	सेमरा	1.120
20	राखी	136.150
21	उपरवारा	265.210
22	परसदा	220.770
23	कोटराभाठा	120.810
24	नवागांव 71	127.970
25	झांझ	85.750
26	तेन्दुवा	89.640
27	कयाबांधा	102.280
28	भेलवाडीह	61.610
29	खण्डवा	157.490
30	झांकी	40.240
31	परसट्टी	30.590
32	तूता	164.764
33	बेन्द्री	88.366
34	केन्द्री	129.916
35	निमोरा	64.802
36	तान्दुल	43.750
37	सेरीखेडी	15.245
38	नकटी	36.228

प्रपत्र "द"

विभिन्न उपयोग हेतु भूमि पर स्वीकृत भू अभिन्यास की जानकारी

क्रमांक	ग्राम	रकबा (हेक्टे.मे)	कुलरकबा (हेक्टे.मे)
1	नवागांव- 2	20.80	34.94
		12.10	
		0.36	
		1.68	
2	छतौना	19.20	46.41
		6.306	
		20.90	
3	मंदिरहसौद	63.85	63.85
4	सेंध	0.16	12.81
		12.65	
5	पलौद	6.07	25.60
		19.53	
6	रिको	0.64	30.48
		13.70	
		10.87	
		4.34	
		0.93	
7	चीचा	124.69	137.05
		5.26	
		3.65	
		0.317	
		3.13	
8	बरौदा	1.52	90.45
		73.24	
		15.69	
9	कोटराभाटा	34.23	126.57
		60.39	
		0.11	
		2.18	
		24.28	
		5.38	

10	कयाबांधा	0.23	211.97
		17.64	
		90.32	
		1.97	
		18.14	
		0.326	
		12.20	
		52.33	
		4.728	
		14.09	
11	राखी	8.04	112.17
		31.703	
		7.53	
		40.573	
		19.39	
		4.93	
12	तुता	0.06	341.25
		45.75	
		41.13	
		18.659	
		20.809	
		1.16	
		174.025	
		25.25	
		5.38	
		5.004	
		4.03	
13	झांझ	15.08	158.84
		20.959	
		120.201	
		2.36	
		0.237	
14	नवागांव 28	97.667	342.65
		30.92	
		42.09	
		47.48	
		3.84	
		4.89	
		33.53+20.09	
		57.69	
		0.71	
		3.75	

15	खपरी	4.37	4.65
		0.275	
16	उपरवारा	5.99	70.22
		10.51	
		3.35	
		0.148	
		10.12	
		3.06	
		26.93	
		10.11	
17	बनरसी	2.855	2.86
18	तेन्दुआ	4	4.00
19	टेमरी	3.761	3.76
20	परसदा	21.71	21.71
21	चेरिया	60.68	60.68
22	पौता	20.24	20.24
23	,धरमपुरा	11.54	21.13
		1.428	
		8.16	
24	झाँकी	1.19	1.19
25	सेरीखेड़ी	4.85	22.92
		18.07	

परिशिष्ट "अट्ठारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 157) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

17 जनवरी 2019 की स्थिति में योजनावार, जिलेवार राशनकार्ड की जानकारी

कं	जिला	अंत्योदय राशनकार्ड	एकल निराश्रित राशनकार्ड	अन्नपूर्णा राशनकार्ड	प्राथमिकता राशनकार्ड	निशक्तजन हरा राशनकार्ड	योग
1	सुरजपुर	55894	1497	282	139169	89	196931
2	बलरामपुर	54315	1255	325	112777	32	168704
3	सरगुजा	64496	1329	544	151605	123	218097
4	बिलासपुर	121551	5978	410	355728	624	484291
5	रायगढ़	99613	4694	570	258114	208	363199
6	राजनांदगांव	73671	1198	370	244232	290	319761
7	दुर्ग	73504	2678	302	223546	2434	302464
8	रायपुर	61830	4287	335	285276	813	352541
9	बस्तर	48650	1060	239	131470	22	181441
10	नारायणपुर	16960	117	218	13267	17	30579
11	सुकमा	34748	117	101	38942	10	73918
12	कोंडागांव	33795	575	122	91493	10	125995
13	बालोद	30173	1179	202	127872	806	160232
14	बेमेतरा	41382	4508	413	143967	300	190570
15	गरियाबंद	48124	1675	209	113684	362	164054
16	बलौदा बाजार	57192	3679	214	249612	686	311383
17	कोरिया	40894	769	227	98237	63	140190
18	जांजगीर	89015	6263	321	333320	1154	430073
19	कोरबा	55847	3053	264	187983	82	247229
20	जशपुर	55750	1190	172	139384	74	196570
21	कवर्धा	65656	1259	141	155790	60	222906
22	महासमुंद	55248	3639	310	222606	1174	282977
23	धमतरी	44930	965	292	120555	220	166962
24	कांकेर	36355	514	135	117880	219	155103
25	दन्तेवाड़ा	30439	144	139	40482	617	71821
26	बीजापुर	24711	16	241	36107	43	61118
27	मुंगेली	51179	1714	167	140304	201	193565
	कुल	1465922	55352	7265	4273402	10733	5812674

प्रपत्र "ब"

पीडीएस के अंतर्गत राशनकार्डधारियों को प्रदाय राशन सामग्री की पात्रता एवं दर की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	योजनान्तर्गत खाद्यान्न की पात्रता एवं दर				
		खाद्यान्न	शक्कर	रिफाईन्ड आयोडाईज्ड अमृत नमक	मिट्टीतेल	चना
1	प्राथमिकता (नीला) राशनकार्ड	7 किलो प्रति सदस्य, 1 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	प्रति राशन कार्ड 1 किलोग्राम 17.00 रू. प्रतिकिलो की दर से	अनुसूचित क्षेत्र में 2 किग्रा प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किग्रा प्रति परिवार निःशुल्क	नगरीय क्षेत्र में अधिकतम – 02 लीटर ग्रामीण क्षेत्र में गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम -- 2 लीटर तथा अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 3 लीटर न्यूनतम 22 रू. एवं अधिकतम 32 रू. प्रति लीटर की दर से प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह	अनुसूचित विकासखण्ड एवं माडा क्षेत्र के हितग्राहियों को प्रतिमाह 02 किलो 5 रू. प्रतिकिलो की दर से
2	अन्त्योदय (गुलाबी) राशनकार्ड	35 किलो 1 रूपए प्रतिकिलो की दर से प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड				
3	अन्नपूर्णा (स्पेशल गुलाबी)	10 किलो निःशुल्क, 25 किलो 1 रूपए प्रतिकिलो की दर से प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड				
4.	एकल निराश्रित (गुलाबी)	10 किलो निःशुल्क प्रतिमाह, प्रति राशनकार्ड	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5.	निःशक्तजन (हरा) राशनकार्ड	10 किलो निःशुल्क प्रतिमाह, प्रति राशनकार्ड				

परिशिष्ट "उन्नीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 182) के भाग (क) की जानकारी]

प्रदेश में 31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में विभिन्न भारत सरकार, शासकीय विभागों एवं शासकीय निकायों के विरूद्ध देयक की बकाया राशि की जानकारी (निम्नदाब एवं उच्चदाब)

क्र.	राज्य/केन्द्र शासन के विभागों का नाम	बकाया राशि वाले कुल उपभोक्ता		राशि बकाया होने की अवधि
		संख्या	बकाया राशि दिसम्बर 2018 की स्थिति में (राशि रूपये लाख में)	
1	2	3	4	5
1	रेलवे	5867	336541.27	जनवरी 1992
2	नगरीय निकाय	10698	9559.08	03/2012
3	शिक्षा विभाग	28659	3024.12	03/2013
4	स्वास्थ्य विभाग	3223	1854.70	12/2010
5	पुलिस विभाग	1347	1375.03	01/2014
6	आदिम जाति कल्याण विभाग	1642	500.79	02/2015
7	राजस्व विभाग	1590	615.85	13.10.2011
8	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	10286	402.47	09/2013
9	वन विभाग	1303	421.08	07//2005
10	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	245	1450.33	03/2014
11	लोक निर्माण विभाग	457	302.69	15.05.2013
12	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	19531	10758.81	15.04.2015
13	कृषि विभाग	418	100.72	02/2013
14	विधि विभाग	156	99.20	12.04.2016
15	पशु चिकित्सा विभाग	254	65.67	28.11.2013
16	सांख्यिकी विभाग	1	0.21	10.10.2018
17	ग्रामोद्योग, रेशम विभाग	163	40.54	12.06.2017
18	शासकीय बैंक	121	32.14	22.08.2018
19	उद्यानिकी विभाग	108	60.77	01/2016
20	मत्स्य पालन विभाग	59	14.03	16.03.2017
21	सहकारिता विभाग	371	67.06	09.06.2013
22	उच्च शिक्षा विभाग	65	43.02	06/2018
23	पर्यटन विभाग	32	17.77	01/2019

24	जेल विभाग	44	15.70	27.03.2018
25	वाणिज्यकर विभाग	11	5.56	09.04.2018
26	परिवहन विभाग (आर.टी.ओ.)	17	2.34	09.01.2018
27	उद्योग विभाग	23	4.66	22.05.2018
28	आबकारी विभाग	31	3.32	06//2016
29	श्रम विभाग	10	2.75	18.06.2018
30	पशुपालन विभाग	39	17.44	05/2018
31	क्रेडा	7	1.04	30.11.2018
32	नगर एवं ग्राम निवेश	5	0.80	24.12.2018
33	रोजगार विभाग	4	0.82	04//2013
34	आयुर्वेद विभाग	25	0.86	01/2013
35	पुरातत्व विभाग	5	0.27	16.03.2017
36	विद्युत निरीक्षण कार्यालय	8	0.04	16.03.2017
37	खेल एवं क्रीड़ा विभाग	5	5.31	03.10.2012
38	खाद्य विभाग	68	6.89	16.05.2018
39	खनिज विभाग	7	4.86	12.11.2018
40	अन्य	419	242.45	08/2018
	योग	**87327**	**367666.43**	

परिशिष्ट "बीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 191) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

बस्तर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2017 से 17-01-2019 तक फ्लोराईड/आयरन अधिक्य से प्रभावित एवं पेयजल प्रतिबंधित कर चिन्हांकित किये गये हैण्डपम्पों की जानकारी

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित पारे का नाम	प्रभावित पारे की जनसंख्या	प्रभावित पारे में स्थापित हैण्डपम्पों की संख्या	आयरन/फ्लोराईड आधिक्य से प्रभावित हैण्डपम्पों की संख्या		पेयजल प्रतिबंधित हेतु चिंहांकित हैण्डपम्पों की सख्या	पेयजल हेतु विद्यमान वैकल्पिक व्यवस्था	
					आयरन	फ्लोराईड		बसाहट में स्थापित शुद्ध जल युक्त हैण्डपम्प	अन्य वैकल्पिक व्यवस्था
1	वारदा	आवास पारा	61	2	1	–	1	1	–
		बाजार पारा	57	2	1	–	1	1	–
		खास पारा / अटल चौक के पास	236	3	1	–	1	2	–
2	बकावण्ड	गणेश चौक	187	2	1	–	1	1	न.ज. प्रदाय योजना
		पटेल पारा	187	2	1	–	1	1	
3	फरसरा	पटेल पारा	95	2	1	–	1	1	–
		स्कूल पारा / प्रा0 स्कूल के पास	60	2	1	–	1	1	–
4	फरसरा	बामन पारा	210	2	1	–	1	1	–
5	मैलबेड़ा	जुनी पारा	205	2	1	–	1	1	01 सोलर पम्प
		बीच पारा	163	1	1	–	1	-	01 सोलर पम्प
6	खोटलापाल	पटेल पारा	105	2	1	–	1	1	–
7	तारापुर	प्लॉट पारा	65	2	1	–	1	1	–
		डिप्पो पारा	128	2	1	–	1	1	–
8	मुली	सड़क पारा	70	1	1	–	1	-	न.ज. प्रदाय योजना
9	जैबेल	मालगुजार पारा	154	2	1	–	1	1	–
10	नलपावण्ड	पुजारी पारा	160	4	1	–	1	3	–
		चर्च पारा		1	1	–	1		–
11	सतलावण्ड	बयकुगुड़ा	198	2	1	–	1	1	–
12	सतोषा	गुच्चा पारा	255	3	1	–	1	2	–
13	पाहुरबेल	दामा पारा	572	4	1	–	1	3	–
14	राजनगर	कामेश्वरी पारा	456	4	1	–	1	3	–
15	झारउमर गांव	टिंवरागुड़ा	377	3	1	–	1	2	–
		टिंयुसगुड़ा		1	1	–	1		–
16	पाथरी	कोड़ोगुड़ा पारा/रत्ती घर के पास	177	5	1	–	1	4	–
17	डिमरापाल	कोटियाभाट पारा/ट्रान्सफार्मर के	181	2	1	–	1	1	–

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित पारे का नाम	प्रभावित पारे की जनसंख्या	प्रभावित पारे में स्थापित हैण्डपम्पों की संख्या	आयरन/फ्लोराइड आधिक्य से प्रभावित हैण्डपम्पों की संख्या		पेयजल प्रतिबंधित हेतु चिहांकित हैण्डपम्पों की संख्या	पेयजल हेतु विद्यमान वैकल्पिक व्यवस्था	
					आयरन	फ्लोराइड		बसाहट में स्थापित शुद्ध जल युक्त हैण्डपम्प	अन्य वैकल्पिक व्यवस्था
18	चोकनार	बंगला डोंगरी / स्कूल बांउड्री के	171	2	1	–	1	1	–
		सुडीपारा / बाजार पारा के पास	187	3	1	–	1	2	–
		बांगला डोंगरी / लोह डोंगरी	436	5	1	–	1	4	–
		काड़ागुड़ा पारा	120	3	1	–	1	2	–
19	ढोडरेपाल	मिडिल स्कूल	98	2	1	–	1	1	–
		हाई स्कूल	105	2	1	–	1	1	–
20	बेड़ाउमर गांव	प्रायमिरी स्कूल	95	2	1	–	1	1	–
		आमागुड़ा पारा	357	3	1	–	1	2	–
21	मालगांव	अपर प्रायमिरी स्कूल	117	2	1	–	1	1	न.ज. प्रदाय योजना
22	गुमडेल	हाई स्कूल /मेधनार्थ जोशी घर के	101	2	1	–	1	1	पावर पम्प सीपित
23	करीतगांव	ब्राम्हण पारा / दशरथ घर के पास	130	2	1	–	1	1	न.ज. प्रदाय योजना
24	बेलपुटी	करहा भाटा / अर्जुन घर के पास	242	2	1	–	1	1	–
25	छोटे देवड़ा	आवास पारा	167	2	1	–	1	1	न.ज. प्रदाय योजना
26	कोलावल	खासपारा / गुप्ता किराना स्टोर के	251	3	1	–	1	2	न.ज. प्रदाय योजना
27	भिरलिंगा	भिरलिंगा / बयागुड़ा	244	3	1	–	1	2	01 सोलर पम्प
28	छापापदर	चिखल करमरी / खास पारा	95	2	1	–	1	1	–
29	बोरपंदर	साहूकार पारा / प्राथमिक स्कूल	204	3	1	–	1	2	–
		पुजारी पारा	227	3	1	–	1	2	–
		राउत पारा	204	3	1	–	1	2	–
30	बड़े चकवा	छेपड़ापारा / जयमन कश्यप घर के	146	2	1	–	1	1	–
31	मावलीगुड़ा	डोंगरी पारा	105	2	1	–	1	1	01 सोलर पम्प
		साले डोंगरी / पंचायत भवन	103	2	1	–	1	1	–
32	खोरखोसा	डुरकाटोंगा/ सोनधर बघेल घर के	83	2	1	–	1	1	–
33	बालेंगा	ओगाय गुड़ा / प्रा0 स्कूल भवन के	232	4	1	–	1	3	न.ज. प्रदाय योजना
योग :–	33	49		119	49		49	70	

परिशिष्ट "इक्कीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 323) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

सी.एस.आर. मद में जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा राशि, जिला प्रशासन द्वारा पंचायतवार स्वीकृत कार्यों का नाम/लागत, कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय जांजगीर–चांपा में सी.एस.आर. मद में जमा की गयी राशि में से ग्राम जर्वे एवं औराईकला हेतु जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत कार्य की लागत तथा कार्य की अद्यतन स्थिति						
		वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18	सीएसआर फण्ड में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2018–19 में जमा की गई राशि एवं कार्यवार स्वीकृत राशि की जानकारी			जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत कार्यों पर सीएसपीजीसीएल के द्वारा दिये गये अनुमोदन की स्थिति
1	3	4	5	6	जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत कार्य का नाम	सीएसपीजीसीएल द्वारा जमा की गई राशि	स्वीकृत कार्य की लागत रूपये में	
1	ग्राम पंचायत जर्वे	निरंक	निरंक	निरंक	सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	6,50,000/–	6,19,000/–	जिला प्रशासन द्वारा ग्राम जर्वे हेतु स्वीकृत कार्यो की लागत व्यय को सीएसपीजीसीएल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला प्रशासन अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बलौदा को स्वीकृत लागत का 50 प्रतिशत समतुल्य राशि विमुक्त की गई है। कार्य प्रगति पर ।
					विश्वनाथ कश्यप घर से जितेन्द्र घर तक	---	प्रस्ताव अस्वीकृत	जिला प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव में कार्य का विवरण सम्मिलित नहीं होने के कारण सीएसपीजीसीएल द्वारा ग्राम जर्वे हेतु अनुशंसित उक्त प्रस्ताव को अस्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय जांजगीर–चांपा में सी.एस.आर. मद में जमा की गयी राशि में से ग्राम जर्वे एवं औराईकला हेतु जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत कार्य की लागत तथा कार्य की अद्यतन स्थिति						
		वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18	सीएसआर फण्ड में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2018–19 में जमा की गई राशि एवं कार्यवार स्वीकृत राशि की जानकारी			जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत कार्यो पर सीएसपीजीसीएल के द्वारा दिये गये अनुमोदन की स्थिति
1	3	4	5	6	जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत कार्य का नाम	सीएसपीजीसीएल द्वारा जमा की गई राशि	स्वीकृत कार्य की लागत रूपये में	
2	ग्राम पंचायत औराईकला	निरंक	निरंक	निरंक	अटल समरसत्ता भवन निर्माण।	19,39,000/–	17,88,000/–	जिला प्रशासन द्वारा ग्राम औराईकला हेतु स्वीकृत अटल समरसत्ता भवन के निर्माण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बलौदा को स्वीकृत लागत का 50 प्रतिशत समतुल्य राशि विमुक्त की गई है। कार्य प्रगति पर । शेष 05 स्वीकृत कार्य अप्रारंभ है लेकिन प्रथम किश्त के मद में स्वीकृत कार्य के लागत व्यय का 50 प्रतिशत समतुल्य राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बलौदा को विमुक्त की गई है। उक्त सभी 05 कार्य अप्रारंभ।
					मातृ–पितृ छाया निर्माण।	3,00,000/–	2,86,200/–	
					गौटीन तालाब में पचरी का निर्माण कार्य।	2,60,000/–	2,60,000/–	
					पीडीएस गोदाम निर्माण कार्य।	10,00,000/–	8,65,300/–	
					धरम घर से हाईस्कूल तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	10,00,000/–	10,00,000/–	
					अटल चौक के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	19,00,000/–	17,49,000/–	
					अमृल लाल घर से बंधवा तालाब तक सी.सी. रोड का निर्माण	––	प्रस्ताव अस्वीकृत	जिला प्रशासन द्वारा ग्राम औराईकला हेतु अनुशंसित उक्त दोनों कार्य जनहित के कार्य नहीं होने से उक्त दोनों कार्यो को सीएसपीजीसीएल द्वारा अस्वीकृत किया गया।
					सी.सी.रोड़ निर्माण बंशी के घर से मंदिर तक	––	प्रस्ताव अस्वीकृत	
	कुल योग	निरंक	निरंक	निरंक		**70,49,000/–**	**65,67,500/–**	**जिला प्रशासन के पास सीएसआर मद में राशि रूपये 4,81,500/– (70,49,000–65,67,500) उपलब्ध है।**

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "बाईस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 38) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री/भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष को देय सुविधाएं :—

स.क.	सुविधा	पात्रता	अभियुक्ति
1.	किराया मुक्त (सुसज्जित आवास) आवास की साज–सज्जा हेतु	रूपये 35,000/– (रूपये पैंतीस हजार) की सीमा तक व्यय	
2.	स्टाफ के रूप में	(1) निजी सचिव– एक (2) सहायक ग्रेड–3 – एक (3) वाहन चालक – एक (4) गनमैन –दो (5) भृत्य – दो	भूतपूर्व मुख्यमंत्री को भृत्य–तीन (को–टर्मिनस)
3.	कार (वाहन)	एक	
4.	पेट्रोल	250 लि. प्रतिमाह	
5.	चिकित्सा सुविधा	भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष को सांसद/विधायक पद पर पदस्थ रहने पर उस पद की सुविधा–प्राप्त होगी। यदि किसी पद पर नहीं है तो छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार के पात्र होंगे।	
6.	टेलीफोन	टेलीफोन एक {रूपये 5000/– (रूपये पांच हजार) तक प्रतिमाह की पात्रता के साथ देय होगा।}	भूतपूर्व मुख्यमंत्री को रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार) प्रतिमाह की पात्रता होगी।
7.	बिजली	आबंटित शासकीय आवास में रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार) प्रतिमाह निःशुल्क बिजली की पात्रता होगी।	
8.	सौजन्यता	छ.ग. राज्य के अतिथिगृह/विश्रामगृह में ठहराने की निःशुल्क नियमानुसार पात्रता होगी।	
9.	रेल यात्रा	यदि रेल यात्रा की किसी अन्य श्रोत से पात्रता नहीं है तो उच्च क्लास की पात्रता देय होगी।	

प्रपत्र "ब"

छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्यसभा के वर्तमान में ऐसे सांसद सदस्य जो पूर्व में अविभाजित राज्य में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, को भी राज्य के मंत्री के समान को देय सुविधाएं :—

स.क.	सुविधा	पात्रता	अभियुक्ति
1.	विशेष सहायक	01	
2.	निज सहायक	01	
3.	सहायक ग्रेड–3	01	
4.	गनमैन	01	
5.	भृत्य	03	
6.	वाहन चालक	02	
7.	एम्बेसडर कार वाहन	01	
8.	पेट्रोल	250 लीटर प्रतिमाह	
9.	चिकित्सा सुविधा	निःशुल्क	
10.	आवास	किराया मुक्त सुसज्जित आवास	
11.	आवास की साज सज्जा	रूपये 35,000/– (रूपये पैंतीस हजार) सीमा तक व्यय	
12.	टेलीफोन	एक एस.टी.डी. सुविधा युक्त एवं एक बिना एस.टी.डी. सुविधा के व्यय सीमा रूपये 20,000/– (रूपये बीस हजार) प्रतिमाह	
13.	बिजली	रूपये 3000/–(रूपये तीन हजार) तक	
14.	प्रदेश में यात्रा करने पर संबंधित स्थानों पर उसके प्रति उचित सौजन्यता (कटसी) प्रदर्शित की जाना.	रेस्ट हाऊस/सर्किट हाऊस में निःशुल्क रूप से ठहरने की सुविधा.	
15.	रेल यात्रा सुविधा	प्रथम श्रेणी के डिब्बे में या वातानुकूलित कोच में एक कुपे या द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान (ए.सी. स्लीपर कोच) में दो बर्थ.	
16.	शिष्टाचार एवं सुरक्षा व्यवस्था	केबीनेट मंत्री के अनुरूप शिष्टाचार सुविधा सुरक्षा व्यवस्था.	

प्रपत्र "स"

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) नं. 657/2004 लोक प्रहरी विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय का उद्धरण निम्नानुसार है:–

रिट पिटीशन (सिविल) न. 657/2004, लोक प्रहरी विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01 अगस्त, 2016 में **उत्तरप्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री आवास आवंटन नियम, 1997** को गलत बताते हुए उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो महीने में बंगला खाली कराने एवं बंगलें पर अनाधिकृत कब्जे की अवधि का किराया वसूली के आदेश उत्तरप्रदेश शासन को दिया गया है।

परिशिष्ट "तेईस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 89) के भाग (ग) की जानकारी]

विधानसभा क्षेत्र बिन्द्रानवागढ़ में वर्ष 2016-17, 2017-18 में कहां-कहां नलजल योजना की स्वीकृति तथा स्वीकृत कार्य की पूर्णता तिथि

क्र.	विकासखण्ड	योजना का नाम	कार्य की स्थिति	कार्य की पूर्णता दिनांक
1	2	3	4	5
वर्ष 2016—17				
1	मैनपुर	कठवा नलजल	कार्य पूर्ण	14.10.2016
2	मैनपुर	बेसराझर नलजल	कार्य पूर्ण	20.10.2016
3	मैनपुर	गवरमुण्ड नलजल	कार्य पूर्ण	23.10.2016
4	मैनपुर	देवडोंगर नलजल	कार्य पूर्ण	07.10.2016
5	मैनपुर	तारझर नलजल	कार्य पूर्ण	06.11.2016
वर्ष 2017—18				
1	देवभोग	निष्टिगुडा नलजल	कार्य पूर्ण	30.03.2018
2	गरियाबंद	हाथवाय नलजल	कार्य पूर्ण	22.04.2018
3	गरियाबंद	गुजरा नलजल	कार्य पूर्ण	25.04.2018

परिशिष्ट "चौबीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 104) के भाग (ख) की जानकारी]

वर्ष	वाहन का प्रकार	पुलिस विभाग		परिवहन विभाग	
		चालान संख्या	राशि	चालान संख्या	राशि
2017–18	1. ट्रक	3338	1197570	4343	9509500
	2. बस	294	69700	24	58700
	3. कार	1292	300400	निरंक	निरंक
	4. दोपहिया वाहन	7984	1875100	निरंक	निरंक
योग :–		**12908**	**3442770**	**4367**	**9568200**
2018–19	1. ट्रक	10761	3022100	218	1801700
	2. बस	435	115800	8	32500
	3. कार	2390	588402	निरंक	निरंक
	4. दोपहिया वाहन	12093	2628791	निरंक	निरंक
योग :–		**25679**	**6355093**	**226**	**1834200**

परिशिष्ट "पच्चीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 119) के भाग (क) की जानकारी]

क.	प्रदेश के सार्वजनिक उपकमों के नाम
1.	छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्राक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर
2.	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर
3.	छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर
4.	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, रायपुर
5.	छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर
6.	छ.ग. पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन, लिमिटेड, रायपुर
7.	छ.ग. मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर
8.	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, रायपुर
9.	छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन, रायपुर
10.	छत्तीसगढ़ स्टेट विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, रायपुर
11.	छत्तीसगढ़ स्टेट विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, रायपुर
12.	छत्तीसगढ़ स्टेट विद्युत वितरण कंपनी, रायपुर
13.	छत्तीसगढ़ स्टेट विद्युत ट्रेडिंग कंपनी, रायपुर
14.	छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, रायपुर
15.	छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर
16.	छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर
17.	छत्तीसगढ़ राज्य निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, रायपुर
18.	रायपुर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर
19.	नया रायपुर स्मार्ट सिटी कार्पोरशन लिमिटेड, जिला–रायपुर
20.	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, बिलासपुर
21.	छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर
22.	छत्तीसगढ़ रूरल हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर

परिशिष्ट "छब्बीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 131) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जांजगीर-चांपा जिले में स्थापित सब स्टेशनों की स्थलवार जानकारी

क्रमांक	स्थापित 132/33 के.व्ही. सब स्टेशन के नाम		
1	चाम्पा	4	रामभाठा
2	अकलतरा	5	जैजैपुर
3	शिवरीनारायण	6	अड़भार

33/11 के.व्ही. सब स्टेशन की स्थलवार जानकारी

1	सारागांव	27	पेन्ड्री (सुकली)	53	पोरथा
2	घुरकोट	28	पुटपुरा	54	सिरली (जेठा)
3	नैला (भाठापारा)	29	सक्ती	55	धुरकोट
4	खिसोरा	30	बाराद्वार	56	अकलसरा
5	बलौदा	31	दर्रा	57	मोहगांव
6	बम्हनीडीह	32	जैजैपुर	58	मल्दा
7	बिर्रा	33	हसौद	59	भदौरा
8	नवागढ़ (राछाभांठा)	34	मालखरौदा	60	चुरतेली
9	जांजगीर	35	सकर्रा	61	सेंदूरस
10	हनुमान धारा, चांपा	36	अड़भार	62	खैरझिटी
11	पीआईएल, कोटाडबरी	37	छपोरा	63	पामगढ़
12	पिसौद (बिरगहनी)	38	फगुरम	64	राहौद
13	बनारी रोड, जांजगीर (शारदाचौक)	39	डभरा	65	शिवरीनारायण
14	कलेक्टर आवासीय परिसर	40	देवरघट्टा (सुखदा)	66	अकलतरा
15	पहरिया	41	तुलसीडीह	67	नरियरा
16	चाम्पा संभागीय कार्यालय	42	कोटमी	68	कोटगढ़
17	लछनपुर	43	गोपालपुर	69	केरा
18	हरदी	44	चंदेली भाठा	70	तरौद
19	अमोदा	45	सेंदरी	71	कल्याणपुर
20	खोखरा	46	चिस्दा	72	भैसों
21	कोरबा रोड चाम्पा	47	बडे सिपत	73	कोसला
22	अफरीद	48	सलनी	74	रसौटा
23	मड़वा बसंतपुर	49	नरियरा	75	अकलतरा (नया) संजय नगर
24	सिवनी	50	पेण्डरवा	76	मधुवा
25	सेमरा	51	नंदौरकला	77	मुड़पार (कुथुर)
26	दारंग	52	पोता	78	मुलमुला

प्रपत्र "ब"

जांजगीर-चांपा जिले में निर्माणाधीन 33/11 के.व्ही. के नये सब स्टेशनों की सब स्टेशनवार, स्थानवार लागत राशि एवं कार्य एजेंसी की जानकारी

क्रमांक	सब स्टेशन का नाम	लागत राशि (लाख रू. में)	कार्य एजेन्सी का नाम
1	कोसीर	133	मेसर्स अजीत कन्स्ट्रक्शन, जांजगीर
2	अकलतरा (शहर)	145	मेसर्स ए–टू–जेड इन्फ्रा इंजिनियरिंग लिमिटेड गुड़गांव, हरियाणा
3	रानी तलाब जांजगीर	206	मेसर्स अम्बे कन्स्ट्रक्शन, अकलतरा
4	बीटीआई चौक (नैला)	206	मेसर्स ए–टू–जेड इन्फ्रा इंजिनियरिंग लिमिटेड गुड़गांव, हरियाणा
5	करनौद	206	मेसर्स फेडर लायड, नई दिल्ली
6	पंतोरा	206	मेसर्स फेडर लायड, नई दिल्ली
7	जाजंग	206	मेसर्स फेडर लायड, नई दिल्ली
8	सक्ती	206	मेसर्स ए–टू–जेड इन्फ्रा इंजिनियरिंग लिमिटेड गुड़गांव, हरियाणा
9	बाराद्वार	206	मेसर्स ए–टू–जेड इन्फ्रा इंजिनियरिंग लिमिटेड गुड़गांव, हरियाणा
10	कचंदा	200	मेसर्स प्रशांत इंटरप्राईजेस, रायगढ़
11	लखाली	203	मेसर्स उदय कन्स्ट्रक्शन, चाम्पा
12	सपोस	150	मेसर्स विकास अग्रवाल, रायगढ़
	कुल	***2273***	

परिशिष्ट "सत्ताईस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 132) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

पीडीएस के अंतर्गत राशनकार्डधारियों को प्रदाय राशन सामग्री की पात्रता एवं दर की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	योजनान्तर्गत खाद्यान्न की पात्रता एवं दर				
		खाद्यान्न	शक्कर	रिफाईन्ड आयोडाईज्ड अमृत नमक	मिट्टीतेल	चना
1	प्राथमिकता (नीला) राशनकार्ड	7 किलो प्रति सदस्य, 1 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	प्रति राशन कार्ड 1 किलोग्राम 17.00 रू. प्रतिकिलो की दर से	अनुसूचित क्षेत्र में 2 किग्रा प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किग्रा प्रति परिवार निःशुल्क	नगरीय क्षेत्र में अधिकतम – 02 लीटर ग्रामीण क्षेत्र में गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम – 2 लीटर तथा अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 3 लीटर न्यूनतम 22 रू. एवं अधिकतम 32 रू. प्रति लीटर की दर से प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह	अनुसूचित विकासखण्ड एवं माडा क्षेत्र के हितग्राहियों को प्रतिमाह 02 किलो 5 रू. प्रतिकिलो की दर से
2	अन्त्योदय (गुलाबी) राशनकार्ड	35 किलो 1 रूपए प्रतिकिलो की दर से प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड				
3	अन्नपूर्णा (स्पेशल गुलाबी)	10 किलो निःशुल्क, 25 किलो 1 रूपए प्रतिकिलो की दर से प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड				
4.	एकल निराश्रित (गुलाबी)	10 किलो निःशुल्क प्रतिमाह, प्रति राशनकार्ड	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5.	निःशक्तजन (हरा) राशनकार्ड	10 किलो निःशुल्क प्रतिमाह, प्रति राशनकार्ड				

प्रपत्र "ब"

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कारण सहित निरस्त कार्डों की जानकारी								
स.क्र	कार्ड का प्रकार	जारी राशनकार्ड के आधार की पुष्टि नहीं	सत्यापन के दौरान मूल निवास पर नहीं पाये गये	'शासकीय कर्मचारी	मुखिया की मृत्यु	परिवार में एक से अधिक राशनकार्ड	समर्पित राशनकार्ड	कुल
1	अंत्योदय	79	1043	5	1090	101	48	**2366**
2	एकल निराश्रित	12	218	0	408	15	11	**664**
3	अन्नपूर्णा	0	6	0	20	0	0	**26**
4	प्राथमिकता	3100	4623	55	1092	483	267	**9620**
5	निःशक्तजन	0	36	0	18	5	4	**63**
	कुल	**3191**	**5926**	**60**	**2628**	**604**	**330**	**12739**

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कारण सहित निरस्त कार्डों की जानकारी								
स.क्र	कार्ड का प्रकार	जारी राशनकार्ड के आधार की पुष्टि नहीं	सत्यापन के दौरान मूल निवास पर नहीं पाये गये	'शासकीय कर्मचारी	मुखिया की मृत्यु	परिवार में एक से अधिक राशनकार्ड	समर्पित राशनकार्ड	कुल
1	अंत्योदय	417	405	4	643	768	11	**2248**
2	एकल निराश्रित	118	117	1	224	180	2	**642**
3	अन्नपूर्णा	5	6	0	12	0	5	**28**
4	प्राथमिकता	1397	1146	15	657	2323	81	**5619**
5	निःशक्तजन	11	6	1	4	44	2	**68**
	कुल	**1948**	**1680**	**21**	**1540**	**3315**	**101**	**8605**

परिशिष्ट "अट्ठाईस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 140) की जानकारी]

वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में 17-01-2019 तक प्रदेश में स्वीकृत रेत खदान संचालनकर्ताओं के विरूद्ध अनियमितता एवं अवैध उत्खनन पर की गई कार्यवाही की जानकारी

अनियमितता

क्र.	जिला	प्रकरण दिनांक	प्रकरण का विवरण	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1	दुर्ग	02.07.2018	ग्राम तिरगा में रेत खदान क्षेत्र में पानी भराव तथा पानी के नीचे से रेत निकालने की शिकायत प्राप्त।	शिकायत सही पाये जाने पर कलेक्टर के आदेश दिनांक 02.07.2018 द्वारा तिरगा रेत खदान निरस्त किया गया ।
2	रायपुर	27.11.2017	विकासखंड अभनपुर के ग्राम दुलना रेत खदान को सरपंच द्वारा ठेके पर दिये जाने की शिकायत प्राप्त हुई।	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अभनपुर द्वारा दिनांक 27.11.2017 को पंचायत राज अधिनियम की धारा 39 के तहत संबंधित सरपंच श्री ढाल साहू को निलंबित किया गया।

अवैध उत्खनन

क्र.	प्रकरण दिनांक	अवैध उत्खननकर्ता का नाम	वसूल की गई समझौता राशि (रूपये में)
1	2	3	4
जिला–गरियाबंद			
वर्ष 2016–17			
1	20.05.2016	श्रीमती करेलिया बाई, सरपंच, ग्राम पंचायत बकली	102000
2	07.03.2017	श्री मिथलेस साहू, सरपंच, ग्राम पंचायत परसदांकला	34600
3	07.03.2017	श्री मनोज यदु, सरपंच, ग्राम बिडोरा, ग्राम पंचायत सरकड़ा	37000
4	07.03.2017	श्री चंदूलाल ध्रुव, सरपंच, ग्राम पंचायत बोरिद	35800

वर्ष 2017–18			
5	19.06.2017	श्रीमती प्रज्ञा साहू, सरपंच, ग्राम पंचायत परसदा जोशी	76400
6	25.07.2017	श्री मनोज यदु, सरपंच ग्राम पंचायत सरकड़ा	46000
7	08.08.2017	श्रीमती उमा ध्रुव, सरपंच, ग्राम पंचायत कोदोबतर	67600
8	28.08.2017	श्रीमती उमा ध्रुव, सरपंच, ग्राम पंचायत कोदोबतर	28000
9	29.12.2017	श्री डोमन सिंह ध्रुव, सरपंच, ग्राम पंचायत चौबेबांधा	46800
10	25.01.2018	श्रीमती शांति बाई, सरपंच, ग्राम पंचायत बारूका	35200
वर्ष 2018–19 (दिनांक 17.01.2019 तक)			
11	23.09.2018	श्रीमती उमा ध्रुव, सरपंच, ग्राम पंचायत कोदोबतर	36250
12	06.12.2018	श्रीमती उमा ध्रुव, सरपंच, ग्राम पंचायत कोदोबतर	37500
जिला–महासमुंद			
वर्ष 2016–17			
13	13.05.2016	श्रीमती प्रेमीन ध्रुव, सरपंच, ग्राम पंचायत कनेकेरा	29800
14	01.09.2016	श्रीमती मीना बाई देवदास, सरपंच ग्राम पंचायत लहंगर	28600
वर्ष 2018–19 (दिनांक 17.01.2019 तक)			
15	24.04.2018	श्रीमती ममता ध्रुव, सरपंच, ग्राम पंचायत बम्हनी	83500
16	06.04.2018	श्री बेनुराम ध्रुव सरपंच, ग्राम पंचायत चिगरौंद	52500

17	06.04.2018	श्रीमती ममता ध्रुव, सरपंच, ग्राम पंचायत बम्हनी	45500
18	19.12.2018	श्रीमती ममता ध्रुव, सरपंच, ग्राम पंचायत बम्हनी	70000
जिला–राजनांदगांव			
वर्ष 2018–19 (दिनांक 17.01.2019 तक			
19	28.05.2018	श्री केशव कुर्रे, सरपंच, ग्राम पंचायत–जंगलेसर	15000
जिला–दुर्ग			
वर्ष 2017–18			
20	22.02.2018	श्रीमती सरिता चन्द्राकर, सरपंच, ग्राम सोमनी ग्राम पंचायत कोनारी दुर्ग	40000
जिला–बालोद			
वर्ष 2016–17			
21	09.09.2016	श्री सखाराम देवांगन, सरपंच, ग्राम पचायत उमरादाह तह. बालोद	35000
वर्ष 2017–18			
22	06.01.2018	श्री जगनुराम मण्डावी, सरपंच, ग्राम पचायत बेलोदा, तह. डौण्डी	67500
जिला–बस्तर			
वर्ष 2017–18			
23	20.02.2018	श्री वनमाली नाग, सरपंच, ग्राम पचायत कस्तुरी	49660
जिला–उत्तर बस्तर कांकेर			
वर्ष 2016–2017			
24	22.12.2017	कार्यवाहक सरपंच श्री चिन्ताराम मरकाम, ग्राम पंचायत भिलाई	353000
वर्ष 2017–2018			
25	11.01.2018	श्री परसराम तारम, सरपंच ग्राम पचायत बोदेली	प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है
वर्ष 2018–19			
26	03.07.2018	श्री अमरसिंह नेताम, सरपंच, ग्राम पचायत [illegible]ण्डरवाही	प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है

परिशिष्ट "उन्तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 152) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

राजनांदगांव जिले में वर्ष 2017-18 से दिनांक 17-01-2019 के मध्य निम्नानुसार विकास यात्रा कार्यक्रम आयोजित किये गये :—

(1)	दिनांक 24.05.2018	—	छुरिया से कोकपुर, कोकपुर से डोंगरगांव, डोंगरगांव से अर्जुनी, अर्जुनी से रामपुर, रामपुर से राजनांदगांव
(2)	दिनांक 30.05.2018	—	छुईखदान से गंडई
(3)	दिनांक 05.06.2018	—	मानपुर
(4)	दिनांक 05.09.2018	—	प्रज्ञागिरी, डोंगरगढ़

प्रपत्र "ब"

व्ययित राशि का विभागवार एवं मदवार विवरण

क्र.	विभाग का नाम	मंच एवं पंडाल पर व्यय	आवागमन पर व्यय	भोजन व्यवस्था पर व्यय	अन्य व्यय
1	जनपद पंचायत डोंगरगढ़	31,000.00	9,42,756.00	50,000.00	0.00
2	उप संचालक कृषि राजनांदगांव	0.00	8,06,381.00	7,75,407.00	0.00
3	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग खैरागढ़	2,98,98,000.00	2,13,000.00	10,79,000.00	0.00
4	लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग राजनांदगांव	1,10,43,768.00	0.00	0.00	0.00
5	वनमण्डलाधिकारी राजनांदगांव वनमण्डल राजनांदगांव	0.00	10,11,741.00	1,93,907.00	0.00
6	जिला पंचायत राजनांदगांव	0.00	30,00,000.00	0.00	0.00
7	छ.ग. स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, राजनांदगांव	0.00	0.00	0.00	55,420.00
8	क्रेडा विभाग	0.00	10,000.00	12,000.00	0.00
योग		**4,09,72,768.00**	**59,83,878.00**	**25,60,314.00**	**55,420.00**

परिशिष्ट "तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 160) की जानकारी]

दिनांक 17 जनवरी 2019 की स्थिति में उज्जवला योजना के लाभान्वित हितग्राही तथा शेष पात्र पाए गए हितग्राहियों की जानकारी

क.	जिला	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या	शेष पात्र पाए गए हितग्राहियों की संख्या
1	बालोद	71225	4245
2	बलौदाबाजार	148005	8552
3	बलरामपुर	99257	8105
4	बस्तर	116548	1871
5	बेमेतरा	69835	9379
6	बीजापुर	11811	1130
7	बिलासपुर	202488	8954
8	दंतेवाड़ा	26965	4061
9	धमतरी	79964	4030
10	दुर्ग	62700	3731
11	गरियाबंद	93823	5906
12	जांजगीर	196666	4950
13	जशपुर	133799	1798
14	कांकेर	85015	2960
15	कवर्धा	90502	10004
16	कोंडागांव	77060	2177
17	कोरबा	123252	5786
18	कोरिया	72500	5373
19	महासमुंद	151030	12884
20	मुंगेली	90344	2148
21	नारायणपुर	9705	782
22	रायगढ़	190350	7700
23	रायपुर	78067	7601
24	राजनंदगांव	159098	6433
25	सुकमा	18485	6268
26	सूरजपुर	91578	6599
27	सरगुजा	108228	2655
योग		**2658300**	**146082**

परिशिष्ट "इकतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 168) की जानकारी]

मंत्रालय इंद्रावती भवन, अरण्य भवन, डी.जी.पी. मुख्यालय एवं अटल विकास प्राधिकरण के कार्यालयों द्वारा दिनांक 17-12-2018 से 17-01-2019 तक क्रय की गई सामग्री की जानकारी

क्र		सामग्री खरीदी करने वाले कार्यालयों का नाम	17.12.2018 से 17.01.2019 की स्थिति में			प्रदाय एजेन्सी का नाम
			क्रय सामग्री का नाम	मात्रा	राशि	
1		2	3	4	5	6
अ		मंत्रालय				
	1	उपसचिव, छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर	टेरीकॉट सूटिंग सफेद	696 मीटर	128840.04	छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
			पोलिस्टर साड़ी रंगीन प्लेन	26 नग	15689.04	
			ब्लाऊज क्लाथ	26 मीटर	2355.72	
			पेटिकोट क्लाथ	130 मीटर	12776.40	
			ऊलन क्लाथ	182.40 मीटर	56881.44	
			अस्तर क्लाथ	342 मीटर	33611.76	
		योग :–			**250154.39**	
	2	प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)	बस्ता 44"×44"	600 नग	48119.00	छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
			टेरिकाट सूटिंग सफेद	174 मीटर	32210.01	
			पोलिस्टर साड़ी रंगीन बार्डर	8 नग	4568.34	
			ब्लॉऊज क्लॉथ	8 मीटर	724.84	
			पेटीकोट क्लॉथ	20 मीटर	1965.60	
		योग :–			**87587.79**	
ब		इन्द्रावती भवन				
	3	आयुक्त सह संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, अटल नगर, जिला रायपुर	टेरिकॉट सूटिंग सफेद	24 मीटर	4442.76	छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
			पॉलिस्टर साड़ी रंगीन बार्डर	2 नग	1142.09	
		आयुक्त सह संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, अटल नगर, जिला रायपुर	ब्लॉऊज क्लॉथ	2 मीटर	181.21	छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
			पेटीकोट क्लॉथ	5 मीटर	491.40	
		योग :–			**6257.45**	
	4	संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन अटल नगर. रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)	टेरिकाट सूटिंग सफेद	136 मीटर	25175.64	
			पोलिस्टर साड़ी रंगीन प्लेन	6 नग	3620.55	
			ब्लाऊज क्लॉथ	6 मीटर	543.63	
			पेटीकोट क्लॉथ	15 मीटर	1474.20	
		योग :–			**30814.01**	

क्र	सामग्री खरीदी करने वाले कार्यालयों का नाम		17.12.2018 से 17.01.2019 की स्थिति में			प्रदाय एजेन्सी का नाम
			क्रय सामग्री का नाम	मात्रा	राशि	
1	2		3	4	5	6
	5	संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़, अटल नगर, जिला – रायपुर (छ.ग.)	टेरिकाट सूटिंग सफेद	5.90 मीटर	1092.00	छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
		योग :–			**1092.00**	
	6	संचालक, तकनीकी शिक्षा, अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग.)	ऊलन कोट	5 नग	6182.00	
		योग :–			**6182.00**	
	7	संचालक, तकनीकी शिक्षा, अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग.)	टेरिकाट सूटिंग सफेद	17.70 मीटर	3276.54	
			पोलिस्टर साड़ी रंगीन प्लेन	4 नग	2413.70	
			ब्लाऊज क्लॉथ	4 मीटर	362.42	
			पेटीकोट क्लॉथ	10 मीटर	982.80	
		योग :–			**7035.45**	
	8	आयुक्त सह संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, अटल नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)	ऊलन कोट	5 नग	6182.00	
		योग :–			**6182.00**	
	9	अपर संचालक, (हाथकरघा प्रभाग) ग्रामोद्योग संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर	टेरिकाट सूटिंग सफेद/खाकी	16.80 मीटर	3109.93	
			पोलिस्टर साड़ी रंगीन प्लेन	2 नग	1206.85	
			ब्लाऊज क्लॉथ	2 मीटर	181.21	
			पेटीकोट क्लॉथ	5 मीटर	491.40	
			शर्टिंग क्लॉथ	31.50 मीटर	2854.04	
		योग :–			**7843.43**	
स	**अरण्य भवन**		निरंक			
द	**डी.जी.पी. मुख्यालय**		निरंक			
इ	**अटल विकास प्राधिकरण**		निरंक			
		महायोग :–			**403148.53**	

परिशिष्ट "बत्तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 169) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

कंडिका–'क' की समस्या के निराकरण के लिए शासन द्वारा निम्नानुसार नीति अंतर्गत कार्य कराये जा रहे है :–

1. **हाथी रहवास क्षेत्र का विकास :–**

जंगली हाथी वन क्षेत्र से बाहर न आने पाये इस हेतु शासन द्वारा संचालित गजराज योजना के अंतर्गत हाथी रहवास क्षेत्रों एवं कॉरिडोर क्षेत्र में जल स्त्रोतों का निर्माण, फलदार पौधों का रोपण, चारागाह का विकास कार्य, अग्नि सुरक्षा इत्यादि रहवास क्षेत्रों के विकास कार्य कराये जा रहे है।

2. **मानव–हाथी द्वंद्व की रोकथाम :–**

- जंगली हाथियों से जन–धन की क्षति की रोकथाम हेतु हाथी प्रभावित गांव में गीतों/नुक्कड़ नाटकों, द्वार–द्वार प्रचार, रैली, कार्यशाला, इत्यादि के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रभावित गांवो में संयुक्त वन प्रबंध समिति/हाथी मित्र दल को बचाव की विभिन्न तकनीक से प्रशिक्षित किया जा रहा है एवं तकनीकी के उपयोग करने हेतु संसाधन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आकाशवाणी केन्द्र के माध्यम से हाथी विचरण की जानकारी प्रतिदिन प्रसारित की जा रही है ताकि जिन क्षेत्रों में हाथी विचरण कर रहे हैं, वहां के ग्रामवासियों को हाथी की उपस्थिति की सूचना पूर्व में ही प्राप्त हो जाये । हाथी प्रभावित क्षेत्रों के वन कर्मचारियों द्वारा गश्त कर सतत् निगरानी रखी जा रही है। जंगली हाथियों पर सतत् निगरानी रखने हेत 08 चलित हाथी सुरक्षा दस्तों का गठन कर जंगली हाथियों की गतिविधियों पर निगरानी की जा रही है। हाथी आवागमन क्षेत्र में हाथियों को ग्रामीण क्षेत्रों में आने से रोकने हेतु चलित पावर फेसिंग तथा सोलर पावर फेसिंग का उपयोग किया जा रहा है। हाथियों द्वारा की जाने वाली जन–धन की क्षति की मुआवजा राशि का भुगतान प्रभावितों को शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जा रहा है।
- हाथी बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र का निर्माण :–

सुरजपुर वनमण्डल के रमकोला बीट में हाथी बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र पिंगला का निर्माण किया गया है जिसमें समस्या मूलक हाथियों को पकड़ कर सुधार हेतु रखा जा रहा है वर्तमान मे इस केन्द्र में 02 समस्या मूलक हाथियों को अचानकमार टायगर रिजर्व से लाकर रखा गया है।

- जंगली हाथियों की रेडियों कॉलरिंग :–

हाथियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए 12 हाथियों को सेटेलाइट रेडियों कॉलर करने लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जाकर अब तक 04 जंगली हाथियों (महासमुंद वनमण्डल में 01, बलरामपुर वनमण्डल में 01, सरगुजा वनमण्डल में 01 तथा सूरजपुर वनमण्डल में 01) सेटेलाइट रेडियों कॉलर लगाया गया है। इन हाथियों के विचरण क्षेत्र की जानकारी प्रतिदिन सेटेलाइट के माध्यम से प्राप्त कर तद्नुसार तात्कालीक प्रबंधन रणनीति तैयार कर क्रियान्वित की जा रही है।

3. **निष्कासन क्षेत्र :–**

राज्य में हाथियों के प्रसार को रोकने के लिए महासमुंद एवं बलौदा बाजार जिलों को हाथी निष्कासन क्षेत्र में रखा गया है। इन क्षेत्रों से हाथियों को निकालने की रणनीति बनाई गई है। कर्नाटक राज्य से लाये गये 05 हाथियों को महासमुंद वनमण्डल के पासीद हाथी कैम्प में प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण उपरांत इन हाथियों का उपयोग जंगली हाथियों के वैज्ञानिक प्रबंधन, मानव–हाथी द्वंद्व की रोकथाम, हाथियों के निष्कासन, प्रसार में किया जावेगा।

प्रपत्र "ब"

17 दिसम्बर 2018 से 17 जनवरी 2019 तक जंगली हाथियों के द्वारा हुई जनहानि एवं प्रदाय मुआवजा राशि का विवरण

राशि रूपये में

जिल का नाम	मृतक का विवरण		भुगतान की गई मुआवजा राशि का विवरण
	नाम/वल्दियत/उम्र	ग्राम	प्रदाय राशि
1	2	3	4
सरगुजा	स्व. श्री बंधन वल्द–रामायण उम्र–60	परसा	400000
	स्व. श्रीमती अहिल्या बाई पत्नी, श्री अक्षय उम्र–19	बुन्देली	400000
सूरजपुर	स्व. श्री रामलाल जायसवाल आ. बैजनाथ उम्र–55	शिवप्रसादनगर	400000
	स्व. श्री रामलखन साहू, आ. नेतलाल साहू उम्र–70	सोनपुर (बरपारा)	400000
	स्व. श्रीमती चंद्रमणि पिता–स्व. श्री रतन गोंड़, उम्र–30	बड़कापारा (देवनगर)	400000
	स्व. श्री केजूराम आ. सीताराम राजवाड़े उम्र–32	कृष्णापुर (कलुवा)	400000
महासमुन्द	स्व. श्रीमती सुनीताबाई/पति ओमकेश्वर यादव	रीवाडीह	400000
रायगढ़	स्व. श्री किर्तन सिंह राठिया/पिता श्री पनसाय राठिया उम्र–33	गीनाबहरी	400000
		योग :–	3200000

परिशिष्ट "तैंतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 177) के भाग (क) की जानकारी]

दुर्ग जिले में वर्ष 2015 से 2018 तक 33/11 के.व्ही. के स्वीकृत, कार्य पूर्ण/अपूर्ण सब-स्टेशनों की स्थानवार जानकारी

क्र	प्रस्तावित स्थल	स्वीकृति दिनांक	कार्य की प्रगति		टीप
			पूर्णता तिथि	कार्यपूर्णता की अनुमानित तिथि	
1	राजपुर धमधा	28.01.2016	17.08.2016	लागू नहीं	
2	हिर्री	17.07.2016	10.04.2017	लागू नहीं	
3	नारधा	05.02.2016	11.09.2017	लागू नहीं	
4	पुरई	07.07.2016	30.01.2018	लागू नहीं	
5	भाटाकोकड़ी	14.07.2016	30.11.2017	लागू नहीं	
6	अरसनारा	21.07.2016	31.01.2018	लागू नहीं	
7	चन्दखुरी	23.08.2016	04.12.2017	लागू नहीं	
8	सिरनाभाठा	25.11.2016	15.02.2018	लागू नहीं	
9	निकुम	21.07.2016	04.04.2018	लागू नहीं	
10	मचांदुर	29.10.2016	25.05.2018	लागू नहीं	
11	बेल्हारी	29.10.2016	लागू नहीं	30.06.2019	निविदा को निरस्त कर "रिस्क एंड कास्ट पर" पुनः निविदा जारी की गई है।
12	परसदा कुम्हारी	28.1[illegible].2017	लागू नहीं	30.04.2019	कार्य प्रगति पर है
13	कुन्दरापारा पोटियाकला	08.03.2017	11.05.2018	लागू नहीं	
14	सी.एस.आई.डी.सी. हथखोज	08.03.2017	09.03.2018	लागू नहीं	

परिशिष्ट "चौंतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 184) के भाग (क) की जानकारी]

बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में विद्यमान अस्थाई विद्युत कनेक्शन के संख्या की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	विकासखंड का नाम	दिनांक 31.12.2018 की स्थिति में अस्थाई कनेक्शनों की संख्या			अस्थाई कनेक्शनधारी कृषकों से स्थाई किये जाने हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या			दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 तक अस्थाई कनेक्शन को स्थाई किये जाने की संख्या			विशेष
			पंप / नलकूप	अन्य	योग	पंप / नलकूप	अन्य	योग	पंप / नलकूप	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		बिल्हा	1930	2752	4682	300	563	863	133	525	658	
2		तखतपुर	1905	603	2508	900	96	996	129	49	178	
3		मस्तूरी	2505	126	2631	281	38	319	137	34	171	
4	बिलासपुर	कोटा	549	104	653	121	0	121	53	0	53	
5		गौरेला	252	41	293	1	2	3	0	0	0	
6		पेण्ड्रा	185	42	227	23	6	29	17	5	22	
7		मरवाही	631	53	684	35	10	45	0	0	0	
8		मुंगेली	1428	242	1670	952	22	974	2	15	17	
9	मुंगेली	पथरिया	257	35	292	92	5	97	0	1	1	
10		लोरमी	840	82	922	201	0	201	0	0	0	
11		कोरबा	466	608	1074	3	18	21	3	18	12	
12		करतला	425	71	496	6	0	6	6	0	6	
13	कोरबा	कटघोरा	764	45	809	17	0	17	17	0	17	
14		पाली	488	38	526	5	0	5	5	0	23	
15		पोड़ीउपरोडा	195	30	225	1	0	1	1	0	1	
16		धरमजयगढ़	488	46	534	116	25	141	12	6	18	
17		लैलुंगा	1	18	19	0	0	0	0	0	0	
18		घरघोडा	301	14	315	64	0	64	24	0	24	
19		तमनार	265	41	306	31	0	31	8	0	8	
20	रायगढ़	रायगढ़	606	708	1314	49	143	192	21	141	162	
21		खरसिया	658	115	773	14	2	16	5	1	6	
22		पुसौर	516	181	697	68	7	75	11	0	11	
23		सारंगढ़	881	92	973	69	25	94	29	19	48	
24		बरमकेला	608	46	654	15	2	17	12	2	14	
25		बलौदा	225	116	341	31	3	34	0	3	3	
26		बम्हनीडीह	1032	411	1443	76	34	110	0	31	31	
27		नवागढ़	250	554	804	4	191	195	4	154	158	
28		अकलतरा	1149	89	1238	0	0	0	0	0	0	
29	जांजगीर–चांपा	पामगढ़	414	56	470	0	0	0	0	0	0	
30		सक्ती	278	86	364	5	13	18	5	13	18	
31		डभरा	502	44	546	36	40	76	36	40	76	
32		मालखरौदा	212	17	229	21	12	33	6	0	6	
33		जैजैपुर	319	16	335	29	34	63	18	6	24	
34		बम्हनीडीह	7	8	15	0	0	0	0	0	0	
		योग	21532	7530	29062	3566	1291	4857	694	1063	1766	

परिशिष्ट "पैंतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 271) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र0	स्थलवार पॉवर प्लांट का नाम	इकाईयों की क्षमता एवं संख्या	कुल उत्पादन क्षमता मेगावाट में	बंद / संचालित
1	कोरबा पूर्व ताप विद्युत संयंत्र कोरबा	50 मेगावाट की 04 इकाईयां	200	सभी इकाईयां बंद
2	कोरबा पूर्व ताप विद्युत संयंत्र कोरबा	120 मेगावाट की 02 इकाईयां	240	सभी इकाईयां संचालन में
3	डॉ0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र कोरबा	250 मेगावाट की 02 इकाईयां	500	सभी इकाईयां संचालन में
4	हसदेव ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पश्चिम कोरबा	210 मेगावाट की 04 इकाईयां	840	सभी इकाईयां संचालन में
5	हसदेव ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र, कोरबा	500 मेगावाट की 01 इकाई	500	इकाई संचालन में
6	अटल बिहारी वाजपेई ताप विद्युत संयंत्र जांजगीर-चांपा	500 मेगावाट की 02 इकाईयां	1000	सभी इकाईयां संचालन में
7	हसदेव बांगो मिनी माता जल विद्युत संयंत्र माचाडोली, कोरबा	40 मेगावाट की 03 इकाईयां	120	सभी इकाईयां संचालन में
8	हसदेव ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा के रिटर्न कैनॉल पर छोटी जल विद्युत संयंत्र, कोरबा	850 किलोवाट की 02 इकाईयां	1.70	सभी इकाईयां संचालन में
9	गंगरेल छोटी जल विद्युत संयंत्र, धमतरी	2.5 मेगावाट की 04 इकाईयां	10	सभी इकाईयां संचालन में
10	सिकासार छोटी जल विद्युत संयंत्र, गरियाबंद	3.5 मेगावाट की 02 इकाईयां	07	सभी इकाईयां संचालन में
11	भोरमदेव शक्कर कारखाना में स्थापित को-जनरेशन संयंत्र, कबीरधाम	6 मेगावाट की 01 इकाईयां	06	इकाई संचालन में

परिशिष्ट "छत्तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 280) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

सौर ऊर्जा यूनिट लगाने हेतु अनुदान की मुख्य शर्ते

01. सौर ऊर्जा यूनिट की स्थापना क्रेडा के माध्यम से अथवा क्रेडा में पंजीकृत सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से करवाये जाने पर ही क्रेडा के माध्यम से राज्यांश व केन्द्रांश के रूप में अनुदान प्राप्त करने की पात्रता बनती है।

02. केन्द्रांश के अंतर्गत देय अनुदान का निर्धारण नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

03. राज्यांश के अंतर्गत देय अनुदान का निर्धारण क्रेडा के संचालक मंडल द्वारा किया गया है, वर्तमान में निर्धारित राशि एवं पात्रता परिशिष्ट 'तीन' एवं चार में दर्शित है।

प्रपत्र "ब"

सौर संयंत्रों में अनुदान की जानकारी

क्र.	संयंत्र/परियोजना (क्रेडा द्वारा निर्धारित क्षमता एवं मापदण्डों के अनुसार स्थापित होने पर)	राज्य अनुदान प्रति वॉट	राज्य अनुदान हेतु पात्रता (औद्योगिक इकाईयों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी)
1.	सोलर होम लाईट (37 वॉट)	रुपए 5,000/- प्रति नग	घरेलू उपयोग हेतु
2.	सोलर स्ट्रीट लाईट (75 वॉट)	रुपए 8,000/- प्रति नग	सामुदायिक, शासकीय एवं संस्थागत
	सोलर स्ट्रीट लाईट (37 वॉट)	रुपए 4,500/- प्रति नग	
3.	सोलर पावर प्लांट (ऑफग्रिड) 01 से 10 KW क्षमता तक न्यूनतम 7.2 Vah/W बैटरी के साथ	रुपए 40/– प्रतिवॉट	समस्त (घरेलू 10 कि.वॉ. क्षमता तक), शासकीय, सामुदायिक, व्यावसायिक, संस्थागत)
	7.2 Vah/W से कम क्षमता की बैटरी के साथ	एम.एन.आर.ई. के समतुल्य	
4.	> 10 KW to 50 KW तक 7.2 Vah/W बैटरी के साथ	रुपए 25/– प्रतिवॉट	
	7.2 Vah/W से कम क्षमता के बैटरी के साथ	एम.एन.आर.ई. के समतुल्य	
5.	> 50 KW to 100 KW तक–7.2 Vah/W बैटरी के साथ	रुपए 15/– प्रतिवॉट	
	7.2 Vah/W से कम क्षमता के बैटरी के साथ	एम.एन.आर.ई. के समतुल्य	
6.	सोलर पावर प्लांट (ऑनग्रिड) 10 KW to 50 KW तक	एम.एन.आर.ई. के समतुल्य	समस्त (घरेलू 10 कि.वॉ. क्षमता तक) संस्थागत, शासकीय, व्यावसायिक, सामुदायिक
	> 50 KW to 100 KW तक	एम.एन.आर.ई. के समतुल्य (रुपए 15/– प्रतिवॉट अधिकतम)	
7	सोलर पावर पेक 1. 150 वॉट क्षमता 2. 300 वॉट क्षमता 3. 500 वॉट क्षमता	 रुपए 10,000/- प्रति नग रुपए 20,000/- प्रति नग रुपए 25,000/- प्रति नग	समस्त (घरेलू, संस्थागत, सामुदायिक, शासकीय, व्यावसायिक)
8	सोलर सिंचाई पम्प (05 एच.पी. तक) *सौर सुजला हेतु अनुदान दर परिशिष्ट 'तीन' अनुसार होगी।	रुपए 50/– प्रति वॉट अधिकतम रुपए 2.00 लाख प्रति संयंत्र	निजी कृषक, सामुदायिक एवं शासकीय
9	पेयजल पम्प (न्यूनतम 900 वॉट मॉड्यूल, 4.5 मीटर स्टेण्ड एवं 5000 लीटर वाटर टैंक क्षमता का सोलर ड्यूल पम्प)	रुपए 1,00,000/- प्रति एच.पी.	सामुदायिक एवं शासकीय
10	सौर जल शुद्धिकरण संयंत्र (न्यूनतम 900 वॉट मॉड्यूल, आर.ओ.+यू.वी., आई.आर.पी., वाटर ए.टी.एम./कॉईन वेंडिंग मशीन)	रुपए 3,00,000/- प्रति नग	सामुदायिक एवं शासकीय
11	सोलर हाईमास्ट संयंत्र 900 वॉट मॉड्यूल क्षमता व 9 मीटर ऊँचा (लिथियम फैरो–फास्फेट बैटरी बेस्ड) 7.2 Vah/W बैटरी के साथ	रुपए 1,50,000/- प्रति नग	सामुदायिक एवं शासकीय
	7.2 Vah/W से कम क्षमता के बैटरी के साथ	एम.एन.आर.ई. के समतुल्य	
12	ऑफग्रिड सोलर विण्ड हाईब्रिड पावर प्लांट (05 कि.वॉट)	रुपए 4,00,000/- प्रति नग	औद्योगिक इकाईयों को छोड़कर अन्य सभी
13	सामान्य इन्वर्टरों का सोलराईजेशन (अधिकतम 01 कि.वॉ.)	रुपए 40/– प्रतिवॉट	घरेलू
14	सौर सामुदायिक सिंचाई योजना (न्यूनतम 7.5 एच.पी. क्षमता का सोलर पम्प, संबंधित सिविल कार्य यथा–प्लेटफार्म/इन्टेकवेल/बकरवेल/सम्पवेल, फैंसिंग कार्य, अण्डग्राउण्ड पाईप लाईन के माध्यम से कृषक समूह को जल वितरण व्यवस्था, पंचवर्षीय संचालन–संधारण, ऑपरेटर एवं लाभार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित)	रुपए 1.8 लाख प्रति हेक्टेयर	सामुदायिक (न्यूनतम 10 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि)

क्र.	संयंत्र / परियोजना (क्रेडा द्वारा निर्धारित क्षमता एवं मापदण्डों के अनुसार स्थापित होने पर)	राज्य अनुदान प्रति वॉट	राज्य अनुदान हेतु पात्रता (औद्योगिक इकाईयों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी)
15	सोलर टेलीविजन (32' LED TV, 150 Wp Module, 150 Ah/ 12 V L.MLA Battery,100 VA PCU, TV Stand with STB)	रुपए 50,000 / – प्रति नग	लाभार्जन न करने वाली संस्था
16	सोलर कोल्ड स्टोरेज (04 कि.वॉट मॉड्यूल, 05 टन स्टोरेज क्षमता)	रुपए 4,00,000 / – प्रति नग	कृषक समूह / शासकीय
17	सोलर ट्राईसिकल (24 वोल्ट / 250 वॉट मोटर क्षमता व 100 वॉट मॉड्यूल, 24 वोल्ट / 24 ए.एच. बैटरी क्षमता)	रुपए 75,000 / – प्रति नग	निजी / दिव्यांगों हेतु
18	सोलर कुकर (बॉक्स एवं डिश टाईप)	रुपए 3800 / – प्रति वर्ग मीटर	समस्त हितग्राही (घरेलू, संस्थागत, सामुदायिक, शासकीय, व्यावसायिक)
19	सोलर स्टीम कुकिंग / एयर कंडिशनिंग संयंत्र	अ) सोलर स्टीम कुकिंग संयंत्र–रुपए 3600 / – प्रति वर्ग मीटर	केवल शासकीय संस्थानों / विभागों हेतु
		ब) सोलर एयर कंडिशनिंग संयंत्र–रुपए 3600 / – प्रति वर्ग मीटर	
20	सौर गर्म जल संयंत्र	अ) संयंत्र स्थापना लागत की 50% राशि	केवल शासकीय संस्थानों / विभागों हेतु
		ब) मार्केड मोड अंतर्गत	समस्त (घरेलू, संस्थागत, सामुदायिक, व्यावसायिक)
		I)FPC–रुपए 3500 / – प्रति वर्ग मीटर	
		II)ETC–रुपए 3000 / – प्रति वर्ग मीटर	

प्रपत्र "स"

सौर संयंत्रों में अनुदान की जानकारी

(समस्त राशि रूपये में)

सौर सुजला योजना अंतर्गत वर्ष 2018–19 हेतु अनुदान की सम्पूर्ण जानकारी									
क्र.	सोलर पम्प की क्षमता	सोलर पम्प की प्रकार	अनुमोदित दरें	हितग्राही अंश			राज्य शासन		
				अजा/अजजा	अपिव	समान्य	अजा/अजजा	अपिव	समान्य
1	02 एच.पी.	डी.सी सर्फेस पम्प	153327	5000	9000	16000	148327	144327	137327
2	02 एच.पी.	ए.सी सर्फेस पम्प	138585	5000	9000	16000	133585	129585	122585
3	02 एच.पी.	डी.सी सबमर्सिबल पम्प	174495	5000	9000	16000	169495	165495	158495
4	02 एच.पी.	ए.सी सबमर्सिबल पम्प	146145	5000	9000	16000	141145	137145	130145
5	03 एच.पी.	डी.सी सर्फेस पम्प	209295	7000	12000	18000	202295	197295	191295
6	03 एच.पी.	ए.सी सर्फेस पम्प	210715	7000	12000	18000	203715	198715	192715
7	03 एच.पी.	डी.सी सबमर्सिबल पम्प	248145	7000	12000	18000	241145	236145	230145
8	03 एच.पी.	ए.सी सबमर्सिबल पम्प	225360	7000	12000	18000	218360	213360	207360
9	05 एच.पी.	डी.सी सर्फेस पम्प	315100	10000	15000	20000	305100	300100	295100
10	05 एच.पी.	ए.सी सर्फेस पम्प	288640	10000	15000	20000	278640	273640	268640
11	05 एच.पी.	डी.सी सबमर्सिबल पम्प	332825	10000	15000	20000	322825	317825	312825
12	05 एच.पी.	ए.सी सबमर्सिबल पम्प	311375	10000	15000	20000	301375	296375	291375

परिशिष्ट "सैंतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 295) के भाग (क) की जानकारी]

एच.व्ही.डी.एस. योजनांतर्गत महासमुन्द विधानसभा क्षेत्र के चयनित ग्रामों की सूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	1	2	1	2
1	मुडियाडीह	40	रायतुम	79	सिंधुपाली
2	पासीद	41	सिंघनगढ	80	जामपाली
3	बोरिद	42	भावा	81	ढॉक
4	कर्राडीह	43	पटेवा	82	सिंधरुपाली
5	अमलोर	44	जोगीडीपा	83	कुर्रुभाठा
6	खमतराई	45	बोडरा	84	झलप
7	रायकेरा	46	नवॉगॉव	85	टूरीडीह
8	सिरपुर	47	खट्टा	86	लखनपुर
9	मरौद	48	दुमसा	87	छिलपावन
10	सुकुलबाय	49	मानपुर	88	मुनगासेर
11	नान्दबारु	50	पचपेडी	89	गुडेलाभाठा
12	खडसा	51	नवागॉव	90	खम्हारमुडा
13	मोहकम	52	कोकडी	91	सिघनपुर
14	पीढी	53	रामखेडा	92	बरभाठा
15	गढसिवनी	54	तेन्दूवाही	93	फूलवारी
16	अछोला	55	बरेकेल	94	बावनकेरा
17	जोबा	56	मधुबन	95	खम्हारमुडा
18	कुकराडीह	57	सिनोधा	96	नवापारा
19	तेन्दूवाही नवॉगॉव	58	बनपचरी	97	बम्बुरडीह
20	खैरझिटी	59	तोरला	98	चौकबेड़ा
21	परसाडीह	60	सलिहाभाठा	99	पथर्री
22	लहंगर	61	दर्रीपाली	100	कुलहरिया
23	गुडरुडीह	62	जोरातराई	101	केरामुड़ा
24	मालीडीह	63	छिंदौली	102	फरफौद
25	बेन्द्रीडीह	64	चिरको	103	सरायपाली
26	छपोरा	65	सिंधौरी	104	सुक्लाभाटा (विरान)
27	बॉसकुडा	66	कछारडीह	105	नरतोरा
28	जलकी	67	अमेरा	106	भटगांव
29	बिरबिरा	68	उल्बा	107	पचरी
30	पिरदा	69	कोलपदर	108	पंडरीपानी
31	कौवाझर	70	पाटनदादर	109	गोंड़पाली
32	ओडार	71	अमोरी	110	बरेकेल कला
33	खिरसाली	72	तुरेगा	111	जोबा कला
34	बन्दोरा	73	सरेकेल	112	खट्टी
35	अधानकपुर	74	गोगल	113	परसदा
36	रायमुडा	75	रामपुर	114	जिवतरा
37	झाखरमुडा	76	रेंगहाडबरी	115	लभराकला
38	रुमेकेल	77	तेलीबांधा	116	शेर
39	धनगॉव	78	डूमरपाली	117	कनेकेरा

118	धनसुली	165	लाफिनकला
119	भोइनाबाहरा	166	नांदगांव
120	मुरकी	167	मुढेना
121	मोरधा	168	साराडीह
122	बकमा	169	बरोंडाबाजार
123	कोना	170	चिंगरौद
124	मोंगरा	171	परसट्ठी
125	साल्हेभाठा	172	बम्हनी
126	बोरियाझर	173	लाफिनखुर्द
127	केशवा	174	सोरम
128	कोसरंगी	175	सिंघी
129	झालखम्हरिया	176	उल्बा एलियास नायकबांधा
130	सिरगिड़ी जामली	177	परसापाली, ऐलियास नवागांव
131	चोरभट्ठी	178	सुआबाहरा
132	नवापारा	179	मुगईमाता
133	पतेरापाली	180	फुसेराडीह
134	परसदा	181	सेनकपाट
135	मुड़पार	182	तुमाडबरी
136	लभराखुर्द	183	चुहरी
137	कौंदकेरा	184	केड़ियाडीह
138	उमरदा		
139	गौरखेड़ा		
140	बनसिवनी		
141	लोहारडीह		
142	सोरिद		
143	अमावस		
144	कांपा		
145	गोपालपुर		
146	भोरिंग		
147	बेलटुकरी		
148	अछरीडीह		
149	अछोली		
150	बड़गांव		
151	बिरकोनी		
152	खट्टीडीह		
153	बरबसपुर		
154	बेलसोंडा		
155	खरोरा		
156	घोडारी		
157	बेमचा		
158	परसवानी		
159	मुरकी		
160	खैरा		
161	भलेसर		
162	परसकोल		
163	भुरका		
164	मचेवा पार्ट		

परिशिष्ट "अड़तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 296) के भाग (क) की जानकारी]

वन्यप्राणी एवं जंगली हाथी द्वारा की गई जनहानि, फसल क्षति एवं मुआवजा भुगतान का वर्षवार विवरण

जिला का नाम	वर्ष	जनहानि		फसल क्षति	
		संख्या	भुगतान मुआवजा राशि (रूपयें में)	रकबा (हेक्टयर में)	भुगतान मुआवजा राशि (रूपयें में)
1	2	3	4	5	6
महासमुंद	2014-15	4	12,00,000	4.0	11,520
	2015-16	10	40,00,000	76.78	4,77,170
	2016-17	6	24,00,000	340.995	76,21,702
	2017-18	11	44,00,000	320.101	75,78,196
महायोग :-		**31**	**1,20,00,000**	**741.876**	**1,56,88,588**

परिशिष्ट "उन्चालीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 357) के भाग (ख) की जानकारी]

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के तहसील अकलतरा एवं बलौदा में खरीफ वर्ष 2018-19 में दिनांक 15-01-2019 तक खरीदे गये एवं संग्रहण/भण्डारण किये गये धान की जानकारी

मात्रा टन में

कमांक	तहसील	धान उपार्जन केन्द्र का नाम	दिनांक 15.01.2019 तक खरीदे गये धान की मात्रा	संग्रहण केन्द्र में भण्डारित धान की मात्रा		उपार्जन केन्द्र में भण्डारित धान की मात्रा
1	अकलतरा	अकलतरा /अकलतरा	2265	0		112
2	अकलतरा	करूमहू /करूमहू	4111	478	शासकीय भूमि अकलतरा/ मिल प्रांगण जांजगीर	2121
3	अकलतरा	पकरिया /करूमहू	3658	140	शासकीय भूमि अकलतरा	317
4	अकलतरा	कापन /कापन	3241	689	शासकीय भूमि अकलतरा	538
5	अकलतरा	बरगवा/कापन	2280	0		104
6	अकलतरा	किरारी /किरारी (पामगढ़)	3758	0		57
7	अकलतरा	कोटगढ़ /कोटगढ़	4854	420	शासकीय भूमि अकलतरा	899
8	अकलतरा	अकलतरी /कोटमी (पामगढ़)	3322	323	शासकीय भूमि अकलतरा	676
9	अकलतरा	कोटमी /कोटमी (पामगढ़)	2728	318	शासकीय भूमि अकलतरा	394
10	अकलतरा	सांकर/कोटमी (पामगढ़)	2448	226	शासकीय भूमि अकलतरा	399
11	अकलतरा	अमोरा/तरौद	2800	120	शासकीय भूमि अकलतरा	694
12	अकलतरा	तरौद /तरौद	1401	0		40
13	अकलतरा	तिलई /तिलई	5787	160	शासकीय भूमि अकलतरा	505
14	अकलतरा	नरियरा /नरियरा (अकलतरा)	3966	0		425
15	अकलतरा	पकरिया/पकरिया	4627	759	शासकीय भूमि अकलतरा	646
16	अकलतरा	पोड़ी /पोड़ी	6112	1880	शासकीय भूमि अकलतरा	1365
17	अकलतरा	भैंसतरा /भैंसतरा	3217	1456	शासकीय भूमि अकलतरा	412
18	अकलतरा	हरदी /भैंसतरा	3297	123	शासकीय भूमि अकलतरा	647
19	बलौदा	कोरबी /कोरबी	4495	2031	शासकीय भूमि अकलतरा/ मिल प्रांगण जांजगीर	912
20	बलौदा	खैजा /खैजा	4796	882	शासकीय भूमि अकलतरा/ मिल प्रांगण जांजगीर	2505
21	बलौदा	खिसोरा /खिसोरा	4708	1108	शासकीय भूमि अकलतरा/ मिल प्रांगण जांजगीर	1987
22	बलौदा	जर्वे/जर्वे (बलौदा)	4086	542	मिल प्रांगण जांजगीर	590
23	बलौदा	जावलपुर/जावलपुर	3998	1046	शासकीय भूमि अकलतरा/ मिल प्रांगण जांजगीर	1508
24	बलौदा	पहरिया /पहरिया	4564	1594	शासकीय भूमि अकलतरा/ मिल प्रांगण जांजगीर	2086
25	बलौदा	गतवा /बक्सरा	1400	50	शासकीय भूमि अकलतरा	1014
26	बलौदा	बक्सरा/बक्सरा	2486	642	शासकीय भूमि अकलतरा/ मिल प्रांगण जांजगीर	1154
27	बलौदा	बलौदा/बलौदा	2502	862	शासकीय भूमि अकलतरा	478
28	बलौदा	चारपारा /महुदा	2963	428	शासकीय भूमि अकलतरा	724
29	बलौदा	महुदा /महुदा	1010	158	शासकीय भूमि अकलतरा	438
		योग	**100882**	**16445**		**23750**

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव—300—2/2019—450.